ISSN-0971-8397

योजना

आज़ादी का अमृत महोत्सव

फरवरी 2022

विकास को समर्पित मासिक

₹ 22

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020

प्रमुख आलेख
राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020
अविनाश कुमार सिंह

फोकस
आकलन व्यवस्था में सुधार
मनोज आहूजा

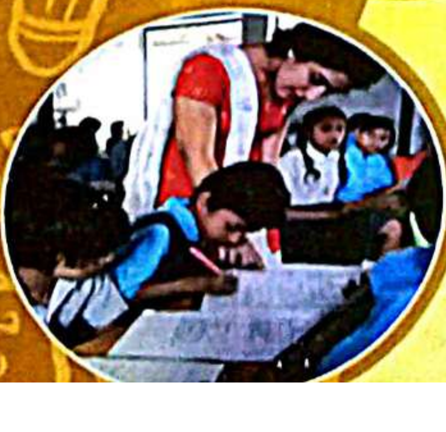

विशेष आलेख
शिक्षकों का सशक्तीकरण
संतोष सारंगी

युवाओं का कौशल विकास
संतोष यादव

नेशनल एजुकेशन एलायंस टेक्नोलॉजी

देश के विद्यार्थियों को उन्नत एड-टेक (शिक्षा प्रौद्योगिकी) समाधान और पाठ्यक्रम का लाभ एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से एनईएटी 3.0 - नेशनल एजुकेशन एलायंस टेक्नोलॉजी हाल में ही शुरू किया गया है। एनईएटी के माध्यम से युवाओं को रोजगार प्रदान करने के अवसर बढ़ाने के लिए शिक्षा क्षेत्र में सर्वाधिक प्रौद्योगिकी-आधारित समाधान उपलब्ध होंगे और इस प्रकार शिक्षार्थियों की सुविधा के लिए एक ही प्लेटफॉर्म पर युवाओं को काम के अवसर प्रदान करने की व्यापक व्यवस्था हो पाएगी। इन समाधानों में कृत्रिम मेधा-(आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस-आईए) प्रयोग में लाई जाती है ताकि सीखने वालों को अपने निजी अनुभव का आभास होता रहे तथा महत्वपूर्ण क्षेत्रों में बेहतर शिक्षण परिणाम प्राप्त होने के साथ ही कौशल विकास भी तेज़ी से हो।

डिजिटल अंतराल को दूर करने और विशेषकर आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के विद्यार्थियों के बीच समानता का माहौल बनाने के साथ डिजिटल माध्यम से देश के और विदेशों से आने वाले विद्यार्थियों की आवश्यकताएं भी पूरी की जा सकेंगी। एनईएटी के अंतर्गत 58 वैश्विक और भारतीय स्टार्ट-अप कंपनियां जुड़ चुकी हैं जो इस समय 100 पाठ्यक्रम उपलब्ध करा रही हैं तथा शिक्षण के परिणाम बेहतर बनाने, रोज़गार प्राप्त करने योग्य कौशल विकसित करने तथा शिक्षण में आई कमियों को पूरा करने के लिए ई-संसाधन जुटा रही हैं। एनईएटी 3.0 के अंतर्गत सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर वर्गों के 12 लाख से ज़्यादा विद्यार्थी 253 करोड़ रुपये मूल्य के निःशुल्क एड-टेक कूपन प्राप्त कर चुके हैं।

एआईसीटीई द्वारा निर्धारित क्षेत्रीय भाषाओं की तकनीकी पाठ्य पुस्तकें भी लांच की गई हैं। क्षेत्रीय भाषाओं में शिक्षण सुविधा उपलब्ध हो जाने से विद्यार्थियों की विवेचनात्मक सोच क्षमता के विकास में मदद मिलेगी और युवाओं को अंतरराष्ट्रीय दृष्टिकोण अपनाने में सफलता मिल सकेगी। विविधतापूर्ण क्षेत्रीय भाषाएं तो वास्तव में देश की शक्ति हैं और उन्हें बढ़ावा देकर ही हम अभिनव समाज का निर्माण करने में सफल हो सकेंगे।

स्रोत : पत्र सूचना कार्यालय

योजना

वर्ष : 66
अंक : 02

फरवरी 2022
माघ-फाल्गुन, शक संवत् 1943

मूल्य : ₹ 22
पृष्ठ : 60

वेबसाइट www.publicationsdivision.nic.in

वरिष्ठ संपादक : कुलश्रेष्ठ कमल
संपादक : डॉ ममता रानी

संपादकीय कार्यालय
648, सूचना भवन, सीजीओ परिसर,
लोधी रोड, नयी दिल्ली-110 003

उत्पादन अधिकारी : डी के सी हृदयनाथ
आवरण : बिंदु वर्मा

योजना का लक्ष्य देश के आर्थिक विकास से संबंधित मुद्दों का सरकारी नीतियों के व्यापक संदर्भ में गहराई से विश्लेषण कर इन पर विमर्श के लिए एक जीवंत मंच उपलब्ध कराना है।

योजना में प्रकाशित लेखों में व्यक्त विचार लेखकों के अपने और व्यक्तिगत हैं। जरूरी नहीं कि ये लेखक भारत सरकार के जिन मंत्रालयों, विभागों अथवा संगठनों से संबद्ध हैं, उनका भी यही दृष्टिकोण हो।

योजना में प्रकाशित विज्ञापनों की विषयवस्तु के लिए योजना उत्तरदायी नहीं है।

योजना में प्रकाशित आलेखों में प्रयुक्त मानचित्र व प्रतीक आधिकारिक नहीं है, बल्कि सांकेतिक हैं। ये मानचित्र या प्रतीक किसी भी देश का आधिकारिक प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं।

योजना लेखकों द्वारा आलेखों के साथ अपने विश्वसनीय स्रोतों से एकत्र कर उपलब्ध कराए गए आंकड़ों/तालिकाओं/इन्फोग्राफिक्स के संबंध में उत्तरदायी नहीं है। योजना किसी भी लेख में केस स्टडी के रूप में प्रस्तुत किसी भी ब्रांड या निजी संस्थाओं का समर्थन या प्रचार नहीं करती है।

योजना घर मंगाने, शुल्क में छूट के साथ दरों व प्लान की विस्तृत जानकारी के लिए **पृष्ठ-57** पर देखें।

योजना की सदस्यता का शुल्क जमा करने के बाद पत्रिका प्राप्त होने में कम से कम 8 सप्ताह का समय लगता है। इस अवधि के समाप्त होने के बाद ही योजना प्राप्त न होने की शिकायत करें।

योजना न मिलने की शिकायत या पुराने अंक मंगाने के लिए नीचे दिए गए ई-मेल पर लिखें -
pdjucir@gmail.com

या संपर्क करें- **दूरभाष : 011-24367453**
(सोमवार से शुक्रवार सभी कार्य दिवस पर प्रातः 9:30 बजे से शाम 6:00 बजे तक)

योजना की सदस्यता की जानकारी लेने तथा विज्ञापन छपवाने के लिए संपर्क करें–
अभिषेक चतुर्वेदी, संपादक, पत्रिका एकांश
प्रकाशन विभाग, कमरा सं. 779, सातवां तल,
सूचना भवन, सीजीओ परिसर, लोधी रोड,
नयी दिल्ली-110003

@DPD_India
@dpd_india

इस अंक में

प्रमुख आलेख

राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020
अविनाश कुमार सिंह 7

फोकस

आकलन व्यवस्था में सुधार
मनोज आहूजा, आंचल चोमल 11

विशेष आलेख

शिक्षकों का सशक्तीकरण
संतोष सारंगी 15

युवाओं का कौशल विकास
संतोष यादव 19

सभी के लिए उत्तम शिक्षा
मनीष गर्ग 23

निपुण भारत मिशन
राशि शर्मा 29

शिक्षा और समुदायों को जोड़ती है एनईपी 2020
डॉ एमके श्रीधर,
डॉ मनसा नागभूषणम...........................35

शिक्षकों की भर्ती, प्रशिक्षण तथा मेरिट आधार पर मूल्यांकन
रंजीत सिंह डिसले 39

नौनिहालों का मानसिक विकास और ज्ञानार्जन
शंकर मारुवादा 43

संगीत और उसका महत्व
डॉ कस्तूरी पायगुडे राणे 49

नई शिक्षा नीति और भारतीय भाषाएं
प्रेमपाल शर्मा.......................................53

आज़ादी का अमृत महोत्सव

पुस्तक चर्चा
सन् सत्तावन के
भूले-बिसरे शहीद.....................कवर-3

नियमित स्तंभ

विकास पथ : नेशनल एजुकेशन
एलायंस टेक्नोलॉजी....................कवर-2

अगला अंक : केंद्रीय बजट

प्रकाशन विभाग के देश भर में स्थित विक्रय केंद्रों की सूची के लिए देखें पृ.सं. 33

हिंदी, असमिया, बांग्ला, अंग्रेजी, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, तमिल, तेलुगु, मराठी, ओडिया, पंजाबी तथा उर्दू में एक साथ प्रकाशित।

आपकी राय

Internet

yojanahindi-dpd@gov.in

पंचायती राज से वास्तविक लोकतंत्र

योजना पत्रिका के नवम्बर के विशेषांक में पंचायती राज का सफर और आगे की दिशा के बारे में सारगर्भित प्रस्तुतिकरण है। भारत जैसे बड़े देश में शासन का सही संचालन करने के लिए पंचायती राज्य संस्थान अति आवश्यक है। यही वह मंच है जहां से वास्तविक लोकतंत्र की नींव मजबूत होती है और जो साथ ही विकास में स्थानीय लोगों की भागीदारी को सुनिश्चित करता है जैसा कि महात्मा गांधी ने भी कहा था कि ''भारत के गांव ही भारत का भविष्य हैं'' इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए ग्रामीण विकास में पंचायती राज के योगदान के बारे में सारगर्भित तरीके से जानकारी देने के लिए योजना पत्रिका परिवार को बहुत धन्यवाद।

– मनीष रमन
अलवर, राजस्थान

बेटियां उद्यमी बनें!

हाल के दशकों में तीव्र आर्थिक वृद्धि के बावजूद महिला उद्यमिता में काफी गिरावट महिलाओं के प्रति सामाजिक पूर्वाग्रह का ही नतीजा है। जब एक सामान्य महिला के प्रति समाज में इतनी चुनौतियां हैं तो महिला उद्यमिता के प्रति तो और बढ़ जाती है। क्षमताओं पर रूढ़िवादिता जैसे- पुरुषों के विपरीत शारीरिक रूप से कमजोर होने का पूर्वाग्रह, पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की तार्किकता पर पूर्वाग्रह से महिला उद्यमी को कुछ व्यवसाय तक ही सीमित कर देना। पितृसत्तात्मक व्यवस्था ऐसी गढ़ी गई हैं कि बेटियां खुद ही इस क्षेत्र में आना नहीं चाहती। अनिश्चितता के कारण काफी दबाव और असफलता का भय उन्हें नौकरी तक ही सीमित रहना होता है। महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए पितृसत्तात्मक व्यवस्था एक बड़ी समस्या है। हमें इसकी शुरुआत परिवार से ही करनी होगी। बेटियों को उद्यमिता के लिए प्रोत्साहित किया जाए। लैंगिक समानता के आधार पर पैतृक संपत्ति में भागीदारी सुनिश्चित करने से भविष्य में अनिश्चितता का भय खत्म होगा जिससे मानसिक रूप से स्वतंत्र होकर अपना योगदान पूर्ण रूप से दे सकेंगी। भारत को 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लिये महिला उद्यमिता की भागीदारी की अहम भूमिका होगी। यदि सरकार पूर्ण रूप से पितृसत्तात्मक व्यवस्था खत्म करने में सफल रही, केवल कागजों पर ही नहीं, मानसिक रूप से भी तो यह केवल अर्थव्यवस्था क्षेत्र में ही नहीं बल्कि व्यक्तिगत रूप से भी एक बड़ी उपलब्धि होगी।

– कल्पना विश्वकर्मा
रायबरेली, उत्तर प्रदेश

'जीआई टैग' अधिनियम 1999

योजना का दिसंबर अंक 'आत्मनिर्भर भारत' काफी रोचक एवं ज्ञानास्पद है। विशेष रूप से बात करें तो जी आर चिंतला जी का जीआई टैग संबंधित आलेख काफी ज्ञानवर्धक रहा। इसमें देश में जीआई टैग अधिनियम 1999, से लेकर सब को विस्तारपूर्वक दिखाया गया है। सरकार की 'हर घर जल योजना', 'मेक इन इंडिया', 'वोकल फॉर लोकल' जैसी योजना भी भारत को आत्मनिर्भर बनाने में मुख्य भूमिका निभा रही है। इसके अतिरिक्त बात करें तो पुस्तक चर्चा आलेख, जिसमें बाबा साहेब भीमराव आंबेडकर जी के बारे में जानकारी भी काफी ज्ञानवर्धक रही है। अंक प्रस्तुति के लिए योजना टीम का बहुत-बहुत धन्यवाद।

– मोहित कुमार
खेरा औरैया, उत्तर प्रदेश

मीडिया का बदलता प्रारूप

लोकतांत्रिक देशों में विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के क्रियाकलापों पर नजर रखने के लिए मीडिया को चौथे स्तंभ के रूप में जाना जाता है। मीडिया अगर सकारात्मक भूमिका अदा करें तो किसी भी व्यक्ति, संस्था, समूह और देश को आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक रूप से समृद्ध बनाया जा सकता है। लेकिन सोशल मीडिया पर लोग वर्तमान मुद्दों एवं महत्वपूर्ण नीतियों पर बहस एवं चर्चा करते हैं। इसलिए सोशल मीडिया ना केवल पारदर्शिता को बढ़ाते हुए सरकार की जवाबदेही सुनिश्चित करती है बल्कि लोकतंत्र में हमारी और अधिक सहभागिता भी सुनिश्चित करती है।

– तनुजा पुरी
जयपुर, राजस्थान

राष्ट्रगाथा के हिन्दी सिनेमा गीत

योजना जनवरी 2022 के अंक में सभी आलेख एक से बढ़कर एक हैं। लेकिन डॉ राजीव श्रीवास्तव व प्रकाश मगदुम के 'राष्ट्रगाथा के हिंदी सिनेमा गीत' और 'भारत में सिनेमा की विकास यात्रा' लेख रोचक लगे। क्योंकि आज़ादी की अलख जगाने में स्वतंत्रता सेनानियों एवं कवियों की रचनाओं को अमरत्व प्रदान करने में सिनेमा व गीतों का भी महत्व रहा है। आज भी हर बच्चे की जुबान पर गीत स्पंदित होते हैं। फिल्मों में देशभक्ति के गीतों की यह एक अनूठी मिसाल थी। तब से अब तक देशभक्ति के गीतों ने एक लंबा सफर तय किया है। इस सफर में कई मुकाम आए, जब फिल्मी देशभक्ति गीतों ने जोश-ओ-खरोश जगाने का काम किया। यही नहीं 'सारे जहां से अच्छा' से लेकर वंदे मातरम् जैसे गीत देश भक्ति से ओत-प्रोत वातावरण तैयार करने में सफल रहते हैं। आज भी 15 अगस्त, 26 जनवरी के दिन जब ये गीत बजते हैं तो लोगों के मन में एक अलग-सा जज्बा जाग उठता है।

– रजनी
नई दिल्ली

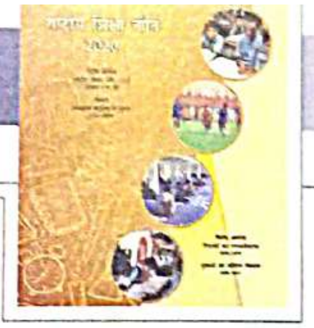

शिक्षा प्रणाली में बड़ा बदलाव

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 के आने के साथ ही भारत की शिक्षा प्रणाली में भी 21वीं शताब्दी के महत्वाकांक्षी लक्ष्यों के अनुरूप बदलावों का अहम सिलसिला शुरू हो गया है। इस नीति में पठन-पाठन की पुरानी चली आ रही शिक्षक आधारित व्यवस्था की जगह विद्यार्थी-केन्द्रित नई व्यवस्था लाकर समूची प्रणाली में बदलाव लाने पर ज़ोर दिया गया है जिससे विद्यार्थियों का समग्र विकास सुनिश्चित हो सके और उनकी रचनात्मक क्षमता भी विकसित की जा सके। नई शिक्षा नीति में शिक्षा के इस मूल सिद्धांत पर विशेष बल दिया गया है कि शिक्षा का उद्देश्य बच्चों के साक्षर बना देने और उन्हें अंक ज्ञान देने तक सीमित नहीं रहना चाहिए या फिर विद्यार्थियों में विवेचनात्मक सोच और समस्या का समाधान खोजने तक ही सीमित न रहे बल्कि शिक्षा से सामाजिक और भावनात्मक कौशल का विकास भी हो, इन्हें सॉफ्ट स्किल्स कहा जाता है और इनमें सांस्कृतिक चेतना और अनुभूति, दृढ़ निश्चय और विश्वास, टीम भावना, नेतृत्व और संचार जैसे गुणों का विकास भी शामिल है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में सभी को स्कूली शिक्षा उपलब्ध कराने और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को स्कूलों में दाखिल कराने पर ज़ोर दिया गया है। प्रारंभिक शिशुकाल देखभाल और शिक्षा पर इसमें विशेष ध्यान दिया गया है। बुनियादी या प्रारंभिक शिक्षा में बच्चों की पढ़ने की क्षमता और अर्थ या भाव समझने की क्षमता और वास्तविक जीवन में गणित से गुणा-भाग और जमा-घटा कर पाने की क्षमता के विकास पर बल दिया गया है। इसी उद्देश्य से निपुण भारत मिशन शुरू किया गया है ताकि हर बच्चे के लिए ऐसा परिवेश बन जाए कि आने वाले पांच वर्ष में वह कक्षा तीन तक के स्तर की पढ़ने-लिखने की क्षमता और गणित का ज्ञान प्राप्त कर ले।

आकलन प्रक्रिया निरंतर चलाए रखने से यह समझ में आता जाएगा कि बच्चे किस प्रकार सोचते और सीखते हैं और इसे ध्यान में रखकर ही एनईपी 2020 में कई बुनियादी सुधार शामिल किए गए हैं जिनकी मदद से विद्यार्थियों के आकलन की प्रक्रिया के तौर-तरीकों, प्रारूप और क्रियान्वयन को नया रूप दिया जा सकेगा। नीति में बोर्ड परीक्षाओं में बदलाव लाकर उन्हें और प्रामाणिक बनाना, बच्चों पर पुस्तकों का बोझ कम करने और कोचिंग की व्यवस्था समाप्त करने पर खास ज़ोर दिया गया है।

विद्यार्थियों, शिक्षकों और संस्थानों की क्षमता के निर्माण पर भी बल दिया जा रहा है। संस्थानों में विविध विषय रहेंगे और शिक्षा विज्ञान में भी परिवर्तन लाए जाएंगे जिससे बच्चों को विषय चुनने के अधिक विकल्प प्राप्त होंगे। ऐसी भी उम्मीद है कि सहायता प्राप्त कॉलेज धीरे-धीरे बंद किए जाएंगे और वर्ष 2035 तक उनकी जगह अनेक विषयों की शिक्षा देने वाले संस्थान आ जाएंगे। सभी को शिक्षकों की अहम भूमिका के बारे में पता है। नई शिक्षा नीति में सुझाव है कि शिक्षकों को स्वयं में सुधार लाने और अपने अध्यापन कार्य से जुड़ी नई जानकारियां प्राप्त करने के वास्ते निरंतर प्रशिक्षण के अवसर मिलने चाहिए। इसी कारण शिक्षकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था को भी नई परिस्थितियों और बदलते परिवेश के अनुरूप मजबूत बनाने पर ध्यान दिया जाएगा।

सभी के लिए समानता पर आधारित और समावेशी उत्तम शिक्षा की सुनिश्चित व्यवस्था कराने के उद्देश्य से नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 में शिक्षा तक सबकी पहुंच, सभी की भागीदारी और शिक्षण स्तर के मामले में विभिन्न वर्गों के बीच अंतर को समाप्त करने पर विशेष ध्यान दिया गया है। इस नीति में समानता को ही समावेशी व्यवस्था का आधार माना गया है। सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों और क्षेत्रों के विकास पर भी विशेष बल दिया गया है।

यह नीति अपने प्रारूप और आशय दोनों के ही आधार पर वैश्विक भी है और स्थानीय भी। इसमें शिक्षा की गुणवत्ता को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है और सबसे ज़्यादा पिछड़े वर्गों और क्षेत्रों के बच्चों के लिए प्रारंभिक शिक्षा की सुदृढ़ नींव तैयार करके उनकी शिक्षा आवश्यकताएं पूरी करने को प्रमुखता दी गई है ताकि भारत शिक्षा के क्षेत्र में विश्व नेता के रूप में उभर कर सामने आए। योजना के इस अंक में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के दृष्टिकोण और उद्देश्य तथा वैश्विक महामारी के बाद के दौर में इसकी बढ़ती हुई प्रासंगिकता पर चर्चा की गई है। हमें आशा है कि शिक्षा विशेषज्ञों और विभिन्न हितार्थियों की गहन अभिव्यक्ति से हमारे सभी पाठकों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के द्वारा आने वाले परिवर्तनों के बारे में विस्तार से समझने में सहायता मिलेगी। ■

राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020

अविनाश कुमार सिंह

शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति की शुरुआत 1986 में की गयी थी। इसके 34 साल बाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति-नेशनल एजुकेशन पॉलिसी (एनईपी)-2020 घोषित की गयी जिसे मौजूदा समय में लागू किया जा रहा है। इसमें एक ऐसी शैक्षिक प्रणाली की कल्पना की गयी है जिसमें हर सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमि के सभी विद्यार्थियों को उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा न्यायसंगत ढंग से मिल सके। एनईपी-2020 संयुक्तराष्ट्र के संवहनीय विकास लक्ष्य-4 के अनुरूप है। इस लक्ष्य में सबके लिये समावेशी, न्यायसंगत और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने तथा आजीवन ज्ञानार्जन के अवसरों को बढ़ावा देने की बात कही गयी है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी)-2020 भारत के इक्कीसवीं सदी के आकांक्षापूर्ण लक्ष्यों के अनुरूप है। इसमें भारत को ज्ञान के क्षेत्र में वैश्विक महाशक्ति में तब्दील करने का लक्ष्य रखा गया है। लेकिन यह अपने दृष्टिकोण में वैश्विक होने के साथ ही भारत केंद्रित भी है। यह मानवाधिकारों, संवहनीय विकास और जीवनशैली तथा वैश्विक कल्याण के लिये प्रतिबद्धता को बढ़ावा देने वाले ज्ञान, कौशल, मूल्य और आचरण को स्थापित करती है। इस तरह इसका प्रयास छात्रों को सही मायनों में वैश्विक नागरिक में तब्दील करने का है। साथ ही इसका मकसद छात्रों में विचारों के साथ ही भावना, बुद्धि और कार्यों में भी भारतीय होने का गहरा गौरव स्थापित करना है।[1] इस नीति के लक्ष्यों और प्रयोजनों को पूरा करने के लिये 2040 की समय सीमा निर्धारित की गयी है। इसके पीछे उद्देश्य यह है कि नयी नीति के तहत शिक्षा प्रणाली में प्रवेश करने वाला बच्चा इसकी प्रक्रियाओं से गुजर कर ही बाहर निकले। इस शिक्षा नीति में जिन पहलुओं पर जोर दिया गया है वे हैं:

शिक्षा का सर्वव्यापीकरण

एनईपी-2020 में 2030 तक स्कूली शिक्षा के सर्वव्यापीकरण का लक्ष्य रखा गया है। इसका मतलब यह है कि 2030 तक प्रीस्कूल और सेकंडरी स्तर पर 100 प्रतिशत सकल नामांकन अनुपात-ग्रॉस एनरॉलमेंट रेशियो (जीईआर) हासिल कर लिया जाये।[2] साथ ही

लेखक राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान में शिक्षा नीति विभाग के प्राध्यापक और प्रमुख हैं। ईमेल: aksingh@niepa.ac.in

राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 की विशेषताएं

- हर छात्र की विशिष्ट क्षमताओं की पहचान कर उन्हें मान्यता और प्रोत्साहन देना।
- इस लक्ष्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देना कि सभी छात्र तीसरी कक्षा तक बुनियादी साक्षरता और अंक ज्ञान हासिल कर लें।
- शिक्षा में लचीलापन ताकि छात्र अपनी प्रतिभाओं और रुचियों के अनुसार जीवन का रास्ता चुन सकें।
- कला और विज्ञान, पाठ्यक्रम और पाठ्यक्रमेतर गतिविधियों तथा व्यावसायिक और औपचारिक शिक्षा के बीच कठोर विभाजन नहीं।
- विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, कला, मानविकी और खेलों के बीच बहुविषयक और समग्र शिक्षा।
- रटंत विद्या और परीक्षाओं के लिये अध्ययन के बजाय विषय की समझ विकसित करने पर जोर।
- तार्किक निर्णय लेने की क्षमता और नवोन्मेष को बढ़ावा देने के लिये रचनात्मक और आलोचनात्मक चिंतन का विकास।
- नैतिकता तथा मानवीय और सांवैधानिक मूल्यों को प्रोत्साहन।
- शिक्षण और ज्ञानार्जन में बहुभाषावाद और भाषा क्षमता को बढ़ावा।
- संचार, सहयोग, सामूहिक कार्य और लचीलापन जैसे जीवन-कौशलों का विकास।
- ज्ञानार्जन के लिये नियमित रचनात्मक मूल्यांकन पर ध्यान।
- शिक्षण और ज्ञानार्जन में प्रौद्योगिकी के विस्तृत उपयोग, भाषा के अवरोधों को दूर करने तथा दिव्यांग छात्रों के लिये पहुंच बढ़ाने पर जोर।
- विविधता और स्थानीय संदर्भों का सम्मान।
- सभी शैक्षिक फैसलों में पूर्ण न्यायसंगतता और समावेशन।
- शुरुआती बाल्यावस्था देखभाल से लेकर स्कूली और उच्चतर शिक्षा तक सभी स्तरों पर पाठ्यक्रम में तालमेल।
- ज्ञानार्जन प्रक्रिया के केंद्र में शिक्षक और संकाय।
- आसान मगर सुगठित नियामक ढांचा जिससे शैक्षिक प्रणाली में ईमानदारी, पारदर्शिता और संसाधन कुशलता सुनिश्चित की जा सके।
- उत्कृष्ट शिक्षा और विकास के लिये विशिष्ट शोध।
- सतत शोध के आधार पर प्रगति की लगातार समीक्षा।
- शिक्षा भारत और उसकी समृद्ध, विविध, प्राचीन और आधुनिक संस्कृति तथा ज्ञान प्रणालियों और परंपराओं पर आधारित हो जो देश के लिये गौरव का भाव पैदा करे।
- शिक्षा एक लोक सेवा है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच हर बच्चे का बुनियादी अधिकार।
- सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली में पर्याप्त निवेश पर जोर। साथ ही सही मायनों में लोकोपकारी निजी और सामुदायिक भागीदारी को प्रोत्साहन देने और सुगम बनाने का सुझाव।

(स्रोत : एनईपी-2020, पृष्ठ 5-6)

2035 तक उच्चतर शिक्षा के सर्वव्यापीकरण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उच्चतर शिक्षा में जीईआर को बढ़ा कर 50 प्रतिशत करने का लक्ष्य है।[3] विभिन्न राज्य और उनके भीतर के समूह शिक्षा प्राप्ति के लिहाज से अलग-अलग स्तरों पर हैं। इसलिये लक्ष्यों और प्रयोजनों के सर्वव्यापीकरण को क्षेत्रों और समूहों के संदर्भ में देखने की दरकार है। उम्मीद है कि स्कूली शिक्षा के सर्वव्यापीकरण से उच्चतर शिक्षा में अधिकतम नामांकन संभव होगा। एनईपी-2020 में पढ़ाई अधूरी छोड़ चुके बच्चों की स्कूलों में वापसी के लिये उपाय करने का सुझाव भी दिया गया है। साथ ही ऐसे कदम उठाने की बात भी कही गयी है जिनसे अब बच्चे पढ़ाई अधूरी नहीं छोड़ें।

पाठ्यक्रम और अध्यापन के तौरतरीकों में बदलाव

एनईपी-2020 में शिक्षा में उदार नजरिये को अपनाने की बात कही गयी है। इसमें स्कूली और उच्चतर शिक्षा में मौजूदा पाठ्यक्रम और अध्यापन के तौरतरीकों के पुनर्गठन पर जोर दिया गया है ताकि इस नीति के लक्ष्यों और प्रयोजनों को पूरा किया जा सके। इसमें 10+2 के मौजूदा ढांचे के बजाय 5+3+3+4 का नया ढांचा अपनाने का सुझाव दिया गया है। इसमें तीन वर्ष की उम्र से शुरुआती बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा-अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन (ईसीसीई) का मजबूत आधार होगा। नीति में 2030 तक मजबूत अध्यापन पर आधारित गुणवत्तापूर्ण ईसीसीई के सर्वव्यापीकरण का सुझाव दिया गया है। इसमें तीन से आठ साल तक की उम्र को किसी भी बच्चे के सर्वांगीण विकास के लिये महत्वपूर्ण बुनियादी चरण माना गया है। हर छात्र को तीसरी कक्षा तक बुनियादी साक्षरता और अंक ज्ञान हासिल कर लेना चाहिये। स्कूली शिक्षा का पाठ्यक्रम और अध्यापन का ढांचा आयु वर्ग और श्रेणी के अनुसार विकास के विभिन्न चरणों में छात्रों की जरूरतों और दिलचस्पियों के अनुरूप होना चाहिये।[4]

हर छात्र को तीसरी कक्षा तक बुनियादी साक्षरता और अंक ज्ञान हासिल कर लेना चाहिये। स्कूली शिक्षा का पाठ्यक्रम और अध्यापन का ढांचा आयु वर्ग और श्रेणी के अनुसार विकास के विभिन्न चरणों में छात्रों की जरूरतों और दिलचस्पियों के अनुरूप होना चाहिये।

एनईपी-2020 में उच्चतर शिक्षा में ढांचागत सुधारों की बात कही गयी है। इसमें उच्चतर शिक्षा संस्थानों को बड़े बहुविषयक विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों और ज्ञान केंद्रों में तब्दील करने पर जोर दिया गया है। उदार बहुविषयक शिक्षा से शिक्षाप्राप्ति, अनुसंधान और सामुदायिक कार्य समेत ज्ञानार्जन के औपचारिक और अनौपचारिक अवसरों को समन्वित कर छात्रों में बहुविध क्षमताओं का विकास किया जा सकेगा। यह शैक्षिक प्रक्रिया में अंतर-विषयक परिप्रेक्ष्य को बढ़ावा देगी।[5] संस्थान बहुविषयक होने के नाते अध्यापन प्रणाली का इस तरह पुनर्गठन करेंगे कि छात्रों को विषयों के चुनाव का अवसर मिले। उम्मीद है कि 2035 तक संबद्ध कॉलेज धीमे-धीमे खत्म हो जायेंगे और उनकी जगह बहुविषयक विश्वविद्यालय और महाविद्यालय ले लेंगे। नीति में विश्व स्तरीय बहुविषयक उच्चतर

शिक्षा संस्थान-हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस (एचईआई) बनाने की सिफारिश की गयी है। इन संस्थानों को बहुविषयक शैक्षिक अनुसंधान विश्वविद्यालय-मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशनल रिसर्च यूनिवर्सिटी (मेरू) के नाम से जाना जायेगा।

शिक्षा में न्यायसंगतता और समावेशन

नयी राष्ट्रीय शिक्षा नीति में सबके लिये गुणवत्तापूर्ण, न्यायसंगत और समावेशी शिक्षा का लक्ष्य रखा गया है। इसमें शिक्षा के सभी स्तरों पर पहुंच, भागीदारी और ज्ञानार्जन के परिणामों में विभिन्न सामाजिक वर्गों के बीच अंतर को दूर करने की प्रतिबद्धता दोहरायी गयी है। न्यायसंगतता को समावेशी विचार मानते हुए सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर समूहों-सोशली एंड इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज्ड ग्रुप्स (एसईडीजी) और क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया गया है।[6] इसमें राज्यों के बीच विशाल अंतर को ध्यान में रखा गया है। इसमें कमजोर समूहों की बड़ी आबादी वाले क्षेत्रों को विशेष शिक्षा क्षेत्र-स्पेशल एजुकेशन जोन (एसईजेड) घोषित करने की सिफारिश की गयी है जिनमें नीतियों और योजनाओं को ज्यादा प्रभावी ढंग से लागू किया जायेगा। नीति में एसईडीजी में पहुंच, भागीदारी और ज्ञानार्जन परिणाम की समस्याओं तथा स्कूली और उच्चतर शिक्षा में समूहों और क्षेत्रों के बीच विभिन्न प्रकार की असमानताओं को दूर करने के लिये समुचित रणनीतियां अपनाने का सुझाव दिया गया है। शुरुआती बाल्यावस्था देखभाल से लेकर उच्चतर शिक्षा तक ज्ञानार्जन के परिणामों में न्यायसंगतता को बढ़ावा देना एनईपी-2020 के प्रमुख लक्ष्यों में से एक है।[7]

एनईपी-2020 शिक्षा में ज्यादा-से-ज्यादा अंतरराष्ट्रीयकरण का पक्षधर है। इसमें ऐसे अवसर पैदा करने की बात कही गयी है जिनसे बड़ी संख्या में अंतरराष्ट्रीय छात्र अध्ययन के लिये भारत आ सकें। इसमें विदेश में अध्ययन के इच्छुक भारतीय छात्रों को इसके लिये अवसर उपलब्ध कराने का प्रस्ताव भी किया गया है।

प्रभावशाली व्यवस्था के लिये सुधार

इस नीति में शिक्षा के क्षेत्र में लक्ष्यों और प्रयोजनों को हासिल करने के लिये व्यवस्था का परिवर्तनकारी एजेंडा निर्धारित किया गया है। स्कूली शिक्षा के प्रमुख सुधारों में स्कूल परिसरों/समूहों की स्थापना, स्कूल मापदंडों और प्राधिकरणों का निर्धारण तथा विद्यालय परीक्षा बोर्डों में सुधार शामिल हैं। इसमें एक भारतीय उच्चतर शिक्षा आयोग-हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया (एचईसीआई) के गठन की सिफारिश की गयी है। यह आयोग उच्चतर शिक्षा में एकमात्र नियामक संस्था होगा। इसके चार स्तंभ होंगे-राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा संसाधन केंद्र-नेशनल हायर एजुकेशन रिसोर्स सेंटर (एनएचईआरसी), राष्ट्रीय मूल्यांकन और मान्यता परिषद-नेशनल एसेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल (एनएएसी), उच्चतर शिक्षा अनुदान परिषद-हायर एजुकेशन ग्रांट्स काउंसिल (एचईजीसी) तथा सामान्य शिक्षा परिषद-जनरल एजुकेशन काउंसिल (जीईसी)। एकमात्र नियामक संस्था के गठन के पीछे उद्देश्य उच्चतर और पेशेवर शिक्षा में जरूरत से ज्यादा नियमन से होने वाली समस्याओं को दूर करना है।[8]

स्कूली और उच्चतर शिक्षा के लिये मानक निर्धारण और मान्यता

नीति में स्कूली और उच्चतर शिक्षा के लिये मानक निर्धारण और मान्यता के बारे में प्रावधान किये गये हैं। इसमें स्कूली शिक्षा के लिये एक स्वतंत्र राज्य विद्यालय मानक प्राधिकरण-स्टेट स्कूल स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी (एसएसएसए) की स्थापना का सुझाव दिया गया है। यह प्राधिकरण गुणवत्ता के प्रभावी आश्वासन और मान्यता प्रदान करने की प्रणाली को संस्थागत रूप देगा। उच्चतर शिक्षा के लिये एचईसीआई के एक स्तंभ के रूप में एनएएसी के गठन की बात की गयी है। उम्मीद है कि इस नयी व्यवस्था से तंत्र ज्यादा पारदर्शी और जवाबदेह बनेगा।

व्यावसायिक शिक्षा

एनईपी-2020 में सामान्य शिक्षा में कौशल के तत्व को मजबूत

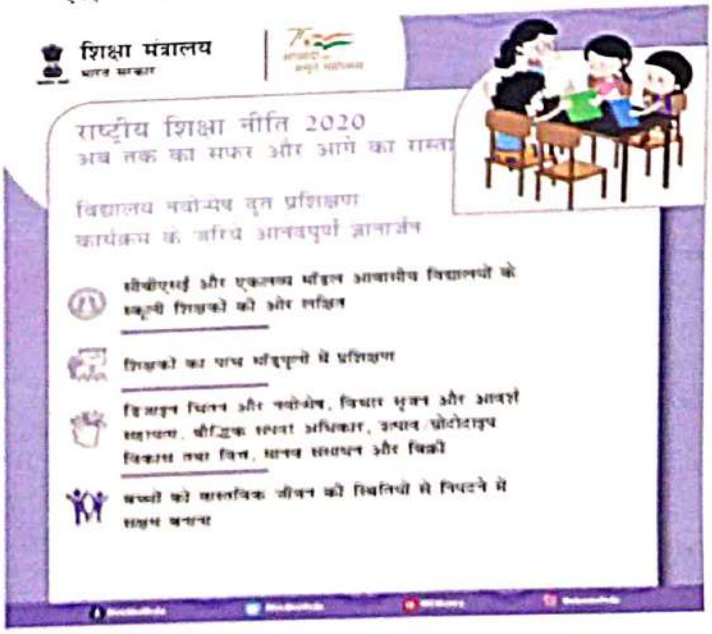

करने पर जोर दिया गया है। इसमें व्यावसायिक शिक्षण का मुख्यधारा की औपचारिक शिक्षा में समावेश कर इसका दर्जा बढ़ाने की बात कही गयी है। उम्मीद है कि 2025 तक 50 प्रतिशत से ज्यादा छात्र स्कूली और उच्चतर शिक्षा प्रणाली के जरिये ही व्यावसायिक शिक्षण भी हासिल कर सकेंगे।[9]

गुणवत्तापूर्ण शैक्षिक अनुसंधान

नयी राष्ट्रीय शिक्षा नीति अनुसंधान और ज्ञान सृजन की एक मजबूत संस्कृति विकसित करने का पक्ष लेती है। इसका मकसद भारत को ज्ञान के क्षेत्र में महाशक्ति बनाना है। इसमें एक राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान-नेशनल रिसर्च फाउंडेशन (एनआरएफ) की स्थापना का सुझाव दिया गया है। यह संस्थान विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में अंतरविषयक अनुसंधानों समेत अनुसंधान और नवोन्मेष को बढ़ावा देगा।

शिक्षा के मौजूदा और इच्छित परिणामों के बीच अंतर को शुरुआती बाल्यावस्था से उच्चतर शिक्षण तक व्यवस्था में बड़े सुधारों तथा समुचित रणनीतियों और कार्यक्रमों के जरिये दूर किया जाना है। यह नीति अपने दृष्टिकोण और इरादे में वैश्विक के साथ ही स्थानीय भी है।

प्रौद्योगिकी का उपयोग

एनईपी-2020 में एक राष्ट्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी मंच-नेशनल एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फोरम (एनईटीएफ) की स्थापना का प्रस्ताव किया गया है। यह विचारण की प्रक्रिया को बेहतर बनाने तथा ज्ञानार्जन, आकलन, योजना और प्रशासन में सुधार के मंच के रूप में काम करेगा।

नीति में शिक्षा के सभी स्तरों पर प्रौद्योगिकी के समुचित समावेश की बात कही गयी है जिससे शिक्षण, ज्ञानार्जन और मूल्यांकन की प्रक्रियाओं में सुधार होगा। यह कदम शिक्षकों को तैयार करने और उनके सतत पेशेवर विकास में मददगार होगा। प्रौद्योगिकी के समावेश से कमजोर समूहों तक शिक्षा की पहुंच बढ़ेगी तथा शैक्षिक योजना, प्रशासन और प्रबंधन को ज्यादा सुचारू बनाया जा सकेगा।

शिक्षा पर सरकारी खर्च में वृद्धि

एनईपी-2020 शिक्षा पर सरकारी खर्च को सकल घरेलू उत्पाद-ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट (जीडीपी) का छह प्रतिशत करने का संकल्प जाहिर करती है जिसकी सिफारिश 1986 की नीति में की गयी थी।

नीति में शिक्षा प्रणाली को मजबूत करने के मकसद से वित्त पोषण के लिये दीर्घकालिक महत्वपूर्ण क्षेत्रों की पहचान की गयी है। ये हैं - गुणवत्तापूर्ण शुरुआती बाल्यावस्था देखभाल शिक्षा, बुनियादी साक्षरता और अंक ज्ञान सुनिश्चित करना, स्कूल परिसरों और समूहों को पर्याप्त और समुचित संसाधन मुहैया कराना, अल्पाहार और मध्याह्न भोजन के रूप में पोषण की व्यवस्था, शिक्षक शिक्षण और शिक्षकों के सतत पेशेवर विकास में निवेश, विशिष्टता के लिये महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में सुधार, अनुसंधान संवर्द्धन तथा प्रौद्योगिकी और ऑनलाइन शिक्षा का व्यापक उपयोग।

शिक्षा में अंतरराष्ट्रीयकरण

एनईपी-2020 शिक्षा में ज्यादा-से-ज्यादा अंतरराष्ट्रीयकरण का पक्षधर है। इसमें ऐसे अवसर पैदा करने की बात कही गयी है जिनसे बड़ी संख्या में अंतरराष्ट्रीय छात्र अध्ययन के लिये भारत आ सकें। इसमें विदेश में अध्ययन के इच्छुक भारतीय छात्रों को इसके लिये अवसर उपलब्ध कराने का प्रस्ताव भी किया गया है। इसमें कहा गया है कि उच्च गुणवत्ता वाले भारतीय विश्वविद्यालयों को अन्य देशों में परिसर खोलने के लिये प्रोत्साहित किया जायेगा। इसी तरह विश्व के चोटी के विश्वविद्यालयों को भारत में संचालन की सुविधा प्रदान करने के लिये विधायी व्यवस्था की जायेगी। इन विश्वविद्यालयों को स्वायत्त भारतीय संस्थानों के समान ही नियमन, संचालन और विषय वस्तु के मानदंडों के संदर्भ में विशेष सुविधा दी जायेगी।[10]

भारतीय भाषाओं, कला और संस्कृति का संवर्द्धन

एनईपी-2020 शिक्षा के सभी स्तरों पर भारतीय भाषाओं, कला और संस्कृति के इस्तेमाल की हिमायत करती है। इसमें देश की भाषाओं के संवर्द्धन के मकसद से भारतीय अनुवाद और विवेचना संस्थान-इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसलेशन एंड एंटरप्रेटेशन (आईआईटीआई) की स्थापना का प्रस्ताव किया गया है। इसमें कहा गया है कि संस्कृत को स्कूली और उच्चतर शिक्षा संस्थानों की मुख्यधारा में शामिल किया जायेगा। इसमें स्पष्ट किया गया है कि भारतीय भाषाओं को रोजगार के अवसरों के लिये योग्यता के मानदंडों में शामिल किया जायेगा।

निष्कर्ष

राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 की दृष्टि अत्यंत व्यापक और दीर्घकालिक है। इस तथ्य और नीति के सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए लक्ष्यों और प्रयोजनों को हासिल करने के लिये तौरतरीके निर्धारित किये गये हैं। शिक्षा के मौजूदा और इच्छित परिणामों के बीच अंतर को शुरुआती बाल्यावस्था से उच्चतर शिक्षण तक व्यवस्था में बड़े सुधारों तथा समुचित रणनीतियों और कार्यक्रमों के जरिये दूर किया जाना है। यह नीति अपने दृष्टिकोण और इरादे में वैश्विक के साथ ही स्थानीय भी है। यह कई मायनों में पिछली नीतियों से काफी आगे है। इसमें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को शैक्षिक सुधारों के एजेंडे में सबसे ऊपर रखा गया है। इसका लक्ष्य शिक्षा की बुनियाद को मजबूत बनाना, सबसे कमजोर समूहों की शैक्षिक जरूरतों को पूरा करना तथा भारत को शिक्षा के क्षेत्र में वैश्विक तौर पर अग्रणी स्थान तक पहुंचाना है। ■

संदर्भ

1. एनईपी 2020, पृष्ठ 6
2. एनईपी 2020, खंड 3, पैरा 3.1
3. एनईपी 2020, खंड 10, पैरा 10.06
4. एनईपी 2020, पैरा 4.1, पृष्ठ 11
5. एनआईईपीए, 2020, पृष्ठ 114, कस्तूरीरंगन, 2021
6. एनईपी 2020, पृष्ठ 24-25
7. एनईपी 2020, पृष्ठ 3
8. एनआईईपीए, 2020, पृष्ठ 152
9. एनआईईपीए, 2020, पृष्ठ 129
10. एनईपी 2020, 12.8, पृष्ठ 39

- 2020 मानव संसाधन विकास मंत्रालय, नयी दिल्ली।
- कस्तूरीरंगन के 2021 'लिबरल एजुकेशन - ए ट्वेंटीफर्स्ट सेंचुरी इनीशिएटिव', पंद्रहवां स्थापना दिवस व्याख्यान, एनआईईपीए, नयी दिल्ली, 11 अगस्त।

आकलन व्यवस्था में सुधार

मनोज आहूजा
आंचल चोमल

किसी भी स्कूली व्यवस्था के सुचारू संचालन के लिए सबसे ज़रूरी है कि विद्यार्थियों की पढ़ाई के आकलन का स्तर उत्तम हो। एक ऐसी आकलन व्यवस्था हो जो मान्य, भरोसेमंद, निष्पक्ष हो तथा जिसमें भिन्न-भिन्न क्षमता वाले बच्चों के लिए समानता का भाव हो। हालांकि वर्तमान में देश की अधिकांश स्कूली व्यवस्था में आकलन के पैमाने परीक्षाएं या टेस्ट होते हैं जो सिर्फ विषयों पर उनकी पकड़ का आकलन कर पाते हैं जिससे विद्यार्थियों की संपूर्ण सामर्थ्य का पूरी तरह आकलन नहीं हो पाता। ऐसी व्यवस्था से विद्यार्थियों में अनावश्यक दबाव, तनाव तथा बेचैनी बढ़ती है तथा शिक्षा का लक्ष्य सिर्फ मुख्य परीक्षाओं में उच्च अंक हासिल करने तक सिमट जाता है।

राष्ट्रीय स्तर की कई समितियों एवं नीतियों ने इस पहलू को उजागर किया है कि परीक्षाओं में पठन सामग्री बहुत अधिक होती है जिससे रटन्त होती है और स्कूलों में पढ़ाया जाने वाला पाठ्यक्रम पूरा भी नहीं हो पाता। ऐसी स्थिति में उत्तम शिक्षा देने की उनकी क्षमता का सही आकलन नहीं हो पाता।

आज आकलन की ऐसी प्रगतिशील व्यवस्था की ज़रूरत है जिससे स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का रास्ता बन सके। आकलन व्यवस्था और अधिक सम्पूर्ण होनी चाहिए जो केवल पुस्तकों में पढ़े गए पाठ का आकलन न करे बल्कि बच्चों की विश्लेषण क्षमता, पैनी सोच, रचनात्मकता, सामाजिक-आर्थिक कौशल आदि का भी मूल्यांकन कर सके। इस संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 में आकलन के उद्देश्य, प्रारूप तथा कार्यान्वयन में कुछ मूलभूत सुधार के सुझाव दिए गए हैं। इसकी शुरुआत हमारी स्कूली व्यवस्था में आकलन की मूलभूत संस्कृति से होनी चाहिए। इसे अधिक रचनात्मक, विकासात्मक तथा सीखने पर केंद्रित होना चाहिए। आकलन एक सतत प्रक्रिया होनी चाहिए जो यह समझ सके कि बच्चे कैसे सोचते और पढ़ते हैं। विद्यार्थियों ने क्या सीखा इसके आकलन से प्राप्त साक्ष्यों का उपयोग इस विश्लेषण और विवेचना के लिए होना चाहिए कि विद्यार्थियों की सीखने से जुड़ी जरूरतों को बेहतर ढंग से कैसे पूरा किया जाए। ऐसी सतत आकलन व्यवस्था से शिक्षक भी आत्ममंथन कर सकेंगे कि उनकी शिक्षण शैली कितनी कारगर है और जान सकेंगे कि अपनी शैली में उन्हें क्या और कैसे बदलाव करना है। यह स्कूलों की प्रक्रियाओं, उनकी संस्कृति तथा पाठ्यचर्या पर रोशनी डालेगी कि वे सिखाने के लिहाज से किस स्तर पर हैं। व्यवस्थित

मनोज आहूजा केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) के चेयरमैन हैं। ईमेल: chmn-cbse@nic.in
आंचल चोमल अज़ीम प्रेमजी विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर हैं। ईमेल: aanchal@azimpremjifoundation.org

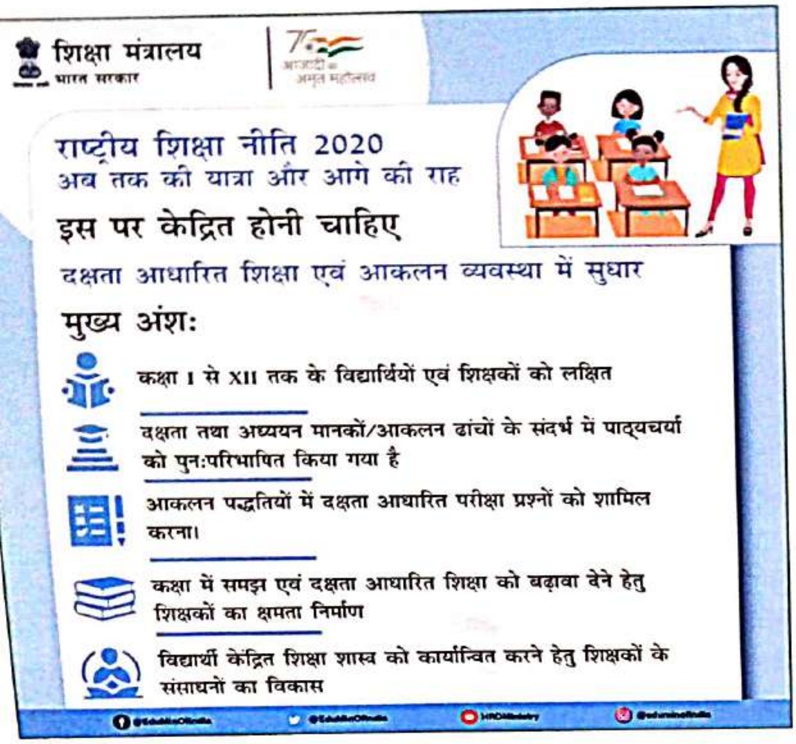

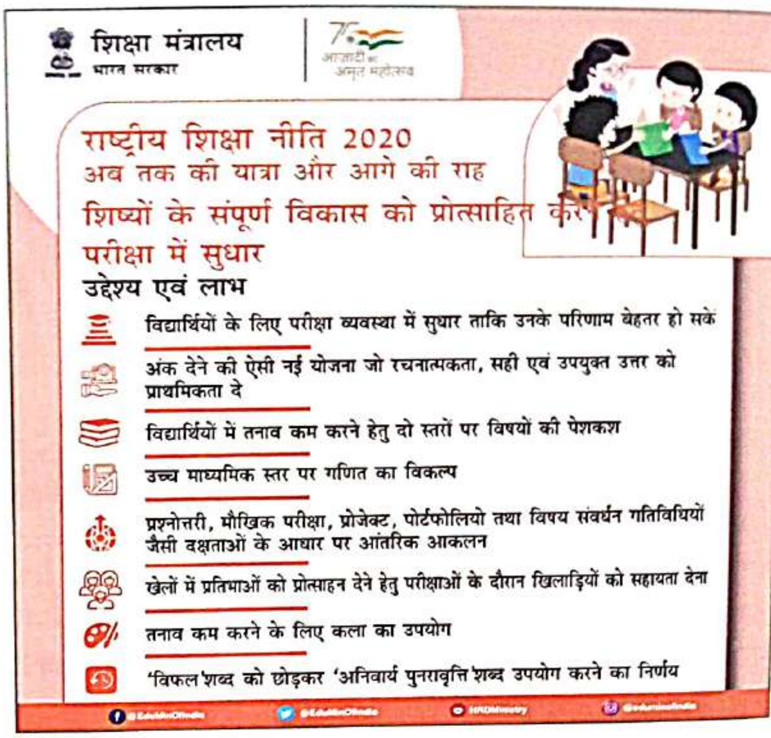

स्तर पर ध्यानपूर्वक बनाई गई और कार्यान्वित आकलन प्रक्रिया से नीति-निर्माताओं को विशेष भौगोलिक एवं विविध सामाजिक-आर्थिक समूहों में पढ़ाई के स्तर के साथ तंत्र के समग्र प्रदर्शन की जानकारी मिलेगी। सीखने का सामर्थ्य देने की आकलन की भूमिका को प्रधानता मिलनी चाहिए - इसके लिए इसमें शामिल सभी हितधारकों-शिक्षकों, स्कूलों, अभिभावकों और तंत्र को यह समझाना होगा कि आकलन का उद्देश्य विद्यार्थियों को सीखने में समर्थ बनाना और शिक्षा के लक्ष्यों को साकार करने में मदद देना है।

नीति में बोर्ड परीक्षाओं का कायाकल्प करने हेतु भी कुछ ठोस सुझाव दिए गए हैं। किसी भी प्रभावकारी स्कूली व्यवस्था में प्रमाणन का विश्वसनीय एवं मज़बूत तंत्र होना चाहिए। बोर्ड 10-12 वर्ष की स्कूली शिक्षा के बाद प्रामाणन देते हैं। इतने वर्षों में नीतियों में बोर्ड परीक्षाओं के डिज़ाइन तथा कार्यान्वयन को लेकर कुछ प्रमुख मुद्दों को उठाया गया और विशिष्ट सुझाव दिए गए हैं। एनईपी 2020 बोर्ड परीक्षाओं को पुनः संरचित (डिज़ाइन) करने का सुझाव देती है जो उन्हें और अधिक प्रमाणिक बनाए, शैक्षिक तनाव एवं दबाव कम करे और कोचिंग संस्कृति को हतोत्साहित करे। बोर्ड परीक्षाओं में मुख्य तौर पर रटन्त क्षमता से ज्यादा मूलभूत सामर्थ्य का आकलन होना चाहिए। ऐसी प्रमाणन परीक्षाओं को अध्ययन की किसी एक शाखा में सीखी गई विषय वस्तु या किताबी सामग्री के ज्ञान को आंकने की बजाय सम्पूर्ण अध्ययन तथा विकास पर अधिक ध्यान देना चाहिए। इस संदर्भ में एनईपी 2020 बोर्ड परीक्षाओं से जुड़े वर्तमान तनाव एवं बेचैनी को कम करने हेतु विद्यार्थियों को विकल्प और उपाय देती है।

उपरोक्त सुधार सुझावों के साथ एनईपी 2020 में समग्र, 360-डिग्री, बहुआयामी रिपोर्ट की ज़रूरत पर भी चर्चा की गई है जिसमें संज्ञात्मक, भावनात्मक तथा मनो-प्रेरक क्षेत्रों में हर विद्यार्थी की विशिष्टता के साथ-साथ प्रगति का विस्तार से उल्लेख किया गया है। हालांकि यह इन सुधारों का दायरा व्यापक प्रतीत हो सकता है, पर लागू होने पर ये सुधार श्रेष्ठ आकलन व्यवस्था की दिशा में बढ़ने का आधार तैयार करेंगे। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए कुछ सिद्धांतों का पालन करना होगा जिनका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है:

सीखने का सामर्थ्य देने की आकलन की भूमिका को प्रधानता मिलनी चाहिए - इसके लिए इसमें शामिल सभी हितधारकों-शिक्षकों, स्कूलों, अभिभावकों और तंत्र को यह समझाना होगा कि आकलन का उद्देश्य विद्यार्थियों को सीखने में समर्थ बनाना और शिक्षा के लक्ष्यों को साकार करने में मदद देना है।

पहला सिद्धांत हितधारकों के बीच आम सहमति बनाना है। हमारी शिक्षा व्यवस्था में संस्थाओं तथा मुख्य हितधारकों के बीच संवाद का अक्सर अभाव रहता है। इस तरह बातचीत से नए विचार उभर कर आते हैं जिनसे सक्रिय गठजोड़ बनते हैं। संस्थाओं को सक्रियता से सहयोग तथा संवाद जारी रखना चाहिए। उदाहरण के लिए एनसीईआरटी, एससीईआरटी और राज्यों के बोर्ड को पाठ्यचर्या, पाठ्यक्रम तथा संबंधित आकलनों में सुधार हेतु मिलकर काम करना चाहिए। किसी एक में सुधार न होने से दूसरे में सुधार करना असंभव है। पाठ्यचर्या के लक्ष्य तथा आकलन प्रक्रियाओं के बीच गहरे सामंजस्य को समझना भी बहुत महत्वपूर्ण है इसलिए यह जरूरी है कि यह दृष्टिकोण विकसित करने वाली संस्थाएं मिलकर काम करें। यह सहयोग केवल सरकारी संस्थाओं तक सीमित नहीं रहना चाहिए। ऐसे निर्णय करते समय प्रतिष्ठित संगठनों, विश्वविद्यालयों और शोधकर्ताओं से भी सलाह ली जानी चाहिए।

दूसरा सिद्धांत यह है कि हमें हितधारकों के बीच यह सहमति पैदा करनी होगी कि ऐसी कौन सी मूलभूत और अनिवार्य दक्षताएं हैं जिनका मूल्यांकन विभिन्न आकलन प्रणालियों के ज़रिए करना आवश्यक है। इसके लिए हमें सभी विषयों के लिए सीखने के प्रासंगिक मानकों, दक्षता ढांचों तथा आकलन प्रक्रियाओं की जरूरत है। अध्ययन मानकों से हितधारकों को साझा अनुदेशावली मिलेगी। इन

मानकों में, उच्च-स्तरीय चिंतन कौशल, 21वीं सदी के कौशल तथा उन सामाजिक-आर्थिक कौशल को ध्यान में रखा जाना चाहिए जो विद्यार्थियों के सम्पूर्ण विकास के लिए जरूरी है। यह मानक और ढांचे ऐसे होने चाहिए जिनसे शिक्षकों, पाठ्यचर्या निर्धारकों तथा बोर्ड परीक्षा प्रश्नपत्र बनाने वालों को उपयुक्त और प्रासंगिक दक्षताओं के आकलन के लिए समुचित दिशा मिल सके। इससे सभी बोर्डों के बीच समकक्षता आएगी जिसका हमारी वर्तमान स्कूली शिक्षा व्यवस्था में अभाव है। मानकों और प्रक्रियाओं के ऐसे साझा दायरों के अभाव में विभिन्न शिक्षा बोर्डों के विद्यार्थियों के प्रदर्शन की तुलना करना व्यावहारिक रूप से असंभव है। इन मानकों और प्रक्रियाओं का निर्धारण मिलकर करना तथा मुख्य हितधारकों के बीच प्रचारित करना आवश्यक है।

एनईपी 2020 बोर्ड परीक्षाओं को पुनः संरचित (डिज़ाइन) करने का सुझाव देती है जो उन्हें और अधिक प्रामाणिक बनाए, शैक्षिक तनाव एवं दबाव कम करे और कोचिंग संस्कृति को हतोत्साहित करे। बोर्ड परीक्षाओं में मुख्य तौर पर रटन्त क्षमता से ज्यादा मूलभूत सामर्थ्य का आकलन होना चाहिए।

तीसरा सिद्धांत यह है कि बोर्डों के संदर्भ में, नीति में किसी तरह के बदलाव करते समय कक्षा तथा स्कूल दोनों के स्तर पर और उसके साथ-साथ व्यवस्था के स्तर पर आकलन में बदलाव करना होगा। अतः इन बदलावों को सफलतापूर्वक अपनाने के लिए जरूरी है कि शिक्षकों, अभिभावकों, स्कूल प्रधानाचार्यों, ब्लॉक/जिला अधिकारियों आदि मुख्य हितधारकों के बीच जागरूकता पैदा की जाए। बोर्ड नीति में किसी भी बदलाव के पीछे औचित्य एवं प्रेरणा के बारे में इन बदलावों से प्रभावित सभी हितधारकों को स्पष्टता से बताया जाना चाहिए।

चौथा सिद्धांत यह है कि आकलन एवं मूल्यांकन के कार्य का दायित्व वहन करने वाले प्रमुख हितधारकों को, आकलन के विभिन्न पहलुओं के बारे में, क्षमता निर्माण की सुविधा निरंतर दी जाती रहे। शिक्षकों को अधिक विश्वसनीय तथा प्रामाणिक आकलन करने का सामर्थ्य प्रदान करने हेतु सम्पूर्ण आकलन दिशा-निर्देश, पुस्तिकाएं तथा नियमावली, आकलन के अनुकरणीय साधन तथा प्रक्रियाएं उपलब्ध कराना भी आवश्यक है। प्रामाणिक एवं विश्वसनीय आकलन प्रक्रिया के निर्धारण, क्रियान्वयन एवं उपयोग की शिक्षकों की क्षमता को नियमित प्रशिक्षण के जरिए बढ़ाया जाना चाहिए। आकलन के परिणामों का विश्लेषण करने, रिपोर्ट देने तथा उनका उपयोग करने के लिए शिक्षकों की क्षमता विकसित करना भी आवश्यक है। सबसे पहले शिक्षक ही विद्यार्थियों का आकलन करते हैं, इसलिए उन्हें हर बच्चे की व्यक्तिगत ज़रूरतों के आधार पर सिखाने-सीखने तथा मूल्यांकन करने की प्रक्रिया के बारे निर्णय लेने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। अपनी स्वायत्तता का उपयोग करने के लिए शिक्षक को स्कूल प्रधान के समर्थन की ज़रूरत होती है। उनसे मिले भरोसे, समर्थन तथा प्रोत्साहन से शिक्षकों का मनोबल बढ़ेगा और वे नए दृष्टिकोण को अपनाने की दिशा में और अधिक विश्वास के साथ बढ़ सकेंगे।

प्रामाणिक एवं विश्वसनीय आकलन प्रक्रिया के निर्धारण, क्रियान्वयन एवं उपयोग की शिक्षकों की क्षमता को नियमित प्रशिक्षण के जरिए बढ़ाया जाना चाहिए। आकलन के परिणामों का विश्लेषण करने, रिपोर्ट देने तथा उनका उपयोग करने के लिए शिक्षकों की क्षमता विकसित करना भी आवश्यक है।

इन सुधारों पर अमल करने के लिए शिक्षकों के अलावा, प्रश्नपत्र बनाने वालों, बोर्ड परीक्षाओं के मूल्यांकनकर्ताओं तथा परीक्षा नियंत्रकों के प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण की व्यवस्था भी होनी चाहिए।

आकलन प्रक्रिया में सुधारों को सुसाध्य करने के लिए सीबीएसई निरंतर बदलाव कर रहा है। बोर्ड ने एनईपी 2020 में शिक्षण पद्धति तथा आकलन प्रक्रिया में सुझाए गए विभिन्न सुधारों के बारे में शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया है। बोर्ड परीक्षाओं में प्रमुख दक्षताओं को शामिल करने हेतु बोर्ड ने पिछले कुछ वर्षों में विभिन्न ठोस उपाय अपनाए हैं। परीक्षा विधियों की विश्वसनीयता एवं प्रामाणिकता का मूल्यांकन करने के लिए उसने अपने प्रमाणन परीक्षा (बोर्ड) प्रश्नपत्रों की व्यापक समीक्षा की है।

दक्षता आधारित शिक्षा प्रणाली को लागू करने में शिक्षकों को समर्थन देने के लिए माध्यमिक तथा उच्च माध्यमिक स्तर पर विभिन्न विषयों के लिए सीखने के मानकों के ढांचे को एनसीईआरटी के शिक्षा परिणामों के अनुरूप विकसित किया गया है। इसके अतिरिक्त विकास के सभी पहलुओं में विद्यार्थियों की प्रगति पर बराबर नज़र रखने हेतु सम्पूर्ण प्रगति कार्ड (एचपीसी) बनाए गए हैं। शैक्षिक वर्ष में केवल एक बार अंकों के आधार पर बच्चों की उपलब्धियां आंकने वाले पारंपरिक रिपोर्ट कार्ड की बजाय एचपीसी घर और स्कूल के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी स्थापित करेगा तथा संज्ञात्मक, भावनात्मक एवं मनो-प्रेरक क्षेत्रों में प्रत्येक विद्यार्थी की विशिष्टता को बताएगा। परीक्षा विकास एवं मानकीकरण के मानकों तथा प्रक्रियाओं में बोर्ड कर्मियों में क्षमता के निर्माण की दिशा में भी प्रयास किए गए हैं। प्रश्न पत्र तैयार करने वालों की सुविधा के लिए पुस्तिकाएं, निर्देशपुस्तिकाएं तथा अन्य संदर्भ सामग्री तैयार की गई हैं। सीबीएसई ने इन बदलावों पर अमल के लिए विभिन्न सरकारी एवं मुनाफा न कमाने वाले संस्थानों के साथ गठजोड़ किया है।

आकलन प्रक्रिया सुधारों पर अब कई दशकों से चर्चा चल रही है। पहले की रिपोर्टों एवं नीतियों में सुधार के जिन प्रमुख क्षेत्रों की ओर इशारा किया गया है एनईपी 2020 में उन्हें दोहराया गया है। अतः हमें मौजूदा आधार पर आगे निर्माण करना होगा, पहले की सफल विधियों से सीखना होगा। अब तक जो सबक मिले हैं वे महत्वपूर्ण हैं। देशभर में आकलन व्यवस्था को जैसे समझने और उपयोग करने के मौजूदा तरीकों को बदलने के लिए हमारे प्रयासों तथा समाधानों में रचनात्मकता एवं नई सोच होनी चाहिए। परिकल्पित प्रक्रियाओं एवं व्यवस्थाओं की दिशा में निरंतर प्रयत्नशील रहना सभी कार्यों का आधार होना चाहिए- श्रेष्ठ पद्धतियों का भंडार बनाने के साथ-साथ संस्थाओं के बीच संवाद एवं सामूहिक कार्रवाई से प्रयासों को एकजुट किया जा सकेगा। ■

शिक्षकों का सशक्तीकरण

संतोष सारंगी

21वीं सदी की चुनौतियों का सामना करने के लिए आवश्यक उच्च मानकों के शिक्षित और कुशल व्यक्तियों के साथ एक ज्ञानवान समाज बनने की भारत की आकांक्षा के लिए हमें अपनी स्कूली शिक्षा प्रणाली की मजबूत नींव सुनिश्चित करने की आवश्यकता होगी। समानता, गुणवत्ता, सुलभता और सामर्थ्य के सिद्धांतों के आधार पर, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 में बच्चों के साथ-साथ शिक्षकों पर भी ध्यान केंद्रित किया गया है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति का घोषित लक्ष्य शिक्षकों को फिर से समाज के सबसे सम्मानित सदस्यों के रूप में स्थान देना है। इसमें शिक्षकों के सशक्तीकरण को एक आवर्ती विषय बनाए रखा गया है, और यह समझा जाता है कि गुणवत्ता तथा जवाबदेही सुनिश्चित करते हुए उनकी 'आजीविका, सम्मान, गरिमा और स्वायत्तता' सुनिश्चित करके इसे प्राप्त किया जा सकता है।

शिक्षक का प्रशिक्षण

भारत में प्राचीन समय में, 'गुरुकुल' में शिक्षण वास्तव में बहु-विषयक था क्योंकि यह जीवन कौशल, मार्शल कौशल और 'वेदों' की शिक्षा प्रदान करने पर केंद्रित था। बौद्ध धर्म के प्रसार के दौरान भारत में शिक्षकों के प्रशिक्षण की एक औपचारिक प्रणाली शुरू की गई थी। मठवासी व्यवस्था प्रचलित थी जिसमें प्रत्येक शिक्षार्थी को एक उपदेशक (उपाज्जय) की देखरेख और मार्गदर्शन में रखा जाता था।

भारत में स्कूली शिक्षा और शिक्षण की वर्तमान शैली का उदय ब्रिटिश शासन के दौरान हुआ। विक्टोरियन स्कूली शिक्षा प्रणाली से प्रेरित होकर, यह प्रणाली एक व्यवहारवादी प्रतिमान पर केंद्रित थी जहां शिक्षा का संबंध विद्यार्थियों को ब्रिटिश प्रशासन के कार्यों को विनम्रतापूर्वक निष्पादित करने के लिए अंग्रेजी बोलने वाले अनुशासित क्लर्कों को तैयार करने से था। इसने शिक्षकों को भी मुख्य रूप से कक्षा में शिक्षण के लिए एक मैकेनिक के रूप में तैयार किया था।

राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा (एनसीएफ)-2005, शिक्षक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा (एनसीएफटीई) 2009, और शिक्षा का अधिकार अधिनियम की सफल शुरुआत के साथ, भारत में शिक्षक शिक्षा की प्रणाली में धीमी गति से बदलाव आया। समय के साथ, रट कर याद करने के बजाय ज्ञान की तामीर पर जोर दिया गया। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 और शिक्षक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा, 2009 के बाद, शिक्षक शिक्षा कार्यनीति का उद्देश्य शिक्षकों को जानकारी के द्वारपाल के बजाय ज्ञान के सूत्रधार बनने के साथ-साथ शिक्षण को कम पाठ्यपुस्तक-उन्मुख बनाना और ज्ञान को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ना है।

2012 में न्यायमूर्ति वर्मा आयोग ने भी पूर्व-सेवा और सेवाकालीन शिक्षक शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार की आवश्यकता पर बल दिया था। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने 2014 में, बी.एड कार्यक्रम का पुनर्गठन किया और इस की अवधि को दोगुना करके दो वर्ष कर दिया। राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) द्वारा तैयार किए गए नए शिक्षक शिक्षा पाठ्यक्रम में योग शिक्षा, आईसीटी, शांति तथा मूल्य शिक्षा, स्वास्थ्य तथा शारीरिक शिक्षा, पर्यावरण शिक्षा और जनसंख्या शिक्षा जैसे कई बदलाव किए गए।

चुनौतियां

शिक्षक शिक्षा के साथ कुछ चुनौतियों के कारण प्रशिक्षण और भर्ती की प्रणाली सहित इस क्षेत्र पर विपरीत प्रभाव पड़ा है। राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) ने अभी तक, 690840 विद्यार्थियों के लिए प्रवेश क्षमता वाले 11139 डी.एल.एड पाठ्यक्रमों को मंजूरी

लेखक भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग में अपर सचिव हैं। ईमेल: santosh.sarangi@nic.in

दे दी है। इसी प्रकार, 937660 विद्यार्थियों की प्रवेश क्षमता के साथ 9455 बी.एड पाठ्यक्रम पंजीकृत किए गए हैं। यह संख्या नए शिक्षकों की वार्षिक आवश्यकता से काफी अधिक है जो 3.5 से 4 लाख के बीच होगी। शिक्षक शिक्षा संस्थान बाकी उच्च शिक्षा संस्थानों से अलग हटकर काम कर रहे हैं। पूर्ण व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक बहु-विषयक शिक्षा, शिक्षक शिक्षा संस्थानों में नहीं दी जाती रही है। यह सुनिश्चित करने के लिए कोई प्रणाली नहीं है कि केवल अभिप्रेरित और मेधावी व्यक्ति शिक्षण को व्यवसाय के रूप में चुनें।

शिक्षकों को, आज न केवल पाठ्यपुस्तकों में पाठ्यक्रम के साथ, बल्कि विद्यार्थियों को सक्षम बनाने वाली, हमेशा विकसित होने वाली तकनीकों, बदलते बाजार के रुझानों के साथ-साथ संस्कृति और मान्यताओं के अनुरूप खुद को लगातार अद्यतन करने की आवश्यकता है। शिक्षकों को भी बच्चे के विकास में माता-पिता, समुदाय के साथ-साथ स्कूल प्रबंधन का सहयोग करने में अधिक जागरूक भूमिका निभाने की आवश्यकता है। जैसे-जैसे तकनीक और मिश्रित शिक्षा हमारे दैनिक जीवन का हिस्सा बनती है, और दुनिया में पेशेवरों और व्यक्तियों के रूप में सफल होने के लिए जीवन कौशल जैसे सहयोगात्मकता, रचनात्मकता तथा जिज्ञासा और अधिक आवश्यक हो जाती है, शिक्षकों को भी विद्यार्थियों को सलाह देने और जो पाठ्यक्रम पढ़ाते हैं उसके साथ वास्तविक जीवन के अनुभवों और कौशल को जोड़ने की आवश्यकता होती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि दुनिया में अग्रणी तथा उद्यमशील बनने वाले युवाओं में सीखने और आविष्कार की खुशी को बढ़ावा देने के लिए शिक्षण को विद्यार्थी-केंद्रित और आनंदमय होना चाहिए। इसे ध्यान में रखते हुए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 में शिक्षक शिक्षा के पहलुओं को संशोधित करने का प्रस्ताव किया गया है, जिसमें देश में शिक्षक शिक्षा के लिए प्रभावी कार्रवाई के माध्यम से इसकी संरचना, विनियमन और संचालन सहित मौजूदा प्रवृत्तियों के अनुरूप, मानकों को बढ़ाने और ईमानदारी, विश्वसनीयता, प्रभावकारिता और उच्च गुणवत्ता को बहाल करने का प्रस्ताव है। 'शिक्षक की शक्ति' को स्वीकार करते हुए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 में प्रणालीगत सुधार किए गए हैं जो 'शिक्षण' को प्रतिभाशाली युवाओं की पसंद के आकर्षक पेशे के रूप में उभरने में मदद करेंगे और एकीकृत शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम (आईटीईपी) शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय व्यावसायिक मानक (एनपीएसटी), स्कूलों के लिए राष्ट्रीय परामर्श मिशन (एनएमएम) और एक वर्ष में प्रत्येक शिक्षक के लिए कम से कम 50 घंटे का सतत व्यावसायिक विकास (सीपीडी) जैसे विभिन्न कार्यक्रम हैं।

राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 और शिक्षक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा, 2009 के बाद, शिक्षक शिक्षा कार्यनीति का उद्देश्य शिक्षकों को जानकारी के द्वारपाल के बजाय ज्ञान के सूत्रधार बनने के साथ-साथ शिक्षण को कम पाठ्यपुस्तक-उन्मुख बनाना और ज्ञान को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ना है।

चार वर्षीय एकीकृत शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम (आईटीईपी), एक दोहरी प्रमुख समग्र स्नातक डिग्री कार्यक्रम है जो बी.ए. बी.एड/बी.एससी बी.एड और बी.कॉम. बी.एड, शिक्षकों के लिए न्यूनतम प्रवेश आवश्यकता होगी। चूंकि, व्यक्तियों के समग्र विकास के लिए बहु-आयामी माहौल महत्वपूर्ण है, बहु-विषयक विश्वविद्यालयों और संस्थानों को मनोविज्ञान, दर्शन, समाजशास्त्र, तंत्रिका विज्ञान, भाषा, कला,

विज्ञान आदि जैसे अन्य विभागों के सहयोग से शिक्षा विभाग स्थापित करने और शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम चलाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। स्वतंत्र रूप से कार्यरत सभी शिक्षक शिक्षा संस्थानों (टीईआई) को 2030 तक बहु-विषयक संस्थानों में बदलना होगा।

एकीकृत शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत अत्याधुनिक शिक्षाशास्त्र पढ़ाया जाएगा और प्रारंभिक बचपन देखभाल तथा शिक्षा (ईसीसीई), मूलभूत साक्षरता तथा संख्यात्मकता (एफएलएन), खिलौना-आधारित शिक्षाशास्त्र, मंच-आधारित शिक्षाशास्त्र, समग्र शिक्षा और भारत तथा इसके मूल्यों / लोकाचार / कला / परंपराओं की समझ प्रदान करेगा। कक्षा में प्रशिक्षण और इंटर्नशिप भी कार्यक्रम का अनिवार्य हिस्सा होंगे। शिक्षकों से अपेक्षा की जाती है कि वे बच्चे के सामाजिक, शारीरिक, भावनात्मक, संज्ञानात्मक, नैतिक और सुरुचि संबंधी विकास के बारे में अच्छी जानकारी रखते हों और साथ ही उन्हें अपने शिष्यों के लिए प्रासंगिक शिक्षण, सामग्री, शिक्षा के माध्यम के साथ-साथ सीखने के तरीकों का उपयोग करने का अनुभव भी हो। शिक्षकों से यह भी अपेक्षा की जाती है कि वे उन बच्चों की विभिन्न आवश्यकताओं को समझें जो सामाजिक तथा आर्थिक रूप से वंचित समूहों से आते हैं और विशेष आवश्यकता वाले हैं जिन्हें अपने साथियों की तुलना में अधिक सहायता और सहयोग की आवश्यकता होती है।

जैसे-जैसे तकनीक और मिश्रित शिक्षा हमारे दैनिक जीवन का हिस्सा बनती है, और दुनिया में पेशेवरों और व्यक्तियों के रूप में सफल होने के लिए जीवन कौशल जैसे सहयोगात्मकता, रचनात्मकता तथा जिज्ञासा और अधिक आवश्यक हो जाती है, शिक्षकों को भी विद्यार्थियों को सलाह देने और जो पाठ्यक्रम पढ़ाते हैं उसके साथ वास्तविक जीवन के अनुभवों और कौशल को जोड़ने की आवश्यकता होती है।

शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय व्यावसायिक मानकों (एनपीएसटी) में निरंतरता से व्यवसाय के विभिन्न चरणों में विशेषज्ञता/अनुभव और आवश्यक दक्षताओं के विभिन्न स्तरों पर शिक्षकों की भूमिका के लिए आकांक्षाओं को पूरा किया जा सकेगा। जैसे ही यह पूरी तरह से विकसित होगा, कॅरिअर पदोन्नति, वित्तीय प्रोत्साहन आदि से शिक्षकों को व्यावसायिक क्षमता के अगले स्तर के लिए प्रयास करने में सक्षम करेगा। शिक्षकों द्वारा स्व-मूल्यांकन के लिए एक तकनीकी-सक्षम प्लेटफॉर्म और मान्यता प्राप्त निकायों (एससीईआरटी / डाइट सहित) की एक विस्तृत शृंखला शुरुआती शिक्षक, कुशल शिक्षक, विशेषज्ञ शिक्षक और प्रमुख शिक्षक का आकलन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय व्यावसायिक मानक के तहत विशेषज्ञता बढ़ाने, गहरी सामाजिक-मनोवैज्ञानिक समझ, शिक्षाशास्त्र में नई विधियों, शिक्षा में प्रौद्योगिकी के उपयोग और नेतृत्व कौशल में सेवाकालीन शिक्षकों की सहायता के लिए ऑनलाइन, ऑफलाइन और मिश्रित मॉड्यूल की उपलब्धता की योजना बनाई जा रही है। शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय व्यावसायिक मानक, शिक्षकों के बीच आवश्यक कौशल, दक्षता, मनोवृत्ति और ज्ञान के स्पष्ट मानक स्थापित करते हैं जो शिक्षकों के बीच अपने क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ होने के साथ-साथ कॅरिअर की प्रगति के लिए स्पष्ट मार्ग निर्धारित करने के लिए व्यावसायिकता तथा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की भावना को भी बढ़ावा देगा।

एनसीटीई द्वारा स्कूलों के लिए नैशनल मेंटरिंग मिशन (एनएमएम) का संचालन, मेंटियों (स्कूल शिक्षकों, प्रधानाध्यापकों, शिक्षक शिक्षकों, आदि) के लिए संभावित सलाहकारों के रूप में उत्कृष्ट वरिष्ठ/सेवानिवृत्त शिक्षकों का एक बड़ा पूल बनाकर किया जाएगा, इसमें परामर्शदाता और परामर्श पाने वाले की उम्र या स्थिति कुछ भी हो सकती है। ये हमारे देश के 21वीं सदी के विकासात्मक लक्ष्यों को साकार करने में योगदान देंगे। मेंटरिंग, ज्ञान के अनौपचारिक/औपचारिक प्रसारण और प्राप्तकर्ता द्वारा काम, कॅरिअर या पेशेवर विकास के लिए प्रासंगिक मनोसामाजिक समर्थन के लिए एक प्रक्रिया है। नैशनल मेंटरिंग मिशन, शिक्षकों और शिक्षक शिक्षकों को लघु और दीर्घकालिक सलाह/पेशेवर सहयोग के महत्व को रेखांकित करता है।

स्कूल शिक्षा विभाग, राष्ट्रीय शिक्षा एवं अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद-एनसीईआरटी राज्य सरकारों और राज्य शिक्षा एवं अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद-एससीईआरटी के साथ मिलकर काम कर रहा है ताकि शिक्षकों को निरंतर व्यावसायिक विकास में सहायता के लिए अल्पकालिक मॉड्यूल तैयार किया जा सके। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 प्रत्येक शिक्षक के, प्रति वर्ष कम से कम 50 घंटे व्यावसायिक विकास जारी रखने की परिकल्पना करता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति -2020 के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए, हाल में एनसीईआरटी ने शिक्षा मंत्रालय के तत्वावधान में, राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों और स्वायत्त निकायों के सहयोग से स्कूली शिक्षा के विभिन्न चरणों- शिक्षकों, प्रधान शिक्षकों / प्रधानाचार्य, और शैक्षिक प्रबंधन तथा प्रशासन में अन्य हितधारकों के लिए निष्ठा (स्कूल प्रमुखों और शिक्षकों की समग्र उन्नति के लिए राष्ट्रीय पहल) एकीकृत प्रशिक्षण कार्यक्रम 1.0, 2.0 और 3.0 ऑनलाइन प्रारंभ किया है।

निष्कर्ष

अतीत में यह स्पष्ट रूप से स्थापित हो चुका है कि पूर्व-सेवा और सेवाकालीन शिक्षक पर ध्यान केंद्रित करने से विद्यार्थियों के सीखने के परिणाम पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति -2020 द्वारा अपनाए गए बहुआयामी दृष्टिकोण से शिक्षक शिक्षा को पुनर्जीवित करने की संभावना है, प्रतिभावान विद्यार्थी अपनी पसंद के तौर पर आईटीईपी को चुन सकते हैं, और एनपीएसटी, एनएमएम, सीपीडी आदि जैसे कार्यक्रम शिक्षकों की शैक्षणिक गुणवत्ता के सुधार में योगदान कर सकते हैं। साथ ही उप-समान शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों और डी.एल.एड पाठ्यक्रमों को भी चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने के प्रयास करने होंगे।

डॉ ए पी जे अब्दुल कलाम ने कहा था "प्रबुद्ध नागरिकता के तीन घटक होते हैं: मूल्य प्रणाली के साथ शिक्षा, धर्म को आध्यात्मिक शक्ति में बदलना और विकास के माध्यम से आर्थिक समृद्धि लाना।" हम अपने शिक्षकों में युवा पीढ़ी के लिए मशाल वाहक बनने और भारत के विकास तथा निरंतर प्रगति को सही दिशा में आकार देने के लिए विश्वास करते हैं। ■

युवाओं का कौशल विकास

संतोष यादव

भारत अपनी आज़ादी के 75वें वर्ष का जश्न मना रहा है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने कहा है- "आज के युवा, जिनका जन्म 21वीं सदी में हुआ है, भारत की आज़ादी के 100वें वर्ष तक भारत की विकास यात्रा को आगे बढ़ाने जा रहे हैं। इसलिए इस नई पीढ़ी के युवाओं का कौशल विकास एक राष्ट्रीय आवश्यकता है; यह आत्मनिर्भर भारत की आधारशिला है।"

ऐतिहासिक रूप से, 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बाद से स्कूलों में व्यावसायिक शिक्षा को उच्च प्राथमिकता दी गई है और माध्यमिक शिक्षा के व्यवसायीकरण की केंद्र प्रायोजित योजना, 1988 में शुरू की गई थी। बुनियादी ढांचे, वित्त और नीति में विभिन्न बाधाओं को ध्यान में रखते हुए, योजना को 2011 में संशोधित किया गया था। इसके बाद 2014 में इसमें फिर से संशोधन किया गया जिसका विशिष्ट उद्देश्य, सामान्य शैक्षणिक शिक्षा के साथ व्यावसायिक शिक्षा को एकीकृत करना; युवाओं की रोजगार क्षमता में वृद्धि करना; शिक्षित तथा रोजगार योग्य के बीच की खाई को पाटना और अकादमिक उच्च शिक्षा पर दबाव कम करना है। वर्तमान में, इस योजना को केंद्र प्रायोजित योजना 'समग्र शिक्षा' के हिस्से के रूप में कार्यान्वित किया जा रहा है और इसे राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क (एनएसक्यूएफ) के साथ जोड़ा गया है। व्यावसायिक विषयों को माध्यमिक स्तर पर एक अतिरिक्त विषय के रूप में और उच्चतर माध्यमिक स्तर पर एक अनिवार्य वैकल्पिक विषय के रूप में शुरू किया गया है। इस योजना में सरकारी स्कूल और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल शामिल हैं।

इस परिकल्पना का एक महत्वपूर्ण लक्ष्य लाखों बच्चों को उनके स्कूल के वर्षों में एकीकृत और समग्र तरीके से कौशल शिक्षा प्रदान करना है। समग्र शिक्षा के अंतर्गत 14,435 विद्यालयों को व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करने की स्वीकृति प्रदान की गई है।

व्यावसायिक शिक्षा का कार्यान्वयन पिछले छह वर्षों में लगभग 10 गुना बढ़ा है। देश भर में व्यावसायिक शिक्षा देने वाले स्कूलों की संख्या 2014-15 में केवल 960 थी जो 2021-22 में बढ़कर 11,710 हो गई है।

वर्तमान में, 1.5 मिलियन से अधिक विद्यार्थी अपने माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक पाठ्यक्रम के एक भाग के रूप में समग्र शिक्षा के तहत व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। उन्हें एक प्रशिक्षित प्रशिक्षक की मदद से स्कूल में ही विषय विशिष्ट प्रयोगशाला में सीखने की सुविधा प्रदान की जाती है।

कृषि, मोटर वाहन, सौंदर्य तथा आरोग्य, निर्माण, इलेक्ट्रॉनिक्स, स्वास्थ्य देखभाल, आईटी /आईटीईएस, मीडिया तथा मनोरंजन, नलसाजी, खुदरा, पर्यटन और आतिथ्य आदि जैसे 20 क्षेत्रों से माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्तर पर 62 कौशल पाठ्यक्रम उपलब्ध हैं।

सीबीएसई भी व्यावसायिक शिक्षा को समग्र शिक्षा का एक महत्वपूर्ण घटक मानता रहा है। सीबीएसई द्वारा पेश किए जाने वाले व्यावसायिक पाठ्यक्रम के लिए स्कूलों और विद्यार्थियों के लिए प्रासंगिक योग्यता-आधारित पाठ्यक्रमों में से चुनने के लिए व्यापक विकल्प प्रदान किए जाते हैं। वर्तमान में, सीबीएसई से संबद्ध स्कूलों सहित, देश में माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में लगभग 35 लाख विद्यार्थी, व्यावसायिक पाठ्यक्रम ले रहे हैं।

जैसा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में उल्लेख किया गया है, "शिक्षा का उद्देश्य न केवल संज्ञानात्मक विकास होगा, बल्कि चरित्र निर्माण और 21 वीं सदी के प्रमुख कौशल से लैस समग्र और बहुमुखी प्रतिभा वाले व्यक्तियों का निर्माण करना होगा।" यद्यपि स्कूलों में कौशल शिक्षा इस उद्देश्य की दिशा में एक साधन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में आने वाली विभिन्न चुनौतियों का भी उल्लेख किया है जैसे व्यावसायिक शिक्षा से जुड़ी कथित सामाजिक स्थिति पदानुक्रम और 12 वीं के विद्यार्थियों के लिए सभी स्तरों पर शिक्षा की मुख्यधारा के साथ इसके एकीकरण की कमी।

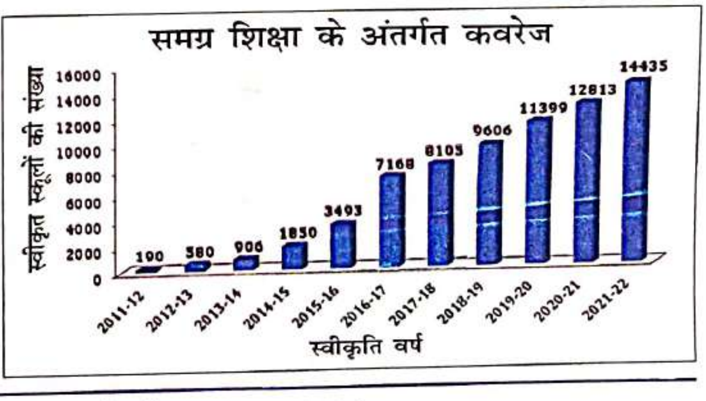

लेखक भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग में संयुक्त सचिव हैं। ईमेल: yadavsk.up@nic.in

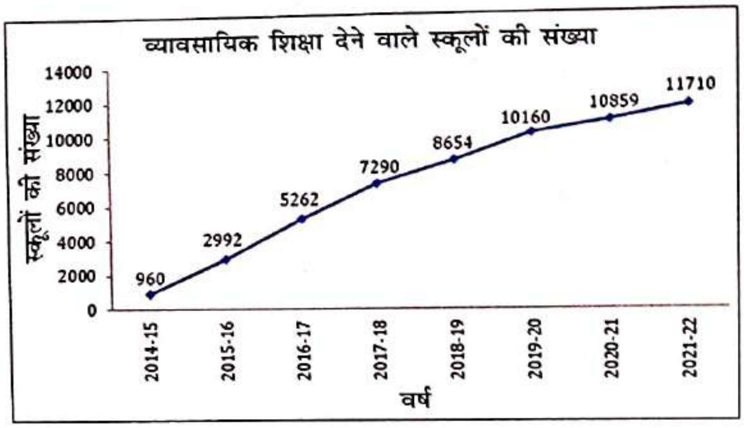

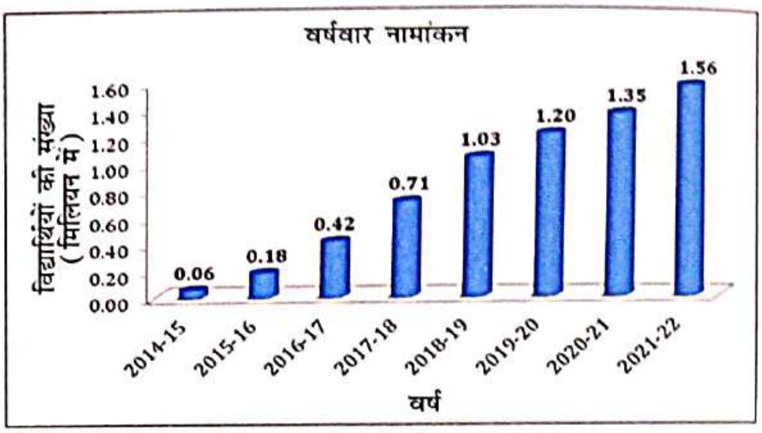

राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने इसलिए एक यह भी लक्ष्य निर्धारित किया है कि 2025 तक, स्कूल और उच्च शिक्षा प्रणाली के माध्यम से कम से कम 50 प्रतिशत शिक्षार्थियों को व्यावसायिक शिक्षा दी जाएगी, जिससे वे कम से कम एक व्यवसाय सीख सकें तथा अगले दशक में चरणबद्ध तरीके से व्यावसायिक शिक्षा को सभी स्कूलों और उच्च शिक्षा संस्थानों में शामिल करके उन्हें कई और व्यवसायों में शामिल कर सकें। महत्वपूर्ण रूप से, राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020, स्कूलों में व्यावसायिक शिक्षा के विभिन्न मॉडलों को भी प्रोत्साहित करती है ताकि स्थानीय रूप से प्रासंगिक कौशल शिक्षा को उचित तरीके से पेश किया जा सके।

आइए, हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को आगे बढ़ाने के लिए किए जा रहे प्रयासों पर चर्चा करें।

बच्चे को केंद्र में रखना

व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करने के किसी भी कार्यक्रम के लिए बच्चे को केंद्र में रखने और उसके द्वारा प्राप्त किए जा रहे परिणामों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। इसलिए स्कूल के प्रत्येक स्तर (प्राथमिक, माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक) पर उम्र के अनुरूप और अनुकूलित व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करने का प्रयास किया जाता है।

उच्च प्राथमिक स्तर (ग्रेड 6-8) में व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रावधान किए गए हैं, जिसका उद्देश्य विद्यार्थियों को एक क्षेत्र में विभिन्न व्यवसायों के लिए आवश्यक कौशल के साथ खुद के अनुकूलन के अवसर प्रदान करना और उन्हें उच्च कक्षाओं में अपने विषयों का चयन करने में सक्षम करना है। कक्षा 6 से 8 तक शुरू किया जाने वाला पूर्व-व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रम मुख्य रूप से गतिविधि-आधारित शिक्षण-लर्निंग पर केंद्रित होगा। यह न केवल किताबी ज्ञान और व्यावहारिक ज्ञान के बीच की सीमाओं को कम करेगा, बल्कि बच्चों को कार्य क्षेत्रों में कौशल आवश्यकताओं के बारे में जानकारी देगा, इस प्रकार उन्हें भविष्य के पेशे के बारे में फैसला लेने में मदद करेगा। इन गतिविधियों से सुरुचिपूर्ण मूल्यों, सहयोग, टीम वर्क, कच्चे माल का विवेकपूर्ण उपयोग, रचनात्मकता, गुणवत्ता चेतना आदि जैसे सॉफ्ट स्किल्स के विकास को भी बढ़ावा मिलेगा। गतिविधि-आधारित शिक्षा के माध्यम से हाथ से किए जाने वाले काम की सराहना और श्रम को सम्मान के संबंध में वांछनीय दृष्टिकोण और मूल्य विकसित किये जाएंगे, जहां टीम वर्क और सहयोग से अनुशासन, दृढ़ता और रचनात्मकता प्राप्त की जाएगी। इसका कार्यान्वयन स्कूल या सामुदायिक स्तर पर उपलब्ध न्यूनतम संसाधनों के साथ किया जा सकता है, साथ ही सभी विषयों के नियमित शिक्षकों द्वारा सुगम बनाया जा सकता है, इस प्रकार इसे बड़े पैमाने पर आसानी से दोहराया जा सकता है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने इसलिए एक यह भी लक्ष्य निर्धारित किया है कि 2025 तक, स्कूल और उच्च शिक्षा प्रणाली के माध्यम से कम से कम 50 प्रतिशत शिक्षार्थियों को व्यावसायिक शिक्षा दी जाएगी, जिससे वे कम से कम एक व्यवसाय सीख सकें तथा अगले दशक में चरणबद्ध तरीके से व्यावसायिक शिक्षा को सभी स्कूलों और उच्च शिक्षा संस्थानों में शामिल करके उन्हें कई और व्यवसायों में शामिल कर सकें।

माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्तर पर, विद्यार्थियों को अन्य शैक्षणिक विषयों के साथ राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क-एनएसक्यूएफ के अनुरूप व्यावसायिक पाठ्यक्रम प्रदान किए जाते हैं। एनएसक्यूएफ एक राष्ट्रीय स्तर पर एकीकृत शिक्षा और योग्यता-आधारित ढांचा है और ज्ञान, कौशल तथा रुझान के स्तरों की एक श्रृंखला के अनुसार योग्यता की योजना बनाता है। विद्यार्थी न केवल स्कूल की प्रयोगशाला में किसी विशेष क्षेत्र में व्यावसायिक कौशल सीखने में संलग्न होते हैं, बल्कि अतिथि व्याख्यान और क्षेत्र के दौरे के अलावा इंटर्नशिप / नौकरी के दौरान प्रशिक्षण में भाग लेकर विशेष व्यवसाय का वास्तविक जीवन अनुभव भी प्राप्त करते हैं। राज्य सरकारों को सलाह दी गई है कि व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को अन्य शैक्षणिक विषयों के समान माना जाए और विषयों की योजना में समान दर्जा दिया जाए। संचार कौशल, स्व-प्रबंधन कौशल, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी कौशल, उद्यमिता कौशल और हरित कौशल से युक्त रोजगार कौशल मॉड्यूल को व्यावसायिक पाठ्यक्रमों का अनिवार्य हिस्सा बना दिया गया है।

उच्च प्राथमिक से कक्षा 12 तक के विद्यार्थियों के लिए यह जीवनचक्र आधारित दृष्टिकोण, व्यावसायिक शिक्षा को 'एप्लाइड लर्निंग' के रूप में बदलने में मदद करता है और साथ ही उन्हें बहुत आवश्यक 'जीवन कौशल' प्रदान करता है, इस प्रकार उन्हें भविष्य में उच्च शिक्षा, रोजगार या आजीविका के लिए तैयार करता है।

अनुकूलन क्षमता

व्यावसायिक शिक्षा के बारे में एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू जिसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति में संबोधित करने का लक्ष्य रखा गया है, वह है सभी स्कूलों और उच्च शिक्षा संस्थानों (एचईआई) में व्यावसायिक शिक्षा का एकीकरण। इसे सक्षम करने के लिए, अकादमिक और व्यावसायिक शिक्षा के एकीकरण और दोनों के बीच गतिशीलता को सुविधाजनक बनाने के लिए एक एकीकृत क्रेडिट संचय और हस्तांतरण ढांचा तैयार किया जा रहा है। यह व्यावसायिक शिक्षा को और अधिक आकांक्षी बनने में मदद करेगा और दोनों के बीच अत्यधिक अलगाव को दूर करेगा।

कवरेज और अभिसरण

व्यावसायिक शिक्षा में 50 प्रतिशत तक शिक्षार्थियों को शामिल करने के लक्ष्य को प्राप्त करने के संबंध में, आइए उन मॉडलों को देखें जो इस आयु वर्ग में व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। समग्र शिक्षा के तहत, व्यावसायिक शिक्षा के कार्यान्वयन के लिए हर साल नए स्कूलों को मंजूरी दी जा रही है और उन्हें अपने परिसर में व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करने के लिए बुनियादी ढांचा और संसाधन उपलब्ध कराए जाते हैं। इसके अलावा, 'हब एंड स्पोक' मॉडल लागू किया जा रहा है जहां अपेक्षित बुनियादी ढांचे वाले स्कूल हब के रूप में कार्य करेंगे और आसपास के स्पोक स्कूलों के बच्चों को कौशल शिक्षा प्रदान करेंगे। योजना के दिशा-निर्देशों के तहत ऐसे हब के लिए अतिरिक्त धनराशि के साथ-साथ हब और उसके स्पोक के बीच बच्चों के परिवहन की सुविधा के लिए धन प्रदान किया जाता है।

कोविड-19 ने कार्यान्वयनकर्ताओं को कौशल शिक्षा सहित शिक्षा के विभिन्न घटकों के लिए प्रौद्योगिकी की सहायता से समाधान निकालने के लिए मजबूर किया है। सभी के लिए कृत्रिम बुद्धिमता ऐसी पहलों में से एक है जिसे कृत्रिम बुद्धिमता कौशल के लिए एक स्व-गतिशील ऑनलाइन पठन कार्यक्रम प्रदान करने वाले प्रौद्योगिकी भागीदारों के साथ सह-विकसित किया गया है। इस तरह की पहल अधिक अवसर प्रदान करेगी और व्यावसायिक शिक्षा के प्रसार में तेजी से वृद्धि करेगी।

कक्षा 6 से 8 तक शुरू किया जाने वाला पूर्व-व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रम मुख्य रूप से गतिविधि-आधारित शिक्षण-लर्निंग पर केंद्रित होगा। यह न केवल किताबी ज्ञान और व्यावहारिक ज्ञान के बीच की सीमाओं को कम करेगा, बल्कि बच्चों को कार्य क्षेत्रों में कौशल आवश्यकताओं के बारे में जानकारी देगा, इस प्रकार उन्हें भविष्य के पेशे के बारे में फैसला लेने में मदद करेगा।

राज्यों की क्षमता

राज्य और केंद्र शासित प्रदेश स्कूलों में व्यावसायिक शिक्षा को लागू करने में प्रमुख भागीदार हैं और राष्ट्रीय शिक्षा नीति द्वारा निर्धारित लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों की सरकारों द्वारा राष्ट्रीय नीतियों को उचित रूप से अपनाना और लागू करना महत्वपूर्ण है। वर्तमान में, व्यावसायिक शिक्षा के विभिन्न घटकों को पंडित सुंदरलाल शर्मा केंद्रीय व्यावसायिक शिक्षा संस्थान, राष्ट्रीय कौशल विकास निगम, सेक्टर कौशल परिषद जैसी राष्ट्रीय एजेंसियों/संस्थानों द्वारा सहायता प्रदान की जा रही है।

इसी तरह, स्थानीय रूप से प्रासंगिक पाठ्यक्रमों की पहचान; पाठ्यपुस्तकों, संदर्भ सामग्री, डिजिटल शिक्षण सामग्री आदि के अभिग्रहण और/या विकास के साथ-साथ स्कूल स्तर पर कौशल शिक्षा प्रदान करने में लगे व्यावसायिक प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए राज्य स्तरीय संस्थानों जैसे राज्य व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद (एससीवीईटी), राज्य शिक्षा अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एससीईआरटी) और इसके अधीनस्थ निकायों (डीआईईटी) को सक्षम बनाया जा सकता है। विविधता और स्थानीय संदर्भ के लिए सम्मान के सिद्धांत पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के फोकस को ध्यान में रखते हुए, इन घटकों के संदर्भ में राज्यों का क्षमता निर्माण अनिवार्य हो जाता है।

महत्व

कौशल शिक्षा को लगातार बदलती सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियों के अनुरूप बनाए रखने और इसे विद्यार्थियों, उद्योग तथा समुदायों के लिए प्रासंगिक बनाए रखने की आवश्यकता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति की परिकल्पना के अनुरूप विद्यार्थियों के समग्र विकास के लिए कौशल पाठ्यक्रम, कार्यप्रणाली और मूल्यांकन प्रभावी बने रहने चाहिए।

कुशल जनशक्ति की आपूर्ति यदि उद्योग या काम की दुनिया में मांग के साथ मेल खाती है तो व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण या

पुदुच्चेरी में 25वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने स्वामी विवेकानंद की जयंती 12 जनवरी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पुदुच्चेरी में 25वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन किया, जिसे हर साल राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है।

प्राचीन देश के युवा प्रोफाइल पर टिप्पणी करते हुए, प्रधानमंत्री ने कहा, दुनिया भारत को आशा और विश्वास के साथ देखती है क्योंकि भारत की जनसांख्यिकी युवा है और भारत का दिमाग़ भी युवा है। भारत अपने विचारों के साथ-साथ अपनी चेतना में भी युवा है। उन्होंने कहा कि भारत की सोच और दर्शन ने हमेशा बदलाव को स्वीकार किया है और इसकी प्राचीनता में आधुनिकता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के युवा हमेशा जरूरत के समय आगे आए हैं और आज के युवाओं में 'कैन डू' यानी कर सकने की भावना है जो हर पीढ़ी के लिए प्रेरणा का स्रोत है। भारतीय युवा पूरी दुनिया में यूनिकॉर्न इकोसिस्टम में अपनी पहचान बनाने के लिए एक ताकत है।

राष्ट्रीय युवा महोत्सव (12-16 जनवरी, 2022) पर प्रकाश डालते हुए, युवा मामले और खेल एवं सूचना और प्रसारण मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा, "युवा उत्सव के दौरान विभिन्न क्षेत्रों जैसे खेल, पर्यावरण, जलवायु, प्रौद्योगिकी, उद्यमिता, प्राकृतिक खेती कर रहे अग्रणी लोग युवाओं का मार्गदर्शन करेंगे और अपने विचार साझा करेंगे।

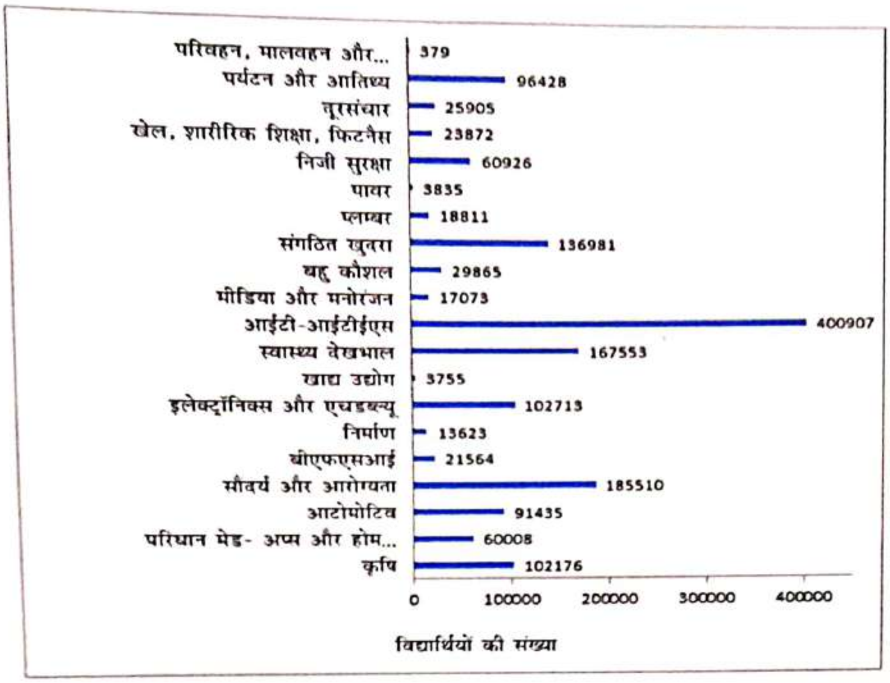

कौशल कार्यक्रमों को सफलतापूर्वक लागू किया जा सकेगा। इसलिए, ज्ञान और कौशल के लिए उभरती आवश्यकताओं का आकलन करना और व्यावसायिक शिक्षा प्रशिक्षण या कौशल कार्यक्रमों के माध्यम से उनका मिलान करना महत्वपूर्ण है।

भविष्य के कार्यबल की कौशल आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जिन क्षेत्रों पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है, वे हैं आईटी-आईटीईएस, अक्षय ऊर्जा / हरित ऊर्जा, बिजली, आतिथ्य, पर्यटन, इलेक्ट्रॉनिक्स, हरित निर्माण, सतत खनन, हरित रसद, दूरसंचार, हरित कृषि, डिस्पोजेबल प्लास्टिक और रसायन।

21वीं सदी के कौशल के अलावा इंटरनेट ऑफ थिंग्स, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन जैसे उभरते रुझानों को तलाशने की जरूरत है। डिजिटल स्किलिंग सभी कौशल विकास गतिविधियों का मुख्य कार्यक्रम बनना चाहिए। कृत्रिम बुद्धिमता प्रशिक्षण प्रदान करने की प्रणाली को विकसित करने और बढ़ावा देने की आवश्यकता है ताकि प्रशिक्षण को शिक्षार्थी की आवश्यकताओं के अनुसार अनुकूलित किया जा सके और इसकी पहुंच को बढ़ाया जा सके। हमें क्लाउड कंप्यूटिंग, गैमिफिकेशन के माध्यम से कोडिंग, एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग (3 डी प्रिंटिंग) ऑपरेटर, लो वोल्टेज ईवी सर्विस टेक्नीशियन, टेलीमैटिक्स डेटा एनालिस्ट, ड्रोन टेक्नोलॉजी, ऑगमेंटेड रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी (एआर-वीआर) जैसे भावी कौशल पर भी काम करने की जरूरत है। सीबीएसई पहले ही डेटा साइंस, कोडिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे पाठ्यक्रम शुरू कर चुका है।

विद्यार्थी जब स्कूल से निकलकर उच्च शिक्षा, रोजगार या आजीविका में जाएंगे तब कौशल शिक्षा के परिणाम सामने आएंगे। महत्वाकांक्षी पेशे की ओर बढ़ने के लिए व्यावसायिक कौशल के बारे में उपलब्ध रास्ते और करिअर परामर्श के बारे में विद्यार्थियों, उद्योगों और संस्थानों के बीच जागरूकता पैदा करने की आवश्यकता है।

जैसा कि प्रधानमंत्री ने प्रकाश डाला, "व्यावसायिक शिक्षा के माध्यम से विशेष रूप से व्यापार में कौशल विकास, भारत के लिए एक आवर्ती और तेजी से बढ़ती हुई महत्वपूर्ण प्राथमिकता के रूप में उभरा है।" इसलिए शिक्षा पारिस्थितिकी तंत्र को ऐसे स्कूलों में कौशल शिक्षा प्रदान करने की आवश्यकता है जो समग्र शिक्षा के विभिन्न महत्वपूर्ण पहलुओं को छूते हैं और व्यावसायिक शिक्षा से जुड़े सामाजिक स्थिति पदानुक्रम को दूर करते हैं। भारत व्यावसायिक शिक्षा को सामान्य शिक्षा के साथ एकीकृत करने और मुख्यधारा में लाने के लिए महत्वपूर्ण सुधारों को लागू करने की राह पर है। साथ ही, सभी स्तरों पर हितधारकों की भूमिका यह सुनिश्चित करने के लिए वास्तव में महत्वपूर्ण हो जाती है कि बच्चों को 21वीं सदी के लिए आवश्यक व्यावसायिक और जीवन कौशल प्राप्त हो सके। ■

सभी के लिए उत्तम शिक्षा

मनीष गर्ग

नई शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 के आने के साथ ही पठन-पाठन की परंपरागत शिक्षक केंद्रित व्यवस्था के स्थान पर शिक्षार्थी पर ध्यान केंद्रित करने की व्यवस्था लाने के नए प्रतिमान अपनाने की सोच आ रही है जिसके अंतर्गत विद्यार्थियों की रचनात्मक क्षमता के विकास पर ध्यान देकर उनका समग्र-सर्वांगीण विकास सुनिश्चित किया जा सकेगा। नई शिक्षा नीति में शिक्षा के इस मूल सिद्धांत पर जोर दिया जाएगा कि शिक्षा का उद्देश्य केवल साक्षरता और अंकज्ञान जैसी बुनियादी विधाओं तथा विश्लेषणात्मक सोच और समस्या के समाधान के उच्च गुणों जैसे बौद्धिक कौशल के विकास तक सीमित न रहकर सामाजिक और भावनात्मक कौशल को विकसित करना भी है।

उत्तम शिक्षा बहुत व्यापक शब्द है जिसमें विद्यार्थी, शिक्षक, शिक्षा का पर्यावरण, उपयुक्त पाठ्यक्रम, प्रभावी शिक्षाशास्त्र, शिक्षण के परिणाम, निरंतर रचनात्मक आकलन, विद्यार्थियों का समुचित योगदान आदि सम्मिलित हैं। गुणवत्ता वाली शिक्षा का अर्थ सीखने-सिखाने तक सीमित नहीं होता अपितु इसका उद्देश्य शिक्षार्थी के व्यक्तित्व का समग्र एवं सर्वांगीण विकास करना होता है। कहने का तात्पर्य तो यह भी है कि उत्तम शिक्षा व्यवस्था में समूची शिक्षा प्रणाली की अपनी क्षमता विकसित करने और अपनी कमियों को पहचानकर उन्हें दूर करने तथा नया सामर्थ्य विकसित करने की संभावना भी होनी चाहिए। ऐसी उत्तम शिक्षा व्यवस्था कुशलता का मानदंड मात्र न होकर मूल्य-संवर्द्धन का माध्यम भी होती है।

शिक्षा स्तर में सुधार के प्रयास तभी सफल होंगे जब समानता पर आधारित और समावेशी व्यवस्था अपनाने पर भी पूरा बल दिया जाएगा। इसके लिए स्कूलों में सभी आवश्यक सुविधाएं पर्याप्त रूप से उपलब्ध होनी जरूरी हैं और वहां सभी बच्चों की विविध शिक्षण आवश्यकताएं जान-समझकर उन्हें पूरा करने की इच्छा शक्ति भी हो और विशेषकर अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अल्पसंख्यक वर्गों के तथा विशेष ध्यान देने की जरूरत वाले बच्चों और लड़कियों की सभी प्रकार की विविध आवश्यकताएं पूरी करने की क्षमता भी होनी चाहिए। साथ ही गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए ग्रामीण-शहरी भेदभाव या क्षेत्र-आधारित भेदभाव अथवा डिजिटल भेदभाव नहीं होने चाहिए।

सीखने की प्रक्रिया समग्र, समेकित, समावेशी, सुखद और रोचक होनी चाहिए। समग्र विकास को वढ़ावा देने के लिए और 21वीं शताब्दी के अनुरूप विवेचनात्मक सोच, रचनात्मकता, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, संचार, सहयोग, बहुभाषा ज्ञान, समस्या समाधान कौशल, नैतिकता, सामाजिक दायित्व और डिजिटल साक्षरता इत्यादि को विकसित करने के उद्देश्य से पाठ्यक्रम, पाठ्य पुस्तक, शिक्षा-विज्ञान और आकलन में व्यापक बदलाव लाने की बहुत जरूरत है।

शिक्षा का विषय संविधान की समवर्ती सूची में है इसलिए भारत सरकार सर्वशिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान और अध्यापक शिक्षण जैसी केंद्र समर्थित योजनाओं के माध्यम से शिक्षा तक लोगों की पहुंच बढ़ाने, वंचित और कमज़ोर वर्गों के लोगों को योजनाओं के अंतर्गत लाकर समानता लागू करने पर ज़ोर दे रही है और सभी के लिए श्रेष्ठ गुणवत्ता वाली उत्तम शिक्षा उपलब्ध कराने के प्रयासों में लगी है। केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के निरंतर प्रयासों का ही परिणाम है कि स्कूली शिक्षा को सबकी पहुंच में लाने में काफी सफलता प्राप्त हुई है और देश में समानता पर आधारित उत्तम शिक्षा व्यवस्था की नींव रखना संभव हो सका है।

बाल निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम (आरटीई), 2009 में भी निर्दिष्ट मानकों के अनुरूप उत्तम प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराने पर बल दिया गया है। आरटीई के अधिनियम, 2009 के अनुच्छेद 29 में व्यवस्था दी गई है कि उपधारा (1) के तहत पाठ्यक्रम और आकलन प्रक्रिया निर्धारित करने के उद्देश्य से उपयुक्त सरकार अकादमिक प्राधिकरण बनाएगी जो नीचे दी बातों को ध्यान में रखेगी:-

- संविधान में निर्दिष्ट मूल्य;
- बच्चे का सर्वांगीण विकास;

लेखक भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग में संयुक्त सचिव हैं। ईमेल: maneesh.garg@nic.in

- बच्चे में ज्ञान, क्षमता और प्रतिभा का निर्माण;
- शारीरिक और मानसिक योग्यताओं का अधिकतम स्तर तक विकास;
- बाल-अनुकूल और बाल-विशेष पद्धति की गतिविधियों, खोज और अन्वेषण के माध्यम से शिक्षा देना;
- जहां तक व्यावहारिक हो बच्चे को उसकी मातृभाषा में शिक्षा दी जाए;
- बच्चे को भय, अवसाद और चिंता से मुक्त बनाएं और उसे खुलकर अपने विचार अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता दी जाए;
- जानकारी को समझकर उसे ग्रहण करने तथा उसे व्यवहार में लाने की बच्चे की क्षमता का व्यापक और नियमित आकलन जारी रखा जाए।

शिक्षा के स्थायी विकास लक्ष्यों (एसडीजी 4) के 2030 के एजेंडे में भी सभी स्तरों पर समानता आधारित उत्तम शिक्षा देने का संकल्प शामिल है। इसका उद्देश्य सभी बच्चों तक शिक्षा सुविधा पहुंचाने की पक्की व्यवस्था करना और यह सुनिश्चित करना है कि सभी बच्चे अपनी शिक्षा पूरी कर सकें। इसके लिए ज़रूरी है कि पढ़ाई शुरू करने वाले सभी बच्चे व्यावहारिक साक्षरता और अंकज्ञान प्राप्त कर लें जिससे उच्च-स्तरीय शिक्षा प्राप्त करने के लिए सक्षम बन जाएं और हर हालत में हर स्तर की शिक्षा पाने की योग्यता उनमें विकसित की जा सके।

फिर भी, सभी के लिए उत्तम स्तर की शिक्षा उपलब्ध कराने में अनेक चुनौतियां अभी बाकी हैं। कुछ खास बड़ी चुनौतियों में सीखने की क्षमता में अंतर की समस्या शामिल है जिसमें शिक्षकों और अभिभावकों में सूझबूझ और समस्या को समझकर उसे हल करने की क्षमता का अभाव भी शामिल है। बच्चे स्कूल जाने को तैयार नहीं रहते, शिक्षकों में उन्हें प्रेरित करने की क्षमता का अभाव होता है, कक्षा में विभिन्न गतिविधियों पर लगाया जाने वाला समय सही प्रकार तय नहीं किया जाता और स्कूल की ओर से प्रभावी नेतृत्व नहीं मिल पाता। साथ ही, समूची शिक्षा प्रणाली को नया रूप देकर उसे ऐसा बनाना है कि शिक्षा ग्रहण करने वालों को अच्छे से अच्छे परिणाम प्राप्त हों।

कुछ खास बड़ी चुनौतियों में सीखने की क्षमता में अंतर की समस्या शामिल है जिसमें शिक्षकों और अभिभावकों में सूझबूझ और समस्या को समझकर उसे हल करने की क्षमता का अभाव भी शामिल है। बच्चे स्कूल जाने को तैयार नहीं रहते, शिक्षकों में उन्हें प्रेरित करने की क्षमता का अभाव होता है, कक्षा में विभिन्न गतिविधियों पर लगाया जाने वाला समय सही प्रकार तय नहीं किया जाता और स्कूल की ओर से प्रभावी नेतृत्व नहीं मिल पाता।

नई शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 लागू होने के साथ ही पठन-पाठन की शिक्षक केंद्रित पुरानी व्यवस्था के स्थान पर शिक्षार्थी-केंद्रित व्यवस्था लाने के नए प्रतिमान अपनाने पर विचार होने लगा है। जिसके तहत विद्यार्थियों की सृजनात्मक क्षमता के विकास पर ध्यान देकर उनका समग्र और सर्वांगीण विकास सुनिश्चित हो सकेगा। इस नई शिक्षा नीति में इस मूल सिद्धांत पर बल दिया जाएगा कि शिक्षा का उद्देश्य केवल अक्षरज्ञान और अंकज्ञान जैसे बुनियादी तरीकों और विवेचनात्मक सोच तथा समस्या समाधान के उच्च गुणों जैसे बौद्धिक कौशल के विकास तक ही सीमित न रहकर सामाजिक और भावनात्मक कौशल को विकसित करना भी हो जिन्हें 'सॉफ्ट स्किल' यानी 'इतर कौशल' भी कहते हैं। इनमें सांस्कृतिक जागरूकता और अनुभूति, दृढ़ निश्चय और विश्वास, टीम-भावना, नेतृत्व, संचार आदि गुणों का विकास शामिल है। नई नीति में शिक्षा के ढांचे के सभी पहलुओं को सशक्त बनाने का प्रस्ताव है तथा शिक्षा प्रणाली को नियमित रूप से संचालित करना और 21वीं शताब्दी के लक्ष्यों के अनुरूप नई व्यवस्था विकसित करना है। इस प्रक्रिया में भारत की परंपराओं और मूल्यों को बनाए रखने पर भी पूरा ध्यान दिया जाएगा।

स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के बारे में राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 की प्रमुख सिफारिशें हैं:

1. **पाठ्यक्रम और शिक्षण व्यवस्था में बदलाव :** इसमें स्कूली शिक्षा के लिए नई शैक्षणिक और पाठ्यक्रम व्यवस्था अपनाने की व्यवस्था की गई है (5+3+3+4): बुनियादी चरण (कक्षा 2 तक के 5 वर्ष) बहु-स्तरीय खेल/गतिविधियों के माध्यम से सिखाना; प्रारंभिक चरण (कक्षा 3 से 5 तक के 3 वर्ष) जिसमें खेलकूद, नई खोजें, गतिविधि-आधारित और कक्षा में परस्पर चर्चा के माध्यम से सीखना; मध्यम चरण: (कक्षा 6 से 8 के 3 वर्ष) विज्ञान, गणित, कला और समाज शास्त्र की अनुभवजन्य शिक्षा प्राप्त करना और माध्यमिक चरण में 4 वर्ष तक विविध विषयों की पढ़ाई कराई जाती है और साथ ही विवेचनात्मक सोच, लचीलेपन और विषयों के विकल्प की व्यवस्था भी रहती है।
2. अनुभवजन्य शिक्षण, खेल-आधारित, खेल-समन्वित, कला-समन्वित, कहानी

सुनाकर, खिलौनों की सहायता से पढ़ाने के उद्देश्य से स्कूली शिक्षा के हर चरण में तालमेल रखना।

3. उच्च प्राथमिक स्तर से आगे की पढ़ाई के लिए व्यवसाय-पूर्व शिक्षा को पाठ्यक्रम में शामिल करना।
4. प्रारंभिक शिशुकाल देखभाल और शिक्षा (ईसीसीई) और बुनियादी साक्षरता और अंकज्ञान (एफएलएन)।
5. ईसीसीई, स्कूली शिक्षा, शिक्षक शिक्षा और प्रौढ़ शिक्षा के बारे में राष्ट्रीय और राज्य स्तर के पाठ्यक्रम तैयार करना जिससे 21वीं शताब्दी की प्रतिभाओं, गणित-आधारित सोच और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का समन्वित विकास हो सके और आवश्यक शिक्षा और विवेचनात्मक सोच का विस्तार करने के उद्देश्य से पाठ्यक्रम की सामग्री में कटौती की जा सके।

पाठ्य सामग्री में भी कटौती की जाएगी ताकि आवश्यक शिक्षा और विवेचनात्मक सोच विकसित हो और स्पर्धा आधारित शिक्षा व्यवस्था के साथ ही अनुभवजन्य और रोचक पद्धति से शिक्षण की व्यवस्था को बढ़ावा मिले। विद्यार्थियों में लचीला दृष्टिकोण आए और उन्हें विषयों के चयन के विकल्प भी उपलब्ध हों, विशेषकर सेकेंडरी स्तर पर। शारीरिक शिक्षा, कला और हस्तशिल्प तथा व्यावसायिक कौशल भी बच्चों को सिखाए जाएंगे।

6. पाठ्य सामग्री में भी कटौती की जाएगी ताकि आवश्यक शिक्षा और विवेचनात्मक सोच विकसित हो और स्पर्धा आधारित शिक्षा व्यवस्था के साथ ही अनुभवजन्य और रोचक पद्धति से शिक्षण की व्यवस्था को बढ़ावा मिले। विद्यार्थियों में लचीला दृष्टिकोण आए और उन्हें विषयों के चयन के विकल्प भी उपलब्ध हों, विशेषकर सेकेंडरी स्तर पर। शारीरिक शिक्षा, कला और हस्तशिल्प तथा व्यावसायिक कौशल भी बच्चों को सिखाए जाएंगे।
7. आकलन और परीक्षा व्यवस्था में सुधार-समग्र प्रगति कार्ड बनाए जाएंगे।
8. शिक्षकों के लिए सेवा-पूर्व और सेवा काल में प्रशिक्षण की गुणवत्ता में सुधार किया जाएगा।
9. शिक्षण के परिणामों के आकलन के लिए विद्यार्थी-प्रगति को आंका जाएगा, शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय व्यावसायिक मानक (एनपीएसटी) और शिक्षकों के लिए ही राष्ट्रीय परामर्शदाता- (मेंटरिंग) मिशन की व्यवस्था।

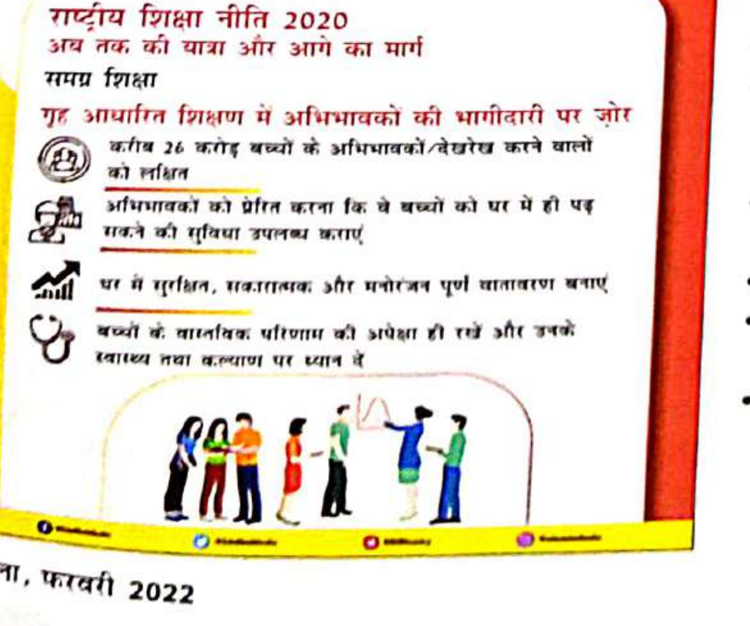

स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार

केंद्र द्वारा प्रायोजित समग्र शिक्षा योजना 2018-19 में शुरू की गई थी और स्कूली शिक्षा की इस योजना का उद्देश्य पूर्व-प्राथमिक स्तर से उच्चतर माध्यमिक स्तर तक की शिक्षा को बिना किसी बाधा के संदर्भ-आधारित, अनुभवजन्य और समग्र शिक्षण का रूप देना है। केंद्र के समर्थन से पहले से चल रही योजनाएं - एसएसए, आरएमएसए और शिक्षक शिक्षण इसी नई योजना में समाहित कर ली गई। यह योजना शिक्षा के स्थायी विकास लक्ष्य (एसडीजी4) के अनुरूप बनाई गई है और 2021-22 में इसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की शिक्षा नीति के मुताबिक ढाल लिया गया ताकि समावेशी और समानता पर आधारित उत्तम गुणवत्ता वाली शिक्षा की सुनिश्चित व्यवस्था हो सके। इस योजना के अंतर्गत सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त करीब 11 लाख 60 हज़ार स्कूल, 15 करोड़ 60 लाख विद्यार्थी और 57 लाख शिक्षक लाभान्वित हुए हैं। इस योजना से शिक्षा प्रणाली में सामंजस्य बनाने, विभिन्न एजेंसियों के साथ सहयोग बढ़ाने, विभिन्न स्तरों पर काम की पुनरावृत्ति रोकने, पढ़ने-पढ़ाने की बढ़िया सामग्री उपलब्ध कराने, शिक्षकों में क्षमता का निर्माण करने और शिक्षकों की शिक्षा की व्यवस्था को सुधारने में काफी सहायता मिलेगी।

समग्र शिक्षा योजना के मुख्य उद्देश्य हैं:-

- राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और आरटीई (शिक्षा का अधिकार) अधिनियम 2009 लागू करने में सहायता उपलब्ध कराना;
- ईसीसीई और एफएलएन पर ध्यान केंद्रित करना;
- विद्यार्थियों को 21वीं शताब्दी के कौशल सिखाने के लिए समग्र, समावेशी, समन्वित और गतिविधि-आधारित पाठ्यक्रम और शिक्षण व्यवस्था की स्थापना पर बल देना;
- गुणवत्ता वाली उत्तम शिक्षा उपलब्ध कराना और विद्यार्थियों की शिक्षा ग्रहण करने की क्षमता का आकलन करना;
- सामाजिक और लिंग-आधारित खामियां दूर करना;
- स्कूली शिक्षा के सभी स्तरों पर समानता आधारित और समावेशी व्यवस्था सुनिश्चित करना;
- शिक्षण अनुसंधान और प्रशिक्षण की राज्य परिषदों (एससीईआरटी) और राज्य/ज़िला शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थानों (डीआईईटी) को शिक्षकों के प्रशिक्षण की नोडल (मुख्य) एजेंसी बनाना;

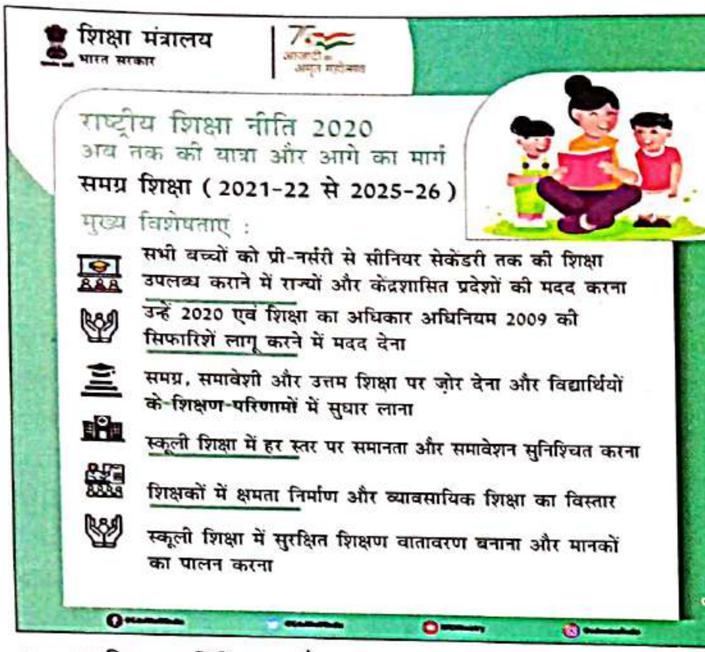

- सुरक्षित, सुनिश्चित और अनुकूल वातावरण बनाने की पक्की व्यवस्था करना और स्कूली पढ़ाई के न्यूनतम मानक तय करना।
- इस योजना में शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के उद्देश्य से सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को हर प्रकार का समर्थन दिया जाएगा, जैसे शिक्षकों और मुख्य अध्यापकों के लिए इन-सर्विस प्रशिक्षण, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर उपलब्धता सर्वेक्षण आयोजित करना, हर स्कूल को समग्र अनुदान उपलब्ध कराना ताकि वे विद्यार्थियों के लिए साफ़-सफाई और स्वच्छता, पुस्तकालय, खेल और शारीरिक व्यायाम की सुविधा, राष्ट्रीय आविष्कार अभियान (स्कूल में मिलने वाली जानकारी और स्कूल से बाहर की जानकारी में तालमेल रखकर विज्ञान तथा गणित संबंधी उपयोगी एवं रोचक गतिविधियां चलाने), जेसीटी और डिजिटल पहल, स्कूल नेतृत्व विकास, शिक्षण विस्तार कार्यक्रम, पढ़े भारत बढ़े भारत, कार्यक्रम के लिए सुविधाएं जुटा सकें।
- फिर, देश में शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने की दिशा में सरकार ने अनेक उपाय किए हैं।
- केंद्रीय आरटीई नियम 2010 का 20 फरवरी, 2017 को संशोधन करके उनमें प्राथमिक स्तर के शिक्षार्थियों की वर्गवार और विषयवार सफलता के परिणामों को शामिल किया गया। इसी के अनुसार कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों की सभी विषयों में सफलता का विवरण एनसीईआरटी ने तैयार करके ज्ञापित किया। इससे सभी हितार्थियों को यह समझने में मदद मिलेगी कि उनसे क्या अपेक्षा की जा रही है और इसी कारण स्कूली अध्ययन में आकलन और जवाबदेही बढ़ रही है। फिर, माध्यमिक स्तर के विभिन्न विषयों में शिक्षण परिणामों को भी ज्ञापित किया गया है और इन्हें अंतिम रूप दिया जा रहा है।
- शिक्षा प्रणाली की स्वास्थ्य जांच के उद्देश्य से समय-समय पर राष्ट्रीय उपलब्धता सर्वेक्षण किया जाता है ताकि शिक्षण परिणामों में आ रही कमियों का पता लगाकर उपचारात्मक उपाय किए जा सकें। राष्ट्रीय उपलब्धता सर्वेक्षण एनसीईआरटी या किसी बाहरी एजेंसी द्वारा कक्षा 3, 5, 8 और 10 के सभी श्रेणियों के स्कूलों के ज़िलावार नमूनों के आधार पर किया जाता है।
- राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को कई सामान्य बेंचमार्कों (मानकों) के हिसाब से 70 संकेतकों पर आधारित व्यापक मैट्रिक्स निष्पादन श्रेणिकरण इंडेक्स (पीजीआई) विकसित किया गया है जिससे सुधार लाने की प्रक्रिया निर्धारित करने में मदद मिलेगी। इससे स्कूली शिक्षा की स्थिति के मामले में राज्यों के बीच स्पर्धा की भावना जगाने में भी सहायता मिलेगी।
- **शिक्षकों के प्रशिक्षण और क्षमता-निर्माण पर विशेष ध्यानः** स्कूल प्रमुखों और शिक्षकों के समग्र उत्थान की राष्ट्रीय पहल (निष्ठा) समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत शिक्षकों को प्रशिक्षित करने का अपनी किस्म का विशेष कार्यक्रम है जिसमें भारत सरकार अपने अकादमिक निकायों एनसीईआरटी और एनआईईपीए के माध्यम से शिक्षकों के इन-सर्विस प्रशिक्षण का प्रारूप बदलने में अग्रणी भूमिका निभा रही है।
- समझकर पढ़ने में कुशलता और अंकज्ञान सीखने में महारत प्राप्त करने की दिशा में राष्ट्रीय पहल (निपुण भारत) की शुरुआत 5 जुलाई, 2021 को की गई थी। इसका उद्देश्य है कि देश में हर बच्चा 2026-27 तक तीसरी कक्षा के स्तर की साक्षरता और अंकज्ञान प्राप्त कर ले। इस पहल के अंतर्गत प्राथमिक स्तर (3 से 9 वर्ष तक) की पढ़ाई को तीन प्रमुख विकास लक्ष्यों में संहिताबद्ध किया है और बाल वाटिका से कक्षा 3 तक के लिए प्रत्येक स्तर के लक्ष्य निर्धारित कर दिए हैं ताकि बच्चों का स्वास्थ्य अच्छा रहे और वे प्रसन्न रहें तथा वे प्रभावी संचारवाहक बनकर अपने परिवेश से जुड़े रहकर ही सजग शिक्षार्थी बन सकें।
- **डिजिटल पहल :** राष्ट्रीय शिक्षा योजना 2020 में किए प्रावधान के अनुसार पठन-पाठन अनुभवों को विस्तार देने की लचीली टेक्नोलॉजी का महत्व समझते हुए सरकार समग्र शिक्षा के तहत आने वाले स्कूलों में उच्च प्राथमिक स्तर से सीनियर माध्यमिक स्तर तक के विद्यार्थियों के लिए आईसीटी प्रयोगशालाएं और स्मार्ट क्लासरूम अर्थात् आधुनिक कक्षा उपलब्ध कराने को प्राथमिकता देती है। केंद्रीय विद्यालयों और नवोदय विद्यालयों में भी स्मार्ट क्लासरूम और आईसीटी प्रयोगशालाएं बनाई गई हैं।

स्कूल प्रमुखों और शिक्षकों के समग्र उत्थान की राष्ट्रीय पहल (निष्ठा) समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत शिक्षकों को प्रशिक्षित करने का अपनी किस्म का विशेष कार्यक्रम है जिसमें भारत सरकार अपने अकादमिक निकायों एनसीईआरटी और एनआईईपीए के माध्यम से शिक्षकों के इन-सर्विस प्रशिक्षण का प्रारूप बदलने में अग्रणी भूमिका निभा रही है।

- **पीएम ई-विद्या :** आत्मनिर्भर भारत कार्यक्रम के तहत यह एक व्यापक पहल है जिसका उद्देश्य शिक्षा तक विभिन्न माध्यमों और पद्धतियों से पहुंच उपलब्ध कराने के लिए डिजिटल/ऑनलाइन/ऑन एयर शिक्षा से जुड़े सभी प्रयासों में एकजुटता लाना है। इसके जरिए दिशा (एक राष्ट्र : एक डिजिटल प्लेटफॉर्म), स्वयंप्रभा डीटीएच टीवी चैनलों (कक्षा 1 से 12 तक एक कक्षा: एक चैनल), रेडियो, कम्यूनिटी रेडियो और पोडकास्ट-शिक्षा वाणी के व्यापक प्रयोग से भारतीय सांकेतिक भाषा सहित 33 भाषाओं में विभिन्न ई-स्रोतों तक पहुंच उपलब्ध होती है।
- पीएम पोषण शक्ति निर्माण राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अंतर्गत चलाई जा रही केंद्र प्रयोजित योजना है जिसमें सरकारी और सरकारी सहायता से चल रहे सभी स्कूलों में बालवाटिका से कक्षा-8 के सभी बच्चों को स्कूल में पूरक पोषक आहार उपलब्ध कराया जाता है।
- एनसीईआरटी ने 'वैकल्पिक शिक्षण कैलेंडर' और 'विद्यार्थियों के लिए शिक्षण विस्तार दिशानिर्देश' तैयार किए हैं जिनमें डिजिटल उपकरणों तक पहुंच कायम करने के विभिन्न विकल्पों के मॉडल सुझाए गए हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित नहीं रहेगा। इनमें साप्ताहिक गतिविधियां दर्शाई गई हैं जिन्हें घर में ही किया जा सकता है और इस प्रकार शिक्षण प्रक्रिया के वांछित परिणाम प्राप्त हो सकते हैं।
- महामारी के दौर में स्कूल बंद होने की स्थिति में घर में रहकर ही पढ़ना एक अच्छा और प्रभावी विकल्प है। अभिभावकों और समुदाय की भागीदारी और सहयोग से बच्चों को चुनौतियों से निपटने में मदद मिल सकती है और उन्हें पढ़ने-सीखने का सुरक्षित और अनुकूल वातावरण मिल सकता है।
- राष्ट्रीय शिक्षा योजना 2020 में सिफारिश की गई है कि कक्षा एक के सभी विद्यार्थियों के लिए 3 महीने का खेलकूद पर आधारित 'स्कूल तैयारी मॉड्यूल' विकसित किया जाए, चाहे इन बच्चों ने स्कूल-पूर्व शिक्षा ली हों या नहीं, और इस प्रकार यह पक्का हो जाएगा कि सभी बच्चे सभी के लिए उत्तम शिक्षा की व्यवस्था होने तक कक्षा-1 में पढ़ने के वास्ते तैयार हो चुके हैं। इसलिए ही एनसीईआरटी ने विद्या प्रवेश मॉड्यूल विकसित किया है जिसे राज्य और केंद्रशासित प्रदेश अपनी आवश्यकता के अनुसार अपना सकते हैं।
- **सफल (शिक्षण स्तरों के विश्लेषण के लिए संरचित आकलन):** यह स्पर्धा-आधारित आकलन राष्ट्रीय शिक्षा योजना 2020 की व्यवस्था के अनुसार सीबीएसई स्कूलों में कक्षा 3, कक्षा 5 और कक्षा 8 में 2021-22 के शिक्षा सत्र से लागू किया जाएगा। इसमें मूल अवधारणाओं, प्रयोग-आधारित प्रश्नों और उच्च स्तर की सोच के प्रयोगों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इससे करीब 24,000 सीबीएसई स्कूलों के 50 लाख से ज़्यादा विद्यार्थी लाभान्वित होंगे और इस प्रारूप को अपनाने वाले राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को भी लाभ प्राप्त होगा।
- **विद्यांजलि 2.0 :** स्वयंसेवक प्रबंधन कार्यक्रम; इससे समुदाय/स्वयंसेवकों को अपनी पंसद के सरकारी स्कूलों और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों से सीधे बात करने में मदद मिलेगी और वे उनके साथ जानकारी और कौशल का आदान-प्रदान कर सकेंगे और ऐसे स्कूलों की जरूरतें पूरी करने के वास्ते संपत्ति/सामग्री/उपकरण आदि उपलब्ध करा सकेंगे।
- **स्कूल गुणवत्ता आकलन और प्रमाणन प्रारूप (एसक्यूएए):** सीबीएसई को केंद्रीय विद्यालयों, नवोदय विद्यालयों, निजी स्वतंत्र स्कूलों और बोर्ड के साथ जुड़े सरकारी स्कूलों के लिए मानक निर्धारण प्राधिकरण बनाया गया है। इसी के अनुसार सीबीएसई ने पाठ्यक्रम, शिक्षा विज्ञान, बुनियादी ढांचे, समावेशी तौर-तरीकों, मानव संसाधनों, प्रबंधन और संचालन, तथा नेतृत्व जैसी स्कूली गतिविधियों के विभिन्न क्षेत्रों के लिए मानक तैयार किए हैं।

इसलिए गुणवत्ता की योजना बनाने में नीचे बताए पहलू शामिल करना जरूरी है ताकि फैसला किया जा सके कि कौन-कौन से पहलुओं पर ध्यान देने की जरूरत है:-

- **पाठ्य सामग्री-** ज्ञान और प्रतिभा के आधार पर बच्चों के बारे में अनुभव को ध्यान में रखते हुए गुणवत्ता के पहलू की जांच-परख की जानी चाहिए।
- **स्कूली शिक्षा के सभी स्तरों पर संपर्क-** पाठ्य सामग्री तैयार करने की प्रक्रिया में बुनियादी, प्राथमिक, मध्यम और माध्यमिक स्तरों के बीच संपर्क रहना आवश्यक है।
- **सिनर्जी-** ऐसे ढांचे बनाना जहां उच्च शिक्षण संस्थानों के विषय विशेषज्ञ और स्कूलों के शिक्षक मिल बैठकर पाठ्यक्रम में सुधार और शिक्षण सामग्री के विकास का काम कर सकें।
- **अभिनव शिक्षा विज्ञान-** प्रत्येक शिक्षक को इस बात की स्वतंत्रता मिलनी चाहिए कि वह अपने विद्यार्थियों की आवश्यकताओं के हिसाब से शिक्षा को अनुभवजन्य, समग्र, समेकित, जिज्ञासा-आधारित, खोजपरक, शिक्षार्थी-केंद्रित, चर्चा पर आधारित लचीली और वास्तव में रोचक बना सके। साथ ही, शिक्षण परिणामों को भी शिक्षा विज्ञान का अभिन्न अंग मानना भी जरूरी है।
- **आकलन -** बच्चे की प्रगति पर नज़र रखने के लिए लगातार व्यापक रूप से विभिन्न तकनीकें अपनाकर आकलन करते रहना बहुत महत्वपूर्ण है। वास्तव में स्पर्धा पर आधारित शिक्षण व्यवस्था बनाने पर ज़ोर दिया जा रहा है। इससे बच्चों को

राष्ट्रीय शिक्षा योजना 2020 में सिफारिश की गई है कि कक्षा एक के सभी विद्यार्थियों के लिए 3 महीने का खेलकूद पर आधारित 'स्कूल तैयारी मॉड्यूल' विकसित किया जाए, चाहे इन बच्चों ने स्कूल-पूर्व शिक्षा ली हों या नहीं, और इस प्रकार यह पक्का हो जाएगा कि सभी बच्चे सभी के लिए उत्तम शिक्षा की व्यवस्था होने तक कक्षा-एक में पढ़ने के वास्ते तैयार हो चुके हैं।

वर्तमान स्तर पर पक्की और विस्तृत जानकारी ले चुकने पर ही अगले स्तर में भेजा जाएगा।

- **क्षमता निर्माण और शिक्षक प्रशिक्षण**- गुणवत्ता से जुड़े विभिन्न पहुलओं पर ध्यान देने के लिए संसाधनों का पूल तैयार करना ज़रूरी है और इस कार्य में शिक्षकों का परामर्श लेना भी महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में सिफारिश की गई है कि शिक्षकों को अपने में सुधार लाने के लगातार अवसर दिए जाने चाहिए और अपने कार्य से संबंधित नई खोजों और नए तौर-तरीकों की जानकारी प्राप्त करने के मौक़े भी मिलने चाहिए। इसी प्रकार स्कूलों के प्रधानाचार्यों और स्कूल परिसर के नेताओं को भी व्यावसायिक क्षमता विकसित करने के अवसर लगातार मिलते रहने चाहिए।

स्कूली गतिविधियों की योजना बनाने से पहले उपरोक्त तथ्यों पर ध्यान से विचार कर लेने से उत्तम गुणवत्ता वाला क्लासरूम बनाने में काफी मदद मिलेगी और उस कक्षा में अनेकों ऐसी गतिविधियां चलती रहेंगी जिनसे शिक्षण कार्य सरल और रोचक बन सकेगा। यही वह जगह होगी जहां बच्चे नई बात फौरन सीख पाएंगे और बेझिझक पूरे आत्मविश्वास के साथ अपना ज्ञानवर्द्धन कर सकेंगे। टेक्नोलॉजी के बढ़ते प्रयोग से इस व्यवस्था में ज़बर्दस्त बदलाव आया है कि शिक्षक किस तरह बच्चों को सिखाएं-पढ़ाएं और बच्चे किस प्रकार शिक्षकों से विद्या ग्रहण करें। दोनों को ही सहज भाव से इस प्रक्रिया का पालन करना है। सिखाने के लिए कक्षा में पढ़ाने, ऑनलाइन कोर्स कराने, वीडियो से पढ़ाने, ग्रुप परियोजनाएं चलाकर सिखाने जैसे अनेक माध्यम अपनाए जा सकते हैं।

कक्षा में बच्चों को लचीला दृष्टिकोण विकसित करना भी सिखाया जाना चाहिए ताकि चुनौती भरे मौकों पर सकारात्मक रुख अपनाकर स्थिति से उबर सकें और भावी कार्यक्रम की योजना भी बना सकें। लचीला दृष्टिकोण रखने वाले बच्चे निराशाजनक स्थिति का मुकाबला पूरी दृढ़ता से कर सकते हैं, वे अपनी असफलता से भी कुछ न कुछ सीखते हैं, नुकसान सह लेते हैं, और परिवर्तन के अनुकूल स्वयं को ढाल सकते हैं चाहे फिर महामारी, पृथ्वी का तापमान बढ़ने यानी ग्लोबल वार्मिंग, जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक आपदा, टेक्नोलॉजी का अत्यधिक विकास जैसी कोई भी स्थिति क्यों न हो। ये सभी पहलू अलग-अलग होते हुए भी आपस में जुड़े हुए हैं और एक-दूसरे के पूरक भी हैं और कारक भी।

निष्कर्ष

कुल मिलाकर शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने पर लगातार ज़्यादा ध्यान देने के लिए बहुभाषा व्यवस्था को बढ़ावा देने, शोध, नवाचार, पाठ्यक्रम सुधार, टेक्नोलॉजी- आधारित शिक्षण, अभिनव शिक्षा विज्ञान और कुछ करने को प्रेरित करने वाली प्रतिभा विकसित करने जैसे कार्यक्रम अपनाकर सरकार ने स्कूली शिक्षा में आमूलचूल बदलाव लाने का अपना संकल्प व्यक्त किया है और यह भी स्पष्ट कर दिया कि वह देश के हर बच्चे को शिक्षा उपलब्ध कराने के प्रति संकल्पबद्ध है। ■

कृपया ध्यान दें

पत्रिकाओं की सदस्यता के संबंध में नोटिस

कोविड-19 महामारी से उत्पन्न स्थितियों के कारण साधारण डाक से भेजी गई हमारी पत्रिकाओं की डिलिवरी न हो पाने से संबंधित शिकायतें प्राप्त हो रही हैं। हमारे माननीय उपभोक्ताओं को योजना, कुरुक्षेत्र, बाल भारती और आजकल पत्रिका की समय पर डिलिवरी सुनिश्चित करने के लिए यह निर्णय लिया गया है कि नए उपभोक्ताओं को साधारण डाक से पत्रिकाओं का प्रेषण तत्काल प्रभाव से रोक दिया जाए। यह केवल नए उपभोक्ताओं के लिए लागू होगा तथा मौजूदा उपभोक्ताओं को उनकी सदस्यता दरों के अनुसार पत्रिकाएं भेजी जाती रहेंगी।

हमारी पत्रिकाओं के लिए नई सदस्यता दरें जिनमें रजिस्टर्ड डाक से पत्रिका भेजने का शुल्क भी शामिल है, निम्नलिखित हैं-

सदस्यता प्लान	योजना, कुरुक्षेत्र तथा आजकल (सभी भाषाएं)	बाल भारती
1 वर्ष	रु. 434	रु. 364
2 वर्ष	रु. 838	रु. 708
3 वर्ष	रु. 1222	रु. 1032

वर्तमान परिस्थितियों में यह एक अस्थायी व्यवस्था है क्योंकि डाक विभाग साधारण डाक के वितरण में कठिनाइयों का सामना कर रहा है। अतः जैसे ही देश में सामान्य स्थितियां बहाल हो जाएंगी पत्रिकाओं को पुनः साधारण डाक से भेजना आरंभ कर दिया जाएगा।

निपुण भारत मिशन

राशि शर्मा

हाल के वर्षों में मूलभूत शिक्षा पर नए सिरे से ध्यान देना शिक्षा क्षेत्र में सबसे सकारात्मक प्रयास है। अब यह वैज्ञानिक रूप से सिद्ध हो चुका है कि बच्चे के जीवन के पहले छह वर्षों में उसके मस्तिष्क का विकास तेजी से होता है और बचपन में उत्तम देखभाल तथा शिक्षा वास्तव में शिक्षा में परिवर्तन ला सकती है। बच्चों को बहुआयामी, बहु-स्तरीय, खेल-आधारित, गतिविधि-आधारित और पूछताछ-आधारित शिक्षा प्रदान करना महत्वपूर्ण है। यह सुनिश्चित करना कि बच्चे जल्दी और अच्छी तरह से पढ़ना सीखें, हर बच्चे को स्कूली शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर सीखने का समान अवसर प्रदान करने की पक्की व्यवस्था करने का सबसे महत्वपूर्ण तरीका है।

विभिन्न शोधों ने स्पष्ट रूप से इंगित किया है कि मूलभूत शिक्षा बाद की कक्षाओं[1] में सफल शैक्षणिक विकास की आधारशिला है और इसे सीखने[2] का प्रवेश द्वार माना जाता है। इसके अलावा, मूलभूत शिक्षा में निवेश करने से कई दीर्घकालिक लाभ हैं, जैसे कि बेहतर जीवन परिणाम[3] और उच्च आर्थिक विकास।

6-9 वर्ष आयु समूह
अनुमानित जनसंख्या: 7,07,44,000
सरकारी स्कूलों में नामांकित बच्चों की संख्या: 3,98,95,694 (56.39 प्रतिशत)
सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में नामांकित बच्चों की संख्या: 29,40,018 (4.16 प्रतिशत)
गैर सहायता प्राप्त निजी स्कूलों में नामांकित बच्चों की संख्या: 2,77,35,600 (39.21 प्रतिशत)
उपरोक्त में से किसी में नामांकित नहीं होने वाले बच्चों की संख्या: 1,72,688 (0.24 प्रतिशत)

भारत में बड़ी संख्या में आंगनवाड़ी केंद्र हैं और 3 से 6 साल की आयु के लगभग 3.46 करोड़ बच्चे 13.87 लाख आंगनवाड़ियों में नामांकित हैं। यूडीआईएसई 2019-20 के अनुसार, कुल 25 करोड़ बच्चों के नामांकन के साथ सभी श्रेणियों (सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त और निजी गैर-सहायता प्राप्त) सहित 15 लाख स्कूल हैं। इसके अलावा, भारत ने एलिमेंटरी शिक्षा के सार्वभौमिकरण को प्राप्त करने की दिशा में पर्याप्त प्रगति की है; प्राथमिक स्तर पर सकल नामांकन अनुपात (जीईआर) 102.7 प्रतिशत (यूडीआईएसई और 2019-20 के अनुसार) है जो दर्शाता है कि प्राथमिक स्तर पर लगभग सभी बच्चे स्कूलों में नामांकित हैं। कक्षा 1 से 3 में पढ़ने वाले बच्चों का विवरण ग्राफ 1 में विस्तार से दिया गया है।

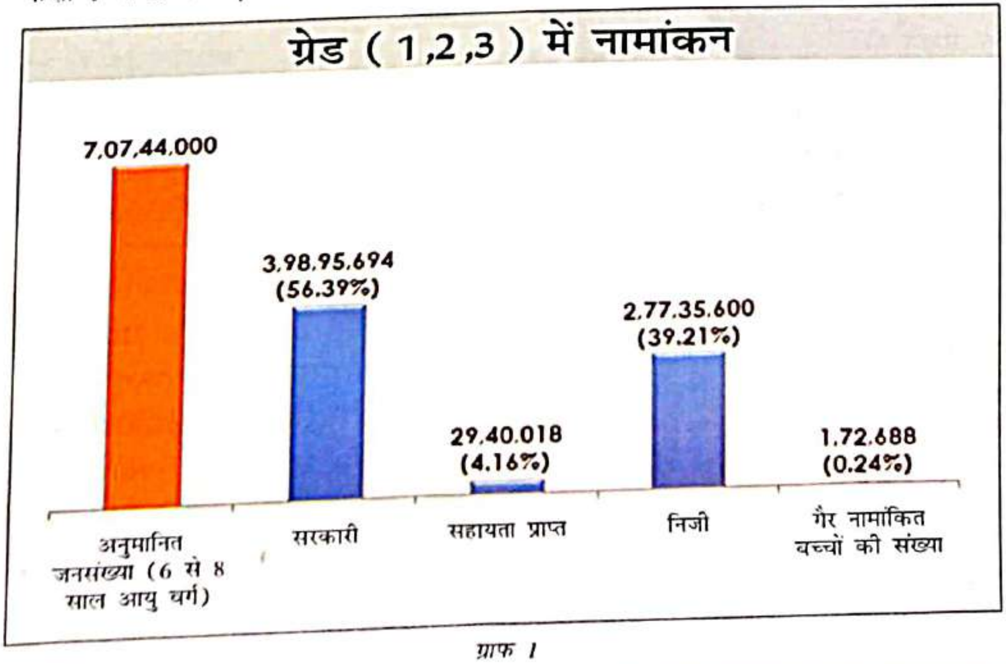

ग्राफ 1

लेखिका शिक्षा मंत्रालय के स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग में निदेशक हैं। ईमेल: rashi.edu@nic.in

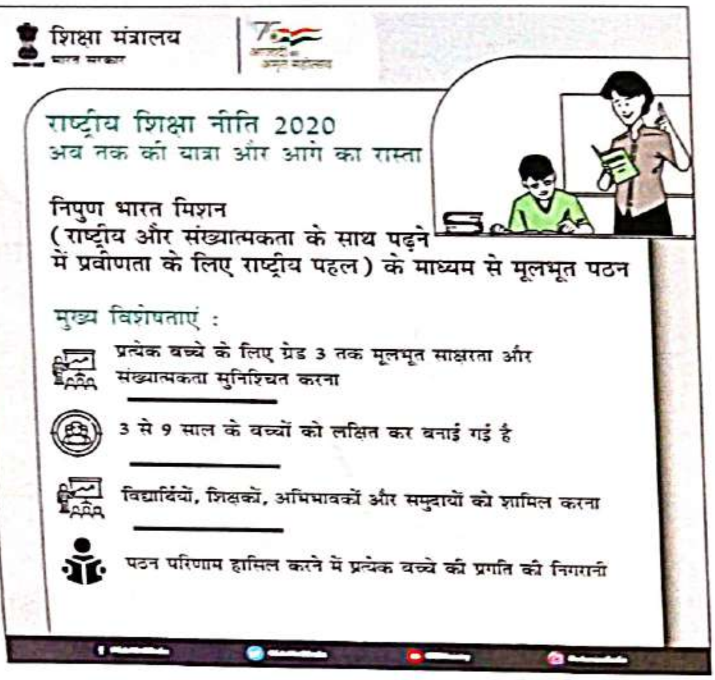

हालांकि, भारत में मूलभूत शिक्षा की स्थिति बहुत बदली नहीं है; पठन स्तर लगातार कम बना हुआ है। 2017 में किए गए राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण के परिणामों के अनुसार, कक्षा 3 में भाषा और संख्यात्मकता में क्रमशः लगभग 18 प्रतिशत और 13 प्रतिशत और कक्षा 5 में भाषा और संख्यात्मकता में 15 प्रतिशत और 18 प्रतिशत बच्चे बुनियादी स्तर से नीचे हैं। कक्षा 3 में केवल 47 और 53 प्रतिशत बच्चों और कक्षा 5 में 47 प्रतिशत और 44 प्रतिशत बच्चों ने क्रमशः भाषा और अंकगणित में दक्षता हासिल की है। यह सुनिश्चित करने के लिए इस स्थिति पर तत्काल अधिक ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है कि विद्यार्थी प्रत्येक कक्षा में वांछित पठन क्षमता हासिल करने में सक्षम हों।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और निपुण भारत मिशन

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने वर्तमान शिक्षा प्रणाली में एक आदर्श बदलाव की सिफारिश की है। यह नीति न केवल प्रत्येक शिक्षार्थी की अद्वितीय क्षमता का संज्ञान लेती है, बल्कि चार चरणों अर्थात् 5+3+3+4 (फाउंडेशनल, प्रिपरेटरी, मिडिल और सेकेंडरी) में विभाजित नए पाठ्यक्रम और शैक्षणिक संरचना का प्रचार करते हुए वैज्ञानिक दृष्टिकोण की भी हिमायत करती है। कम हिस्सेदारी वाली बोर्ड परीक्षा, रचनात्मक आकलन पर जोर, सभी चरणों में अनुभवात्मक शिक्षा, बच्चों के बीच विवेचनात्मक सोच, रचनात्मकता तथा जिज्ञासा को बढ़ावा देने के लिए नवीन तथा गतिविधि-आधारित शिक्षा और मूलभूत शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका जैसी क्रांतिकारी सिफारिशों के साथ, इस नीति में शिक्षा प्रणाली को बदलने और इसे 21वीं सदी की आकांक्षाओं के अनुरूप बनाने की परिकल्पना की गई है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की प्रमुख सिफारिशों में से एक-ग्रेड 3 के अंत में सभी बच्चों में मूलभूत कौशल हासिल करने पर जोर देना है। मूलभूत शिक्षा, बच्चों की पढ़ने और अर्थपूर्ण ढंग से समझने की क्षमता को महत्व देने के साथ-साथ वास्तविक जीवन में बुनियादी गणितीय संक्रियाओं का उपयोग करती है। नीति में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि यदि मूलभूत शिक्षा में सुधार के लिए तत्काल कदम नहीं उठाए जाते तो पूरी नीति अप्रासंगिक हो जाएगी।

निपुण भारत मिशन का दृष्टिकोण आधारभूत साक्षरता और संख्यात्मकता (एफएलएन) के सार्वभौमिक अधिग्रहण को सुनिश्चित करने के लिए सक्षम वातावरण बनाना है, ताकि अगले पांच साल में प्रत्येक बच्चा कक्षा 3 के अंत में पढ़ने, लिखने और अंकगणित में वांछित पठन की क्षमता प्राप्त कर सके।

उपरोक्त चुनौतियों का समाधान करने और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में परिकल्पित मूलभूत साक्षरता प्राप्त करने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग ने 5 जुलाई 2021 को 'निपुण भारत'[4] (समझ और संख्या के साथ पढ़ने में प्रवीणता के लिए राष्ट्रीय पहल) नामक एक राष्ट्रीय मिशन शुरू किया है। निपुण भारत मिशन का दृष्टिकोण आधारभूत साक्षरता और संख्यात्मकता (एफएलएन) के सार्वभौमिक अधिग्रहण को सुनिश्चित करने के लिए सक्षम वातावरण बनाना है, ताकि अगले पांच साल में प्रत्येक बच्चा कक्षा 3 के अंत में पढ़ने, लिखने और अंकगणित में वांछित पठन की क्षमता प्राप्त कर सके। यह अभियान 3 से 9 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों की सीखने की जरूरतों को पूरा करेगा। प्री-स्कूल चरण तथा ग्रेड 1 के बीच मजबूत संबंध और सुचारू रूपांतरण होगा, एनसीईआरटी द्वारा विकसित किए जा रहे ईसीसीई के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा का पालन आंगनवाड़ी और प्री-प्राइमरी स्कूलों दोनों द्वारा किया जाएगा ताकि ग्रेड-1 में सुचारू रूपांतरण सुनिश्चित हो सके। निपुण भारत मिशन राष्ट्रीय-राज्य-जिला-ब्लॉक-स्कूल स्तर सहित पांच स्तरीय कार्यान्वयन तंत्र के माध्यम से समूचे देश में क्रियान्वित किया जाएगा। खेल और गतिविधि आधारित शिक्षा, जिसमें अक्षर, भाषाएं, संख्याएं, गिनती, रंग, आकार, इनडोर तथा आउटडोर खेल, पहेली और तार्किक सोच, समस्या-समाधान, ड्राइंग, पेंटिंग और अन्य दृश्य कला, शिल्प, नाटक, कठपुतली, संगीत शामिल हैं, निपुण भारत मिशन के लिए अपनाया जा रहे नवीन शिक्षाशास्त्र का अभिन्न अंग बनने जा रहे हैं।

शिक्षार्थियों का समग्र विकास

सीखने को समग्र, एकीकृत, समावेशी, आनंददायक और आकर्षक बनाने के लिए निपुण भारत मिशन की परिकल्पना की गई है। मिशन में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्निहित उद्देश्य को ध्यान में रखा गया है और शिक्षार्थियों के समग्र विकास पर ध्यान केंद्रित किया गया है। मिशन में जिन तीन विकास लक्ष्यों पर जोर दिया गया है उनमें विकास के विभिन्न क्षेत्रों जैसे शारीरिक और मानसिक विकास, सामाजिक-भावनात्मक विकास, साक्षरता और संख्यात्मक विकास, संज्ञानात्मक विकास, आध्यात्मिक और

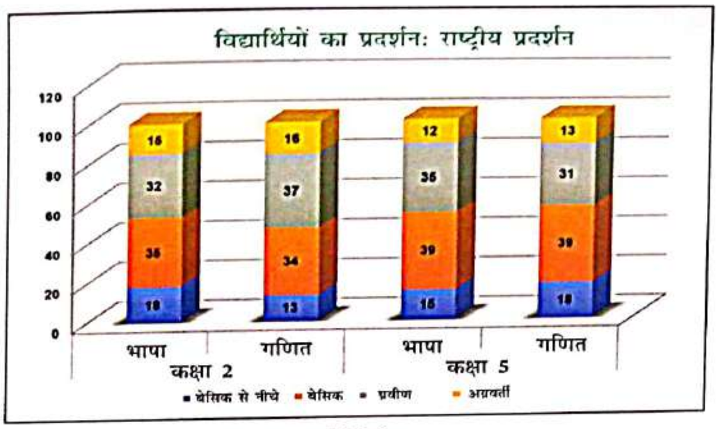

ग्राफ 2

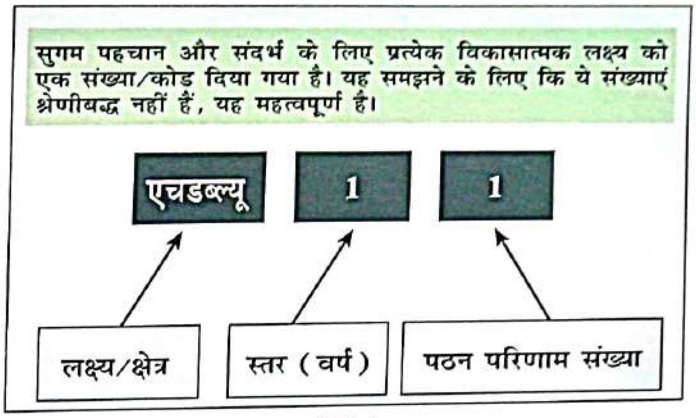

ग्राफ 3

नैतिक विकास, कला और सौंदर्य विकास शामिल हैं जो परस्पर और अन्योन्याश्रित हैं। ये विकासात्मक पहलू बच्चे को जटिल जीवन स्थितियों से निपटने में सक्षम बनाते हैं। इन सभी क्षेत्रों को निम्नलिखित तीन प्रमुख लक्ष्यों में शामिल किया गया है:

- **विकासात्मक लक्ष्य 1:** बच्चे अच्छे स्वास्थ्य और आरोग्यता को बनाए रख सकें
- **विकासात्मक लक्ष्य 2:** बच्चे प्रभावी संचारक बनें
- **विकासात्मक लक्ष्य 3:** बच्चे पूरी तरह लिप्त होकर सीखने वाले बनें और मौजूदा माहौल से जुड़ जाते हैं।

योग्यता

प्रत्येक विकासात्मक लक्ष्य के लिए दक्षताओं की पहचान की गई है। वे प्रकृति में सामान्य हैं और सीखने के एक से अधिक परिणामों से संबंधित हो सकते हैं। योग्यताएं निर्दिष्ट करती हैं कि बच्चे क्या जानेंगे, क्या करने में सक्षम होंगे, या जब वे किसी पाठ्यक्रम या कार्यक्रम में भाग लेंगे या पूरा कर लेंगे तो प्रदर्शित करने में सक्षम होंगे। योग्यता-आधारित शिक्षा में, शिक्षण और सीखना, इन बुनियादी दक्षताओं को प्राप्त करने पर केंद्रित होता है जिसे सीखने के परिणामों के माध्यम से मापा जा सकता है।

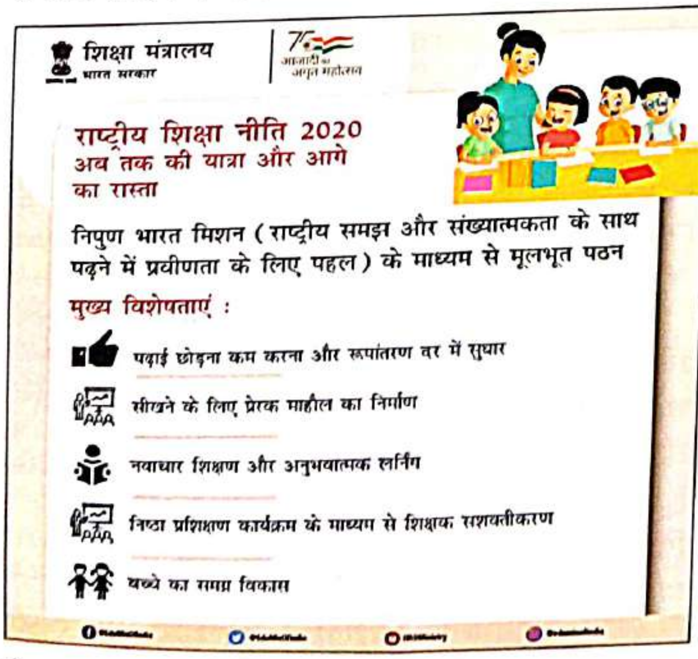

सीखने के परिणाम और इसका संहिताकरण

सीखने के परिणाम विशिष्ट और मापने योग्य विवरण होते हैं जो यह वर्णन करते हैं कि कोई विद्यार्थी वास्तव में क्या करने में सक्षम होगा। पहचान की गई दक्षताओं को हासिल करने के लिए, प्रत्येक लक्ष्य के तहत सीखने के परिणामों की भी पहचान की गई है और एक कक्षा से दूसरी कक्षा में बच्चे की प्रगति को समझने के लिए उसे संहिताबद्ध किया गया है, इन्हें प्रीस्कूल के 3 साल से ग्रेड 3 (स्तर 1 से 6) तक संहिताबद्ध किया गया है।

प्री-स्कूल 1 से ग्रेड 3 तक सीखने के परिणाम प्राप्त करने के दौरान बच्चे की प्रगति के चक्र को तालिका-1 में दर्शाया गया है।

निपुण भारत मिशन की एक और विशिष्ट विशेषता लक्ष्य सूची या मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता के लिए लक्ष्य है जिसे विशेष रूप से माता-पिता, समुदाय, स्वयंसेवकों आदि के बीच अधिक जागरूकता पैदा करने के लिए विकसित किया गया है। लक्ष्य को बालवाटिका से ग्रेड 3 तक विकसित किया गया है और ये एनसीईआरटी और अंतरराष्ट्रीय शोध तथा ओआरएफ अध्ययन द्वारा विकसित सीखने के परिणाम पर आधारित हैं। उदाहरण के लिए, एक बच्चे को समझ और स्पष्टता के साथ एक उम्र उपयुक्त अज्ञात पाठ से क्रमशः ग्रेड 2 और 3 के अंत तक 45 से 60 शब्द प्रति मिनट और कम से कम 60 शब्द प्रति मिनट सही ढंग से पढ़ने में सक्षम होना चाहिए।

विद्या प्रवेश

भारत में, गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक बचपन देखभाल और शिक्षा (ईसीसीई) तक पहुंच का लक्ष्य अब भी हासिल करना बाकी है। ऐसे कई बच्चे हैं जो प्री-स्कूल के बिना सीधे कक्षा 1 में प्रवेश करते हैं। इसलिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में 3 महीने की गतिविधि-आधारित स्कूल तैयारी मॉड्यूल की सिफारिश की गई है ताकि बच्चे ग्रेड 1 के लिए तैयार हो जाएं। इस सिफारिश के अनुसार, एनसीईआरटी ने निपुण भारत मिशन के अभिन्न अंग के रूप में 3 महीने का खेल आधारित 'स्कूल तैयारी मॉड्यूल' - विद्या प्रवेश, विकसित किया है जिसे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा ग्रेड 1 में प्रवेश करने वाले बच्चों की आवश्यकता के अनुसार अनुकूलित किया जा सकता है या अपनाया जा सकता है। विद्या प्रवेश का उद्देश्य विविध स्थितियों से आने वाले सभी बच्चों को उम्र और एफएलएन पर फोकस के साथ सभी बच्चों के विकास

	योग्यता	प्रीस्कूल 1	प्रीस्कूल 2	बालवाटिका	कक्षा 1	कक्षा 2	कक्षा 3
		पठन परिणाम					
लक्ष्य 1	स्व जागरूकता दर्शाता है	एचडब्ल्यू 1.1 अपने बारे में कुछ शारीरिक विशेषताएं बताने की शुरुआत	एचडब्ल्यू 2.1 शारीरिक विशेषताओं के संदर्भ में स्वयं का वर्णन	एचडब्ल्यू 3.1 शारीरिक विशेषताओं, लिंग, रुचियों, पसंद, नापसंद के संदर्भ में स्वयं और अन्य का वर्णन	एचडब्ल्यू 4.1 शरीर के विभिन्न भागों की पहचान और विभिन्न शारीरिक संचलन का प्रयोग	एचडब्ल्यू 5.1 उचित मुद्रा बनाए रखना और खेलों में भाग लेने के लिए शरीर के विभिन्न संचलन का इस्तेमाल	एचडब्ल्यू 6.1 कौशल और मजबूती बढ़ाने के लिए खेलों में भाग लेना
लक्ष्य 2	ध्वन्यात्मक जागरूकता तुकबंदी दर्शाता है	ईसीएल 11.4बी गानों, कविताओं के शब्द, पंक्तियां, भाग अपनी भाषा में गाना/ गुनगुनाना/एल 2	ईसीएल 12.4 कविता के कुछ शब्दों की पहचान	ईसीएल 13.4 गैर बेतुकी तुकबंदी शब्द रचना करना और आनंद लेना	ईसीएल 14.4 उपलब्ध पाठ्यचर्या पर आधारित तुकबंदी शब्द रचना	ईसीएल 154 जोड़े में चयनित तुकबंदी शब्द लिखना	ईसीएल 16.4 छोटे वाक्य लिखने के लिए तुकबंदी शब्दों का प्रयोग
लक्ष्य 3	दी गई वस्तुओं और चित्रों की तुलना और वर्गीकरण	आईएल 1.5 एक अवलोकनीय गुण पर आधारित दो वस्तुओं की तुलना, उदाहरण के लिए-लंबाई, वज़न या आकार	आईएल 2.5 रूप तथा रंग, और आकार तथा रूप जैसे दो कारकों द्वारा वस्तुओं की तुलना और वर्गीकरण। बड़ा/ छोटा/ऊंचा/लघु जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर वस्तुओं का वर्णन	आईएल 3.5 रूप, रंग, और आकार जैसे तीन कारकों द्वारा वस्तुओं की तुलना और वर्गीकरण। वस्तुओं का वर्णन करने के लिए स्थिति शब्दों (आसपास, अंदर, नीचे आदि) का सही इस्तेमाल	आईएल 4.5 कई कारकों पर आधारित वस्तुओं/ चित्रों की तुलना और वर्गीकरण और स्थिति की समझ दर्शाना	आईएल 5.5 कई कारकों पर आधारित वस्तुओं/ चित्रों की तुलना तथा वर्गीकरण और गुणों को इस्तेमाल करते हुए वर्णन करना	आईएल 6.5 विभिन्न वर्गों में वस्तुओं/चित्रों की तुलना तथा वर्गीकरण और वर्गीकरण के लिए इस्तेमाल किए गए गुणों का वर्णन

और सीखने के लिए मजबूत नींव को बढ़ावा देने के लिए उपयुक्त प्रारंभिक पठन अनुभव प्रदान करना है। यह मॉड्यूल कक्षा 1 के लिए सुगम रूपांतरण और बच्चों को स्कूल की दिनचर्या से परिचित कराना भी सुनिश्चित करेगा।

पठन के लिए आकलन

निपुण भारत मिशन, 21वीं सदी के कौशल को बढ़ावा देता है और रटकर याद रखने की जगह विवेचनात्मक सोच, वैज्ञानिक स्वभाव और गतिविधि-आधारित शिक्षा का उपयोग करता है। इसमें शिक्षा के इस प्राथमिक उद्देश्य पर ध्यान दिया गया है कि शिक्षार्थी ज्ञान प्राप्त करेगा, जो हासिल किया गया है उसे समझेगा और समस्याओं को हल करने के लिए उस ज्ञान के अनुप्रयोग में सूचित निर्णय लेगा। यदि शिक्षार्थी सामग्री और अपने दैनिक जीवन के बीच संबंध बनाने में असमर्थ है, तो सामग्री अर्थ खो देती है। स्कूलों को ऐसा वातावरण प्रदान करना चाहिए जहां विद्यार्थी कक्षा के बाहर विषयों, सामग्री और कौशल के साथ-साथ स्कूल और जीवन के बीच संबंधों को देखने की क्षमता विकसित कर सकें।

मूल्यांकन में विद्यार्थियों के ज्ञान, कौशल, दृष्टिकोण, क्षमता और विश्वास के बारे में सभी संभावित स्रोतों से जानकारी एकत्र करना, उसका दस्तावेजीकरण करना और इस डेटा का उपयोग सूचित निर्देशात्मक निर्णय लेने, प्रक्रियाओं को परिष्कृत या पुनर्गठित करने और अंततः विद्यार्थियों के सीखने में सुधार करने के लिए करना शामिल है। आधारभूत स्तर पर, स्कूल-आधारित मूल्यांकन, सीखने की प्रगति पर नजर रखने का सबसे उपयुक्त तरीका है। निपुण भारत मिशन स्कूल स्तर पर तनाव मुक्त, और गुणवत्तापूर्ण अवलोकन-आधारित मूल्यांकन की सिफारिश करता है। स्कूल-आधारित मूल्यांकन (एसबीए) का मुख्य उद्देश्य पाठ्यचर्या में वांछित सीखने के परिणामों को प्राप्त करने में व्यक्तिगत, कक्षा की गतिविधियों के सामूहिक प्रभाव और घर पर अनुभव को देखना है।

स्कूल-आधारित मूल्यांकन विकेंद्रीकृत तरीके से शिक्षा की गुणवत्ता की निगरानी में मदद करेगा। यह दिन-प्रतिदिन के अवलोकन और प्राप्त परिणामों के दस्तावेजीकरण के साथ-साथ स्वास्थ्य तथा पोषण की स्थिति के संदर्भ में बच्चों के विकास और सीखने के अनुभवों, कलाकृति, खेल अभ्यास, संगीत आदि में कक्षा में और बाहर उनके व्यवहार सहित उनकी भागीदारी के आधार पर किया जाएगा। इस स्तर पर आकलन सक्षमता को पहचानने, प्रोत्साहित करने और अतिरिक्त सहायता की आवश्यकता वाले क्षेत्रों की पहचान करने और सीखने/ विकासात्मक अंतराल को दूर करने के

एनसीईआरटी ने निपुण भारत मिशन के अभिन्न अंग के रूप में 3 महीने का खेल आधारित 'स्कूल तैयारी मॉड्यूल' - विद्या प्रवेश, विकसित किया है जिसे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा ग्रेड 1 में प्रवेश करने वाले बच्चों की आवश्यकता के अनुसार अनुकूलित किया जा सकता है या अपनाया जा सकता है।

लिए किया जाता है। स्कूल आधारित मूल्यांकन के अलावा, शिक्षा प्रणाली का आकलन करने के लिए समय-समय पर राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण (एनएएस) भी किया जाएगा।

हितधारकों की भागीदारी

किसी भी कार्यक्रम को सफल और संधारणीय बनाने का मुख्य कारक सभी हितधारकों की भागीदारी पर निर्भर है। माता-पिता और स्वयंसेवकों सहित समुदाय की भागीदारी के बिना निपुण भारत मिशन सफल नहीं हो सकता है।

विस्तारित शैक्षणिक सहायता प्रदान करने के लिए माता-पिता तथा समुदाय की भागीदारी और भी महत्वपूर्ण है। औपचारिक स्कूली शिक्षा प्रणाली में प्रवेश करने के बाद भी, परिवार और समुदाय सीखने के प्रमुख स्थान बने हुए हैं क्योंकि बच्चे अपना 80 प्रतिशत से अधिक समय घर पर बिताते हैं। इसके अतिरिक्त, विशेष रूप से प्रारंभिक वर्षों में प्रभावी सामुदायिक भागीदारी सुनिश्चित करने से स्थानीय संदर्भ, संस्कृति और भाषा को बच्चे की शिक्षा का एक अभिन्न अंग बनाया जा सकता है जो सीखने के स्तर को सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। हाल में कोविड-19 महामारी ने औपचारिक स्कूली शिक्षा प्रणाली की सीमाओं और सीखने की प्रक्रिया की निरंतरता सुनिश्चित करने में माता-पिता की भागीदारी के महत्व को भी प्रदर्शित किया है। सभी हितधारकों को 'निपुण भारत' के लक्ष्यों और बच्चे के भविष्य के सीखने के पथ पर इसकी गंभीरता और प्रभाव के बारे में जागरूक करने की आवश्यकता है।

निपुण भारत मिशन, 21वीं सदी के कौशल को बढ़ावा देता है और रटकर याद रखने की जगह विवेचनात्मक सोच, वैज्ञानिक स्वभाव और गतिविधि-आधारित शिक्षा का उपयोग करता है। इसमें शिक्षा के इस प्राथमिक उद्देश्य पर ध्यान दिया गया है कि शिक्षार्थी ज्ञान प्राप्त करेगा, जो हासिल किया गया है उसे समझेगा और समस्याओं को हल करने के लिए उस ज्ञान के अनुप्रयोग में सूचित निर्णय लेगा।

निष्कर्ष

मौजूदा 10+2 प्रणाली ने एक धारणा बनाई है कि शैक्षणिक उपलब्धियों के मामले में 10वीं और 12वीं कक्षा सबसे महत्वपूर्ण हैं और इन कक्षाओं में बच्चों को अनिवार्य रूप से अच्छा प्रदर्शन करने की आवश्यकता है। इस धारणा को बदलने और प्रारंभिक कक्षाओं पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है क्योंकि ऐसे पर्याप्त सबूत उपलब्ध हैं जो स्पष्ट रूप से दिखाते हैं कि यदि बच्चे ग्रेड 3 तक मूलभूत कौशल प्राप्त करने में असमर्थ हैं, तो उच्च कक्षा में उनके लिए पाठ्यक्रम की अपेक्षाओं को पूरा करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ग्रेड 3 वह विभाजन बिंदु है जहां बच्चों से 'सीखने के लिए पढ़ने' की अपेक्षा की जाती है और इस स्तर तक यदि बच्चे ऐसा नहीं कर पाते तो वे अनिवार्य रूप से पीछे छूट जाते हैं। अब समय आ गया है कि प्रत्येक नागरिक मूलभूत शिक्षा के महत्व को समझे और निपुण भारत मिशन को भव्य तथा संधारणीय रूप से सफल बनाने के प्रयासों में पूरे दिल से भाग ले। ■

संदर्भ

1. डंकन एट. अल, 2007
2. विश्व बैंक, 2009
3. ग्राह्म एन्ड केली, 2018
4. निपुण भारत: दिशानिर्देश उपलब्ध हैं: https://www.education.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/nipun_bharat_eng1.pdf
5. मुरलीधरन और ज़िएलेनिअक 2013

प्रकाशन विभाग के विक्रय केंद्र

नई दिल्ली	पुस्तक दीर्घा, सूचना भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड	110003	011-24367260
नवी मुंबई	701, सी- विंग, सातवीं मंजिल, केंद्रीय सदन, बेलापुर	400614	022-27570686
कोलकाता	8, एसप्लानेड ईस्ट	700069	033-22488030
चेन्नई	'ए' विंग, राजाजी भवन, बसंत नगर	600090	044-24917673
तिरुअनंतपुरम	प्रेस रोड, नयी गवर्नमेंट प्रेस के निकट	695001	0471-2330650
हैदराबाद	कमरा सं 204, दूसरा तल, सीजीओ टावर, कवाड़ीगुड़ा, सिकंदराबाद	500080	040-27535383
बेंगलुरु	फर्स्ट फ्लोर, 'एफ' विंग, केंद्रीय सदन, कोरामंगला	560034	080-25537244
पटना	बिहार राज्य कोऑपरेटिव बैंक भवन, अशोक राजपथ	800004	0612-2675823
लखनऊ	हॉल सं-1, दूसरा तल, केंद्रीय भवन, क्षेत्र-एच, अलीगंज	226024	0522-2325455
अहमदाबाद	4-सी, नेप्चून टॉवर, चौथी मंजिल, नेहरू ब्रिज कॉर्नर, आश्रम रोड	380009	079-26588669
गुवाहाटी	असम खाड़ी एवं ग्रामीण उद्योग बोर्ड, भूतल, एमआरडी रोड, चांदमारी	781003	0361.2668237

शिक्षा और समुदायों को जोड़ती है एनईपी 2020

डॉ एमके श्रीधर
डॉ मनसा नागभूषणम

सभ्यता की शुरुआत से ही शिक्षा भारतीय समाज की बुनियाद रही है। भारत के औपनिवेशीकरण से पहले हमारे देश में अनौपचारिक ढांचे वाली गुरुकुल शिक्षा प्रणाली प्रचलित थी। इसमें समाज से संवाद तथा ज्ञान और इसके उपयोग के बीच संबंध की ज्यादा संभावना थी। नालंदा और तक्षशिला के काल में भारत में उच्चतर शिक्षा ज्यादा समग्र और समाज से जुड़ी हुई थी। हमारी मौजूदा शिक्षा प्रणाली ब्रिटिश ढांचे पर आधारित है। ब्रिटिश शिक्षा प्रणाली का ढांचा औपचारिक था और इसने भारत में शिक्षा के विकास में बहुत योगदान किया। भारत में विश्वविद्यालय, महाविद्यालय और विद्यालय स्तर पर शिक्षा के ढांचे का निर्माण और विकास इसी प्रणाली के अनुसार हुआ है।

हमारे देश में शिक्षा के महत्व पर काफी जोर दिया जाता है। देश की शुरुआती दो शिक्षा नीतियों में बच्चों के लिये अनिवार्य शिक्षा और विभिन्न सामाजिक समुदायों के बीच समानता पर बल दिया गया है। दोनों नीतियां पहुंच, गुणवत्ता और न्यायसंगतता हासिल करने के लिये नियामक ढांचों, प्रणालियों और प्रक्रियाओं की स्थापना में सफल रही हैं। शिक्षा क्षेत्र के विकास के साथ ही अनेक चुनौतियां भी सामने आयी हैं। उत्कृष्टता पर ज्यादा ध्यान दिये जाने से शिक्षा अधिक ज्ञानोन्मुख बन गयी है। लिहाजा, अर्जित ज्ञान के समाज में उपयोग का महत्व घटा है।

सामुदायिक भागीदारी शिक्षा को समाज से जोड़ने वाली महत्वपूर्ण कड़ी है। यह अहम है कि समुदाय अपने स्वामित्व का शैक्षिक प्रयासों तक विस्तार करें। दूसरी ओर शैक्षिक संस्थान अपने कार्यक्रमों और सेवाओं को समाज के सशक्तीकरण में लगायें। इससे शिक्षा और समुदायों के बीच अंतर-संबंध विकसित होगा। मौजूदा ढांचे में विद्यालय विकास और निगरानी समितियों-स्कूल डेवलपमेंट एंड मॉनिटरिंग कमेटीज (एसडीएमसी) में भागीदारी के जरिये समुदाय शैक्षिक प्रयासों तक अपने स्वामित्व का विस्तार करता है। दूसरी ओर शैक्षिक संस्थान एनएसएस, एनसीसी, रेड क्रॉस और अन्य ऐच्छिक प्रयासों के माध्यम से समुदायों के साथ काम करते हैं।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति-नेशनल एजुकेशन पॉलिसी (एनईपी) 2020 का लचीलापन और उसकी स्वायत्तता सामुदायिक भागीदारी को शिक्षा का अंतर्निहित तत्व बनाती है। लचीलापन संस्थागत स्तर पर सामुदायिक भागीदारी का अधिक अवसर प्रदान करता है। स्वायत्तता से संस्थानों को ताकत मिलती है। लचीले और स्वायत्त संस्थान समाज के साथ अंतर-संबंध के लिये कार्यक्रमों को डिजाइन और विकसित करने के वास्ते आजाद हैं। एनईपी 2020 के सभी पहलू हमें यह एहसास कराते हैं कि शिक्षा सामाजिक न्याय और परिवर्तन के लक्ष्यों को हासिल करने का साधन है। इस नीति में शिक्षा में समुदाय की प्रत्यक्ष और परोक्ष भूमिका को स्पष्ट किया गया है। समुदाय की प्रत्यक्ष भूमिकाओं में आंगनवाड़ियों को शिक्षा के दायरे में लाना, विभिन्न स्तरों पर कौशलों को जोड़ना, शिक्षा को संपूर्ण और बहुविषयक बनाना तथा अनुभव के जरिये ज्ञानार्जन की ओर ध्यान केंद्रित करना शामिल है। नीति में स्वायत्तता का माहौल बनाने, शिक्षा के मुख्य पाठ्यक्रम से स्थानीय कौशलों को जोड़ने तथा समुदाय को प्रभावित करने वाले अनुसंधान पर जोर दिया गया है।

स्कूली शिक्षा में सामुदायिक भागीदारी

एनईपी 2020 में एक ऐसी सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली की कल्पना की गयी है जिसमें लोकोपकारी निजी और सामुदायिक हिस्सेदारी हो। समुदाय सही मायनों में स्कूली शिक्षा का अभिन्न अंग हैं। स्कूली शिक्षा को संवारने में इनकी बड़ी भूमिका है। स्थानीय समुदाय सक्रिय हो और स्कूलों की गतिविधियों में हिस्सा ले तभी गांव के विद्यालय प्रभावी ढंग से काम करते हैं।

शुरुआती बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा-अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन (ईसीसीई) के बारे में एनईपी 2020 में कहा गया है कि आंगनवाड़ियां पूरी तरह से समेकित परिसर या समूह होंगी। बच्चों के अभिभावकों और शिक्षकों को स्कूल

प्रोफेसर एमके श्रीधर शैक्षिक और सामाजिक अध्ययन केंद्र के अध्यक्ष हैं। वह राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 बनाने वाली समिति का सदस्य रह चुके हैं।
ईमेल : bharathwaasi@gmail.com
प्रोफेसर मनसा नागभूषणम एमएस रामैया प्रबंधन संस्थान, बेंगलुरु में प्राध्यापक हैं। ईमेल: manasa.sudarshana@gmail.com

परिसर के कार्यक्रमों में भागीदारी के लिये आमंत्रित किया जायेगा। आंगनवाड़ियों ने अब तक माताओं और बच्चों के पोषण पर ध्यान केंद्रित किया है। इसलिये आंगनवाड़ियों को शिक्षा से जोड़े जाने से उनके दायरे का विस्तार होता है। वे अभिभावकों और समुदायों को जरूरी पोषण और स्वास्थ्य सेवा के साथ ही शुरुआती बाल शिक्षा मुहैया कराने में सक्षम बनाती हैं।

समूह स्कूलों की अवधारणा से विद्यालयों के निर्माण और शिक्षा को बढ़ाने में समुदाय की भूमिका निर्धारित होती है। स्कूल परिसर आसपास के विद्यालयों को एक समूह में एकत्र करता है। इससे वे अपने शिक्षकों तथा ज्ञान और भौतिक संसाधनों को साझा कर सकते हैं। लेकिन इससे सबसे बड़ा लाभ आसपास के समुदायों को होगा। विस्तृत आधार वाले स्कूल परिसरों और समूहों से स्थान और स्थिति के अनुरूप नवोन्मेषों को बढ़ावा मिलेगा। स्कूल समूह प्रबंध समिति में समुदाय के प्रतिनिधि और स्थानीय प्रबंधन विशेषज्ञ समेत विभिन्न हितधारक होते हैं। स्थानीय प्रबंधन विशेषज्ञ स्कूल समूहों के प्रशासन और प्रबंधन का जिम्मा उठा सकते हैं।

गैर-सरकारी लोकोपकारी संगठनों को स्कूल बनाने और विकसित करने के लिये प्रोत्साहित किया जाता है। स्कूलों के प्रबंधन और विकास में सामुदायिक भागीदारी हो तो वे नतीजों को हासिल करने के लिये ज्यादा सक्रिय होते हैं। स्कूलों के विकास में सामुदायिक भागीदारी की संसाधनों, प्रक्रियाओं और नतीजों के लिहाज से विद्यालय के सुधार में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। नीति में ज्ञानार्जन को ज्यादा प्रभावी बनाने तथा बुनियादी साक्षरता और अंक ज्ञान के लक्ष्यों को हासिल करने में समुदाय, पूर्व छात्रों और स्वयंसेवियों की भागीदारी का सुझाव दिया गया है।

एनईपी 2020 के सभी पहलू हमें यह एहसास कराते हैं कि शिक्षा सामाजिक न्याय और परिवर्तन के लक्ष्यों को हासिल करने का साधन है। इस नीति में शिक्षा में समुदाय की प्रत्यक्ष और परोक्ष भूमिका को स्पष्ट किया गया है।

नयी राष्ट्रीय शिक्षा नीति में स्कूल की अप्रयुक्त अवसंरचना क्षमता का इस्तेमाल करने के लिये सामाजिक चेतना केंद्र खोलने का सुझाव दिया गया है। ये केंद्र समुदाय के लिये सामाजिक, बौद्धिक और स्वैच्छिक गतिविधियों को बढ़ावा देंगे। शिक्षण के बाद के समय में होने वाली इन गतिविधियों से सामाजिक एकजुटता को प्रोत्साहन मिलेगा।

उच्चतर शिक्षा में सामुदायिक भागीदारी

एनईपी 2020 में उच्चतर शिक्षा संस्थानों में सामाजिक जिम्मेदारी और सामुदायिक भागीदारी के लिये अनेक महत्वपूर्ण सुझाव दिये गये हैं। उच्चतर शिक्षा में सामुदायिक भागीदारी से सिद्धांत और व्यवहार के बीच दूरी मिटती है। शिक्षा अगर समाज की समस्याओं की पहचान कर उनका समाधान नहीं करे तो वह बेमानी है। इसलिये उच्चतर शिक्षा संस्थानों और समुदायों के बीच गहरा संवाद महत्वपूर्ण है। शिक्षा और समुदायों के बीच चोली-दामन का संबंध है। शिक्षा को समाज की समस्याओं का हल ढूंढने में योगदान करना चाहिये। दूसरी तरफ समाज को भी पाठ्यक्रम विकास, शिक्षण और ज्ञानार्जन तथा अनुसंधान की गतिविधियों में संस्थानों की सहायता करनी चाहिये।

एनईपी 2020 की एक प्रमुख सिफारिश उच्चतर शिक्षा को विस्तृत आधार वाली और समग्र बनाने की है। विश्वविद्यालय और महाविद्यालय उच्चतर शिक्षा के बहुविषयक संस्थान में तब्दील हो जायेंगे। वे गुणवत्तापूर्ण शिक्षण, अनुसंधान और सामुदायिक भागीदारी के साथ स्नातकोत्तर और स्नातक कार्यक्रम संचालित करेंगे। बहुविषयक दृष्टिकोण से उनके लचीले और नवोन्मेषी पाठ्यक्रम समाज की जरूरतों से जुड़ेंगे। चयन आधारित क्रेडिट प्रणाली-च्वाइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम (सीबीसीएस) पाठ्यक्रमों के विविधतापूर्ण-संमिश्रण को जन्म देगी। ज्ञानार्जन के आधार को विस्तृत बनाने के लिये सामुदायिक सेवा, पर्यावरण और मूल्य आधारित शिक्षा जैसे क्षेत्रों से संबंधित पाठ्यक्रमों का सुझाव दिया गया है। इसके अलावा जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण, कचरा प्रबंधन, स्वच्छता, जैव विविधता संरक्षण, जैविक संसाधन और जैव विविधता प्रबंधन, वन और वन्य जीव संरक्षण तथा संवहनीय विकास और जीवन शैली जैसे क्षेत्रों में परियोजनाओं का सुझाव भी दिया गया है। मूल्य आधारित शिक्षा में मानवीय, नैतिक, सांवैधानिक और वैश्विक मानव मूल्यों तथा जीवन कौशल का विकास शामिल है। इसमें सेवा और सामुदायिक कार्यक्रमों में भागीदारी को भी

रखा गया है। छात्रों को स्थानीय उद्योगों, व्यवसायों, कलाकारों और शिल्पकारों के साथ प्रशिक्षण के अवसर मुहैया कराये जायेंगे। साथ ही वे अपने या अन्य उच्चतर शिक्षा संस्थानों में शिक्षकों और अनुसंधानकर्ताओं के साथ अनुसंधान का प्रशिक्षण ले सकेंगे। छात्र खेल, संस्कृति, पर्यावरण क्लबों और सामुदायिक सेवा परियोजनाओं के जरिये अपनी विद्या के व्यावहारिक पक्ष से सक्रियता से जुड़ सकेंगे। एनईपी 2020 वैश्विक नागरिकता शिक्षा-ग्लोबल सिटीजनशिप एजुकेशन (जीसीईडी) के अनुरूप छात्रों के सशक्तीकरण की सिफारिश करती है ताकि वे दुनिया के मुद्दों को समझते हुए ज्यादा शांतिपूर्ण, सहनशील, समावेशी, सुरक्षित और संवहनीय समाजों को सक्रियता से बढ़ावा देने वाले बन सकें।

स्कूलों के विकास में सामुदायिक भागीदारी की संसाधनों, प्रक्रियाओं और नतीजों के लिहाज से विद्यालय के सुधार में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। नीति में ज्ञानार्जन को ज्यादा प्रभावी बनाने तथा बुनियादी साक्षरता और अंक ज्ञान के लक्ष्यों को हासिल करने में समुदाय, पूर्व छात्रों और स्वयंसेवियों की भागीदारी का सुझाव दिया गया है।

एनईपी 2020 लागू करने की दिशा में प्रयास

सरकारें और संबंधित संस्थाएं एनईपी 2020 को राष्ट्रीय और राज्यों के स्तर पर लागू करने के लिये दिशानिर्देश विकसित कर रही हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग-युनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन (यूजीसी) ने राष्ट्रीय पाठ्यक्रम फ्रेमवर्क और दिशानिर्देश 2020 विकसित किये हैं। इनका मकसद खास तौर से उच्चतर शिक्षा संस्थानों में सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देना है। 'उन्नत भारत अभियान' के तहत छात्रों को ग्रामीण समुदायों से जोड़ने के लिये कोर्स और पाठ्यक्रम तैयार करने के प्रयास किये जा रहे हैं। शिक्षा मंत्रालय ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण शिक्षा परिषद को सामाजिक जिम्मेदारी और सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देने के लिये मुक्त ऑनलाइन कोर्स तैयार करने और उन्हें 'स्वयं' प्लेटफॉर्म पर चलाने का दायित्व सौंपा है।

संस्थानों में सामुदायिक भागीदारी का क्रियान्वयन

सामुदायिक भागीदारी की गहराई इस बात पर निर्भर करती है कि संस्थान अपने संचालन, शिक्षण और ज्ञानार्जन, अनुसंधान तथा सांस्थानिक विकास में समुदायों को शामिल करने को कितनी प्राथमिकता देते हैं। नीति ने संस्थानों को समाज का अभिन्न अंग बनने का रास्ता दिखाया है। उसने स्पष्ट किया है कि संस्थान किस तरह समाज से संसाधन हासिल कर समुदायों के साथ ज्ञान को बांट सकते हैं।

नीति में स्पष्ट तौर पर बताया गया है कि सामुदायिक भागीदारी क्यों जरूरी है और इसे बेहतर बनाने के लिये विद्यालयों, महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों को क्या करना चाहिये। अब यह संस्थानों की जिम्मेदारी है कि नीति में बतायी गयी दिशा में आगे बढ़ें।

विद्यालयों और महाविद्यालयों के सामने अब इस नीति को इसकी मूल भावना और सक्रियता के साथ लागू करने की चुनौती है। सामुदायिक भागीदारी को संस्थानों की दृष्टि, उद्देश्य, लक्ष्यों और योजनाओं में शामिल कर इसे संस्थागत रूप दिये जाने की जरूरत है। सामुदायिक भागीदारी को शिक्षण, ज्ञानार्जन और अनुसंधान के अन्य क्षेत्रों के साथ जोड़ने के लिये संस्थागत प्रणालियों को विकसित करना होगा। दूसरी ओर संस्थान एनईपी 2020 को लागू करने में सहायता की जरूरत महसूस कर रहे हैं। उन्हें उम्मीद है कि मौजूदा निर्देशों के अलावा उन्हें सरकार और संचालन समितियों से कुछेक दिशानिर्देश भी मिलेंगे। लेकिन उन्हें भी अपने स्तर पर सक्रियता दिखाते हुए सामुदायिक भागीदारी को लागू करना चाहिये।

सामुदायिक भागीदारी को वास्तविकता में बदलने के लिये संस्थानों के पास तीन विकल्प हैं। पहला, वे सरकार से मिलने वाले दिशानिर्देशों को लागू करें। दूसरा, सरकार और अन्य संबंधित संस्थाओं से दिशानिर्देश नहीं मिलने की स्थिति में भी वे नीति की भावना के अनुरूप उसे लागू करें। वे टीमों का गठन कर योजनाएं बनायें और सामुदायिक हितधारकों को साथ लेते हुए उन्हें लागू करें। तीसरा विकल्प यह है कि वे एनईपी 2020 से भी आगे जाकर समुदाय को संस्थान के करीब लाने के लिये नये तौरतरीके इजाद करें। संस्थान ही समाज के साथ अंतर-संबंध कायम कर सकते हैं। इसे हासिल करने के लिये संस्थानों को अपने हितधारकों को बताना होगा कि वे समाज का हिस्सा हैं। इसलिये अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिये उन्हें समाज को संस्थान के नजदीक लाना होगा।

नयी राष्ट्रीय शिक्षा नीति में सामाजिक संपर्क की जरूरत को शिक्षा के जरिये पूरा करने की कोशिश की गयी है। इन लक्ष्यों को हासिल करने में सरकारी संस्थाओं, गैर-सरकारी संगठनों और अन्य संस्थानों की भूमिका महत्वपूर्ण है। सबके सहयोग से ही इस तरह के संपर्क के लिये समुचित माहौल और अवसर बन सकेगा।

एनईपी 2020 में ज्ञानार्जन के तार्किक लक्ष्य को भी स्पष्ट किया गया है। शिक्षा का उद्देश्य सिर्फ ज्ञान हासिल करना नहीं होना चाहिये। इसका मकसद एक ऐसा परिवेश बनाना होना चाहिये जिसमें सिद्धांतों का उपयोग हो और सामाजिक आवश्यकताओं को पूरा करने में इनके व्यावहारिक इस्तेमाल को समझा जा सके।

नयी राष्ट्रीय शिक्षा नीति का लक्ष्य समाज और शिक्षा के बीच खाई को दूर करना है। शिक्षा को समाज का हिस्सा होना चाहिये। समाज को सहक्रियात्मक संबंध के लिये शैक्षिक संस्थानों के योगदान की दरकार है। यह संबंध तभी मजबूत हो सकता है जब संस्थान अपने किरदार को समझते हुए सामुदायिक भागीदारी को वास्तविकता में बदलने के लिये काम करें।

नयी राष्ट्रीय शिक्षा नीति का लक्ष्य समाज और शिक्षा के बीच खाई को दूर करना है। शिक्षा को समाज का हिस्सा होना चाहिये। समाज को सहक्रियात्मक संबंध के लिये शैक्षिक संस्थानों के योगदान की दरकार है। यह संबंध तभी मजबूत हो सकता है जब संस्थान अपने किरदार को समझते हुए सामुदायिक भागीदारी को वास्तविकता में बदलने के लिये काम करें। ■

शिक्षकों की भर्ती, प्रशिक्षण तथा मेरिट आधार पर मूल्यांकन

रंजीत सिंह डिसले

शिक्षा प्रणाली का उद्देश्य मानव को ऐसा भला इंसान बनाना है जिसकी सोच और कार्य युक्तिसंगत हो, जिसमें दया और सहानुभूति हो, साहस एवं संकटों का सामना करने की क्षमता हो, वैज्ञानिक दृष्टिकोण हो तथा नैतिकता एवं मूल्यों के साथ रचनात्मक कल्पनाशक्ति हो। इसका ध्येय ऐसे सक्रिय और सार्थक नागरिक तैयार करना है जो हमारे संविधान में निहित तत्वों के अनुरूप समतापूर्ण, समावेशी तथा बहुलतावादी समाज के निर्माण में योगदान कर सकें। विश्वभर में शिक्षा क्षेत्र में तेज़ी से बदलाव हो रहे हैं।

नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में इस बात पर विचार किया गया कि भारतीय शिक्षा प्रणाली को गतिशील कैसे रखा जाए। नीति में शिक्षकों की भूमिका के महत्व पर भी ज़ोर दिया गया है। इसमें कहा गया है कि "शिक्षक वास्तव में हमारे बच्चों के भविष्य और उनके माध्यम से देश के भविष्य को आकार देते हैं।" शिक्षकों को गुरु कहकर भी संबोधित किया जाता है। यह भारतीय संस्कृति में शिक्षक को गुरु कहने की परंपरा बहुत प्राचीन है जिससे पता लगता है कि हमारे समाज में सदियों से शिक्षकों को अपना सबसे सम्मानित सदस्य समझा जाता रहा है। वे पीढ़ी दर पीढ़ी कौशल, ज्ञान एवं आचार-व्यवहार सिखाने का जो पावन कार्य करते हैं यह उसका सम्मान है।

हालांकि समय के साथ बड़े पैमाने पर उनके शोषण के कारण बच्चों को लायक बनाने वाले इन सृजनहारों की भूमिका के प्रति उदासीनता का रवैया देखा गया है। किंतु लगातार बदलते विश्व में, शिक्षकों को केंद्र में रखते हुए, शिक्षा व्यवस्था में आमूल-चूल सुधार की आवश्यकता है। इसके लिए शिक्षकों की भर्ती, प्रशिक्षण

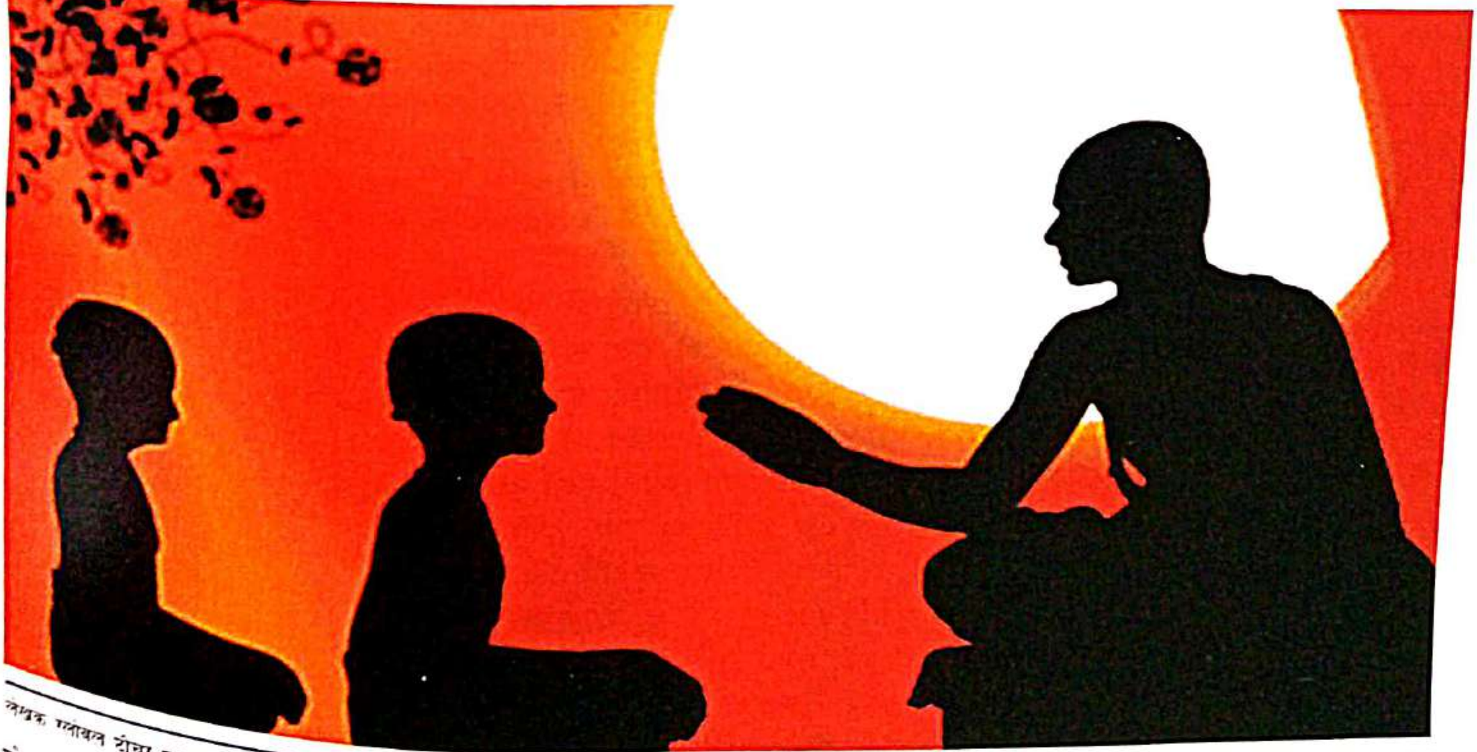

लेखक ग्लोबल टीचर प्राइज़ 2020 से सम्मानित भारत के पहले अध्यापक हैं। ईमेल: onlyranjitsinh@gmail.com

एवं योग्यता आधारित आकलन व्यवस्था में बदलाव करना होगा।

शिक्षक भर्ती प्रक्रिया

सरकारी और निजी स्कूलों में भर्ती हेतु शिक्षकों के पास पेशेवर डिग्री तथा टीईटी परीक्षा में सफलता का होना अनिवार्य है। नई शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 टीईटी को विभिन्न तरह से मज़बूत करने तथा विषय ज्ञान और शिक्षण दक्षता को प्रस्तुतियों एवं साक्षात्कारों के माध्यम से आंकने का सुझाव देती है। इन साक्षात्कारों से स्थानीय भाषा में शिक्षण में सहजता एवं निपुणता का भी आकलन हो सकेगा।

टीईटी को सुदृढ़ करने के अलावा एनईपी में शिक्षकों की भर्ती के बारे में अनेक सकारात्मक पहलू उजागर होते हैं। नीति का उद्देश्य शिक्षकों के सामूहिक तबादले बंद करके, स्थानांतरण की प्रक्रिया के लिए कंप्यूटरीकृत व्यवस्था अपना कर तथा राज्यों को विषय के अनुसार रिक्तियां तय करने के लिए योजना बनाने और पूर्वानुमान लगाने में प्रौद्योगिकी की मदद लेने का सुझाव देकर शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी बनाना है।

शिक्षकों की कमी एक प्रमुख चुनौती है। सामान्यत: विशेष रूप से कला, शारीरिक एवं व्यावसायिक शिक्षा, सलाहकारों तथा तकनीकी कर्मचारियों के मामले में यह समस्या प्रबल है। शिक्षकों की अपर्याप्त संख्या की समस्या से निपटने के लिए नीति के अंतर्गत स्कूल परिसर में स्थानीय विशेषज्ञों को नियुक्त करने तथा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश सरकारों द्वारा अपनाए गए स्कूलों के क्लस्टर में उनकी सेवाएं लेने के विचार को बढ़ावा दिया गया है।

नीति का उद्देश्य शिक्षकों के सामूहिक तबादले बंद करके, स्थानांतरण की प्रक्रिया के लिए कंप्यूटरीकृत व्यवस्था अपना कर तथा राज्यों को विषय के अनुसार रिक्तियां तय करने के लिए योजना बनाने और पूर्वानुमान लगाने में प्रौद्योगिकी की मदद लेने का सुझाव देकर शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी बनाना है।

यहां ध्यान देने योग्य बात यह है कि ग्रामीण क्षेत्रों में तैनाती में शिक्षकों की रुकावटों के अनेक कारण हैं। किंतु नई नीति, स्कूल परिसर में या उसके निकट आवास की व्यवस्था या आवासीय भत्ता बढ़ाने के प्रावधान के जरिए शिक्षकों को ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षण कार्य करने के प्रति प्रोत्साहन देने की अनुशंसा करती है।

इस नीति में, पारंपरिक स्थानीय कला, व्यावसायिक शिल्प, उद्यमिता, कृषि या स्थानीय विशेषज्ञता के किसी अन्य क्षेत्र जैसे विभिन्न विषयों के लिए स्थानीय प्रतिष्ठित व्यक्तियों या विशेषज्ञों को 'मास्टर इंस्ट्रक्टर' के रूप में नियुक्त करने हेतु प्रोत्साहित करने का प्रयास सराहनीय है। इससे विद्यार्थियों को लाभ होगा तथा स्थानीय ज्ञान एवं व्यवसायों को संरक्षण और बढ़ावा देने में मदद मिलेगी।

प्रशिक्षण

शिक्षक भर्ती अंतिम नहीं अपितु सर्वोत्तम शिक्षा व्यवस्था का लक्ष्य हासिल करने की दिशा में प्रारंभिक पड़ाव है। भर्ती के बाद शिक्षकों के कॅरिअर को आकार देना भी उतना ही आवश्यक है।

वैश्विक तंत्र तथा रोज़गार का परिदृश्य बदलने के साथ बच्चों के लिए यह समझना और भी ज़रूरी हो गया है कि कैसे सीखें। इसलिए शिक्षा अन्य बातों के साथ-साथ महत्वपूर्ण चिंतन, रचनात्मकता, बहु-विषयक अध्ययन, अनुकूलन, नवाचार और समस्या

निदान के तरीके सीखने पर केंद्रित होनी चाहिए।

शिक्षा का उद्देश्य उसे अधिक शिष्य केंद्रित, आनंदकारी, प्रयोगात्मक, खोजोन्मुख बनाना होना चाहिए। शिक्षा व्यवस्था को विज्ञान एवं गणित के साथ-साथ मूल कलाओं, मानविकी, क्रीड़ाओं और खेलों को भी अपनाना चाहिए। भाषाओं, साहित्य, संस्कृति तथा संस्कारों को सम्मिलित करने के महत्व को भी नहीं भुलाया जाना चाहिए क्योंकि यह सीखने वालों में सभी आयामों के विकास में मदद करेगा तथा उनका सामर्थ्य बढ़ाएगा।

नई नीति, स्कूल परिसर में या उसके निकट आवास की व्यवस्था या आवासीय भत्ता बढ़ाने के प्रावधान के जरिए शिक्षकों को ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षण कार्य करने के प्रति प्रोत्साहन देने की अनुशंसा करती है।

शिक्षक जिस तरह से विद्यार्थियों के साथ कक्षा में बात करते हैं और जो अनुभव बताते हैं वे विद्यार्थियों के भावनात्मक, शैक्षिक तथा सामाजिक शिक्षण के लिए बहुत अहम होते हैं। इसलिए शिक्षकों का प्रशिक्षण और भी ज़रूरी हो जाता है।

हम एक क्रिकेट टीम का उदाहरण लेते हैं। मैदान में खेलते 11 खिलाड़ियों के अलावा टीम में अतिरिक्त खिलाड़ी, मुख्य कोच, बल्लेबाजी कोच, गेंदबाज़ी कोच, मानसिक एवं शारीरिक कोच जैसे अन्य सदस्य भी होते हैं। उनके मज़बूत समर्थन से खिलाड़ी मैदान पर अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन दे पाते हैं। अगर हम यही बात शिक्षकों पर लागू करें? जिस तरह क्रिकेट खिलाड़ियों को मैदान पर मज़बूत समर्थन मिलता है यदि शिक्षकों को भी मिले तो वे भी अपना सर्वश्रेष्ठ दे सकते हैं। अतः शिक्षकों को प्रशिक्षण देने के साथ-साथ प्रशिक्षण प्रक्रिया का निरंतर जारी रहना भी महत्वपूर्ण है।

नई शिक्षा नीति में कहा गया है कि ''शिक्षकों को अपनी दक्षता में सुधार करने एवं अपने काम में नवीनतम तकनीकों और विधियों के बारे में सीखने के अवसर निरंतर दिए जाएंगे। यह अवसर, स्थानीय, क्षेत्रीय, प्रादेशिक, राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय कार्यशालाओं के साथ-साथ ऑनलाइन शिक्षक विकास मॉड्यूल्स सहित विभिन्न माध्यमों से दिए जाएंगे। ऐसे मंच (विशेष रूप से ऑनलाइन मंच) बनाए जाएंगे ताकि शिक्षक अपने विचार एवं सर्वोत्तम कार्य प्रणालियों को साझा कर सकें। प्रत्येक शिक्षक से यह अपेक्षा की जाएगी कि वह अपनी रुचि के अनुसार निरंतर व्यावसायिक दक्षता सुधारने के लिए कम से कम 50 घंटे के सीपीडी कार्यक्रमों में भाग लें। सीपीडी कार्यक्रमों में विशेष रूप से बुनियादी साक्षरता एवं अंक ज्ञान, सीखने के परिणामों के प्रारम्भिक एवं अनुकूलनीय आकलन, दक्षता आधारित अध्ययन से जुड़े नवीनतम शिक्षा विज्ञान को तथा प्रयोगात्मक अध्ययन से सम्बद्ध नई-नई शिक्षण विधियों के साथ-साथ कला-एकीकृत, खेल-एकीकृत एवं कथाकारिता दृष्टिकोण जैसी शिक्षण विधियों को व्यवस्थित रूप से शामिल किया जाएगा।''

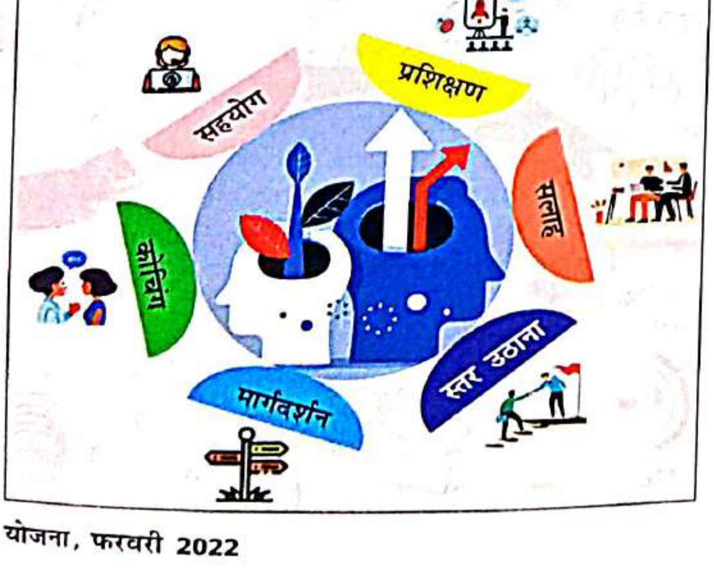

समाज में मौजूद विविधता तथा सामाजिक-आर्थिक स्तरों की भिन्नता को देखते हुए शिक्षकों के लिए मांग अनुरूप प्रशिक्षण की ज़रूरत है। प्रशिक्षण, मांग के अनुरूप/आवश्यकता-अनुरूप, निरंतर, व्यावहारिक तथा अधिक केंद्रित होना चाहिए।

- **मांग अनुरूप प्रशिक्षण:** इस समय, प्रशिक्षण व्यवस्था 'सभी के लिए एक जैसी' है अर्थात् सभी के लिए केवल एक प्रशिक्षण मॉड्यूल है। हमारा देश विविधताओं से भरपूर है। शिक्षक, शहरी, ग्रामीण, जनजातीय, दूरस्थ क्षेत्रों में पढ़ाते हैं, ऐसे तमाम कारकों को ध्यान में रखते हुए शिक्षक की ज़रूरतों के अनुसार प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। प्रशिक्षण शिक्षकों की आवश्यकता एवं माहौल के अनुरूप होना चाहिए।
- **अधिक व्यावहारिक:** इस समय शिक्षकों को सैद्धांतिक प्रशिक्षण दिया जाता है; उत्कृष्ट परिणाम प्राप्त करने के लिए इसमें व्यावहारिक और प्रयोगात्मक ज्ञान पर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए। इसे आसानी से समझने के लिए फुटबॉल टीम का उदाहरण लेते हैं। यदि फुटबॉल कोच खिलाड़ियों के मैदान पर ले जाए बिना कागज़ों पर गोल करना सिखाए तो क्या यह उपयुक्त होगा? हम जैसे विद्यार्थियों के लिए प्रशिक्षण आयोजित करते हैं, क्या वैसे ही विभिन्न गतिविधियों के जरिए शिक्षकों को प्रशिक्षण नहीं दिया जा सकता?

नए पाठ्यक्रम के बारे में सूचना, प्रशिक्षण सत्रों में व्याख्यानों के जरिए दी जाती है। क्या ऐसा कोई तरीका है कि इसे गतिविधियों के साथ जोड़ दिया जाए।

शिक्षकों के लिए आवश्यकता अनुरूप प्रशिक्षण होना चाहिए। यह सोच कर कि शिक्षकों को कक्षाओं में क्या करना होता है, उन्हें अभ्यास के लिए, अपने कौशल को और निखारने तथा सुधार हेतु प्रतिक्रियाएं प्राप्त करने के और अधिक अवसर दिए जाने चाहिए।

- **लक्ष्य केंद्रित प्रशिक्षण:** फिलहाल प्रशिक्षण तभी दिया जाता है जब पाठ्यक्रम में बदलाव किए जाते हैं या कुछ नया जोड़ा जाता है। ऐसे प्रशिक्षण सामान्य तरह के होते हैं। प्रशिक्षण केंद्रित होना चाहिए जिसे आंका जा सके और जो

परिणामोन्मुखी हो। उदाहरण के लिए, भाषा के कोर्स के लिए शिक्षकों के प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रशिक्षु को कविताएं सुनाने की तकनीक का प्रभावी उपयोग करना सिखाया जा सकता है। इस तरह से हम सामान्य प्रशिक्षण के बजाय केंद्रित प्रशिक्षण की तरफ बढ़ सकते है और बेहतर नतीजे हासिल कर सकते हैं।

- **अविरत प्रशिक्षण:** शिक्षकों को एक बार प्रशिक्षण देने के बाद उसे पूर्ण मान लिया जाता है। इस दृष्टिकोण को बदलने की आवश्यकता है। प्रशिक्षण पूरा होने के बाद एक ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जिसमें उनसे पूछा जाए कि कक्षा में पढ़ाते समय क्या उन्हें किसी तरह की कठिनाई का सामना करना पड़ता है? यदि हां तो व्यवस्था उन कठिनाइयों को दूर करने में सहायता कर सकती है।

शिक्षकों को प्रशिक्षण के बाद भी निरंतर सहायता दी जानी चाहिए। उन्हें प्रशिक्षण के बाद अवलोकन के आधार पर प्रतिक्रिया दी जानी चाहिए।

शिक्षा का उद्देश्य उसे अधिक शिष्य केंद्रित, आनंदकारी, प्रयोगात्मक, खोजोन्मुख बनाना होना चाहिए। शिक्षा व्यवस्था को विज्ञान एवं गणित के साथ-साथ मूल कलाओं, मानविकी, क्रीड़ाओं और खेलों को भी अपनाना चाहिए। भाषाओं, साहित्य, संस्कृति तथा संस्कारों को सम्मिलित करने के महत्व को भी नहीं भुलाया जाना चाहिए।

स्वतंत्र प्रशिक्षण संकाय

शिक्षकों के प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए प्रत्येक जिले से तीन से चार अध्यापकों को चुना जाता है और उन्हें राज्य स्तर पर प्रशिक्षित किया जाता है। यह प्रशिक्षु फिर जिला स्तर पर अध्यापकों के लिए प्रशिक्षक बनते हैं। यह प्रक्रिया तहसील और फिर प्रखंड स्तर पर चलती है। इस प्रक्रिया में शिक्षक, प्रशिक्षण में व्यस्त रहते हैं तथा कक्षाएं न चलने और कार्यकम उलट-पुलट रहने के कारण विद्यार्थियों की शिक्षा पर असर पड़ता है।

इस कुचक्र पर विराम लगाने के लिए एक अलग प्रशिक्षण संकाय होना चाहिए जिसमें इच्छुक एवं अतिरिक्त शिक्षक स्थायी प्रशिक्षक के रूप में नियुक्त किए जा सकते हैं। इन प्रशिक्षकों को उन्नत प्रशिक्षण दिया जाए जिससे वे निपुण प्रशिक्षक बन सकें जो जिला, तहसील तथा प्रखंड स्तर के अध्यापकों को प्रशिक्षित कर सकें। यह बदलाव राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में उपलब्ध राज्य शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद (एससीईआरटी) की प्रशिक्षण शाखा में किए जा सकते हैं।

इस व्यवस्था को पीपीपी आधार पर कार्यान्वित करने पर भी विचार किया जा सकता है, जिसमें निजी संगठन स्वेच्छा से प्रशिक्षक की तरह काम करेंगे। शिक्षकों को इसलिए प्रशिक्षण नहीं दिया जाता कि वे अन्य शिक्षकों को प्रशिक्षित करें। उन्हें सिर्फ विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। अतः कुशल एवं पेशेवर प्रशिक्षण टीम के साथ एक स्वतंत्र प्रशिक्षण संकाय के गठन या पेशेवर प्रशिक्षकों की ज़रूरत है।

आजकल विभिन्न मंचों पर कई ऑनलाइन कोर्स उपलब्ध हैं तो शिक्षकों को अपने समय के अनुसार विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेने का विकल्प दिया जाना चाहिए।

योग्यता आधारित मूल्यांकन

शिक्षकों के प्रशिक्षण के बाद अगला महत्वपूर्ण पड़ाव शिक्षकों के मूल्यांकन का है। एनईपी के अनुसार उत्कृष्ट कार्य करने वाले शिक्षकों को मान्यता, सराहना, पदोन्नति एवं वेतन में वृद्धि दी जानी चाहिए। सभी शिक्षकों को प्रोत्साहन देकर उनका मनोबल बढ़ाया जाना चाहिए ताकि वे बेहतर काम कर सकें। अतः कार्यकाल, पदोन्नति तथा वेतन संरचना का योग्यता आधारित मज़बूत ढांचा बनाया जाना चाहिए।

नई शिक्षा नीति में शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय पेशेवर मानक (एनपीएसटी) विकसित करने का भी संकेत है। यह 2022 तक तय कर लिए जाएंगे। इसमें सुझाव दिया गया है कि मानकों में विशेषज्ञता/अवस्था के विभिन्न स्तरों पर शिक्षक की अपेक्षित भूमिका तथा उसके लिए आवश्यक दक्षता को शामिल किया जाएगा। इसमें सामयिक आधार पर प्रत्येक अवस्था के लिए कार्य-प्रदर्शन मूल्यांकन हेतु भी मानक शामिल किए जाएंगे। एनपीएसटी सेवा-पूर्व शिक्षक शिक्षण कार्यक्रम की संरचना के बारे में भी बताएगा। इसे फिर राज्यों द्वारा अपनाया जा सकता है तथा कार्यकाल, पेशेवर दक्षता विकास प्रयासों, वेतन वृद्धि, पदोन्नति तथा अन्य सम्मान सहित शिक्षक कॅरिअर प्रबंधन के सभी पहलुओं को तय किया जा सकता है। पदोन्नति एवं वेतन वृद्धि कार्यकाल की अवधि या वरिष्ठता के आधार पर तय नहीं होंगे बल्कि इस तरह के मूल्यांकन के आधार पर होंगे। पेशेवर मानकों की 2030 में समीक्षा की जाएगी तथा उन्हें संशोधित किया जाएगा। उसके बाद व्यवस्था के प्रभाव के कड़े आनुभविक विश्लेषण के आधार पर हर 10 साल में समीक्षा और संशोधन किया जाएगा।

शिक्षकों का मूल्यांकन

वर्तमान में शिक्षकों के मूल्यांकन के लिए गोपनीय रिपोर्ट (सीआर) पद्धति लागू है। यह कार्य-प्रदर्शन तथा लक्ष्य आधारित पद्धति नहीं है। इसमें इस बात को महत्व नहीं दिया जाता कि शिक्षकों के प्रयासों से बच्चों में सीखने की क्षमता कितनी बढ़ी है। इसे और वस्तुनिष्ठ बनाने के लिए कुछ और पद्धति अपनाने की ज़रूरत है। शिक्षकों के कार्य-प्रदर्शन को आंका जाना चाहिए। वेतन वृद्धि प्रदर्शन आधारित होनी चाहिए, इस समय प्रचलित कार्यकाल आधारित नहीं। साथ ही प्रोत्साहन का प्रावधान भी होना चाहिए। इससे कार्य-प्रदर्शन सुधारने में मदद मिलेगी। इस तरह बेहतर प्रदर्शन से अपेक्षित परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं।

एनईपी काफी आशाजनक लग रही है क्योंकि इसमें 21वीं सदी में आवश्यक बदलावों को सही ढंग से उजागर किया गया है। शिक्षकों के प्रशिक्षण कार्यक्रम में कुछ और सुधार अपनाकर उन्हें लागू करने से शिक्षा व्यवस्था, बड़े लक्ष्य हासिल कर सकती है, शिक्षकों को दायरे से बाहर सोचकर बड़े शिखर छूने में मदद कर सकती है तथा बच्चों को अपनी क्षमता पहचानने में सहायता दे सकती है। ■

नौनिहालों का मानसिक विकास और ज्ञानार्जन

शंकर मारुवादा

देश में फिलहाल 3 से 6 साल के लगभग 10 करोड़ बच्चे हैं। सीखने के लिहाज से यह आयु वर्ग बेहद अहम होता है। शारीरिक, सामाजिक, भावनात्मक, भाषा आदि संबंधी विकास के लिए यह दौर महत्वपूर्ण माना जाता है। ये तमाम चीज़ें छोटे बच्चों की देखभाल और शिक्षा (अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन-ईसीसीई) के तहत आती हैं। इस आयु वर्ग में बच्चों के सीखने की प्रक्रिया, उनका व्यवहार और सेहत पर सबसे ज़्यादा असर देखने को मिलता है। जलवायु परिवर्तन और महामारी के कारण पैदा हुई स्थितियों के कारण ऐसे ज्यादातर छोटे बच्चों की सीखने की प्रक्रिया पर बुरा असर पड़ा है। कोविड-19 महामारी के कारण पैदा हुई चुनौतियों के बावजूद तीसरी लहर की शुरुआत से कुछ समय पहले तक स्कूलों में बच्चों की वापसी देखने को मिली थी। बहरहाल, हमें देश के नौनिहालों के लिए अवसरों को बढ़ाने की ज़रूरत है। हमारा भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि तेजी से बदलती इस दुनिया में हमारे छोटे बच्चों को सीखने और अपने भविष्य का निर्माण करने का कितना अवसर मिलता है।

कोविड-19 महामारी ने छोटे बच्चों के लिए समस्या और जटिल कर दी है। ऐसे में बच्चों की देखभाल और शिक्षा (ईसीसीई) के लिए ठोस बुनियाद तैयार करने की ज़रूरत है, क्योंकि आंकड़ों के मुताबिक भारत की बाल आबादी अपने उच्चतम स्तर है, लिहाजा अब इसमें मामूली गिरावट देखने को मिल सकती है (संयुक्त राष्ट्र-जनसंख्या डिविजन 2019)। अगले दशक में हर साल तकरीबन 2.3-2.4 करोड़ बच्चों के जन्म का अनुमान है (यूनिसेफ का डाटा)। अगर हम इस एक पीढ़ी के शिक्षा पर ज़्यादा मेहनत करेंगे, तो आने वाली पीढ़ियां इसका लाभ उठा सकेंगी।

बेहतर भविष्य का निर्माण

उदाहरण के तौर पर, हम साल 2040 की बात करते हैं-25 साल की रक्षा 2020 को याद करती है, जब कोरोना महामारी ने उसके गरीब माता-पिता की जिंदगी को तहस-नहस कर दिया था। तकरीबन 20 साल के बाद, वह अनिश्चितता की उसी राह पर खड़ी है। महामारी के दौरान पांच साल की रक्षा की देखभाल नहीं हो पाई और वह स्कूल भी नहीं गई। हालांकि, बाद में वह स्कूल गई, लेकिन 8वीं में उसे पढ़ाई छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। उसे लगता है कि वह पीढ़ियों से चली आ रही इस समस्या को दूर सकती है। वह नहीं चाहती कि उसकी 3 साल की बेटी का भी हाल उसके जैसा हो।

संतुलित और समग्र विकास के लिए, किसी बच्चे को शुरुआती वर्षों में इन चीज़ों की ज़रूरत होती है: अच्छी सेहत और पोषण से जुड़ी देखभाल और सुरक्षित माहौल के साथ-साथ ऐसी गतिविधियां जिनके जरिये बच्चों में एक-दूसरे के बीच संवाद, बच्चों और बड़ों के बीच संवाद और समग्र विकास की गुंजाइश बन सके। (एमडब्ल्यूसीडी 2013)

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 में कहा गया है, "बच्चों के दिमाग का 85 प्रतिशत से भी ज़्यादा विकास 6 साल की उम्र से पहले होता है। इससे बच्चों के शुरुआती वर्षों में उनके दिमाग को बेहतर बनाने से जुड़ी देखभाल की अहमियत के बारे में पता चलता है।"

न्यूरो विज्ञान ने हमें बताया है कि बच्चे का दिमाग इंद्रियों से जुड़ी गतिविधियों (मसलन देखना, सुनना, सूंघना, स्वाद चखना) को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा देने से विकसित होता है। (मैकेन एंड मस्टर्ड 1999)। मां द्वारा बच्चे को लोरी सुनाना या पिता का बच्चे के साथ खेलना ऐसे शुरुआती अनुभव हैं। इन वर्षों में बच्चे का दिमाग लचीला होता है, तेजी से बढ़ता है और अनुभवों को ग्रहण करता है। लिहाजा,

लेखक एकस्टेप फाउंडेशन के सीईओ और सहसंस्थापक हैं। ईमेल: shankar@ekstep.org

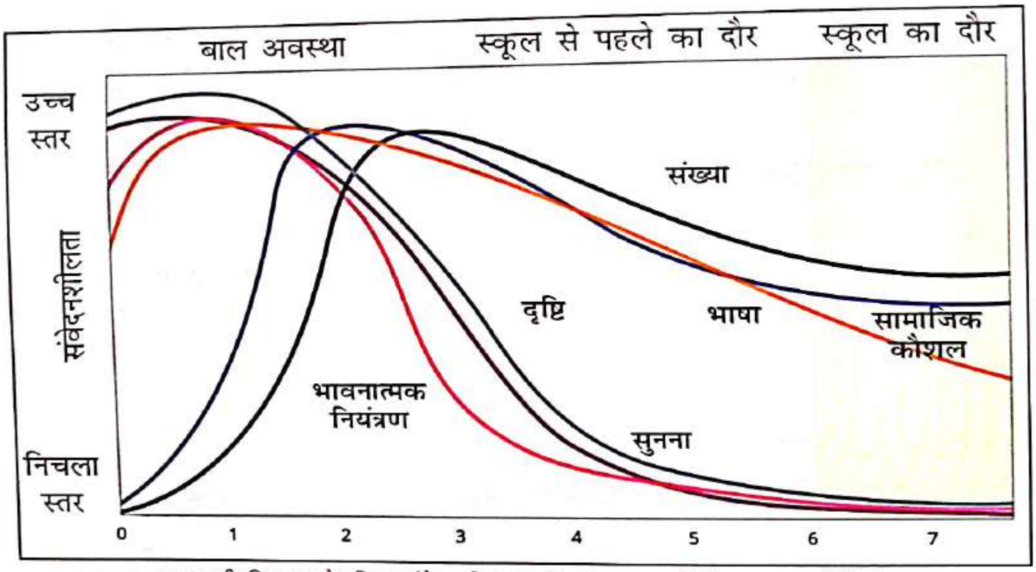

शुरुआती विकास के लिए संवेदनशील अवधि (एमडब्ल्यूसीडी 2013, एडॉप्टेड)

मानव पूंजी के लिहाज़ से सबसे बेहतर रिटर्न (लाभ) देता है और यह बेहतर आर्थिक लाभ भी सुनिश्चित करता है। यह स्कूल पर निवेश से ज्यादा बेहतर लाभ मुहैया कराता है (हैकमैन 2021)। लिहाज़ा, यह निवेश बच्चों पर सबसे ज़्यादा असर डालता है।

''बच्चे के पालन-पोषण के लिए पूरे गांव की ज़रूरत होती है।''

यह कहावत बच्चों के शुरुआती वर्षों में उनकी देखभाल को लेकर काफी सटीक है। बच्चे बेशक खुद से समझना शुरू कर देते हैं, लेकिन उनके सीखने-समझने का माध्यम परिवार के बड़े लोग, शिक्षक आदि ही होते हैं। ये लोग बच्चों के खान-पान के साथ-साथ उनकी सुरक्षा, देखभाल आदि का ध्यान रखते हैं। वे अपने आस-पड़ोस में अपने समकक्ष बच्चों के साथ खेलते हैं। इस दौरान भी उनकी सीखने की प्रक्रिया जारी रहती है। ''बच्चे उन सभी चीज़ों से सीखते हैं जो वे देखते हैं। वे जहां भी रहते हैं, वहीं से सीखते हैं।'' वे सिर्फ खास जगहों से नहीं सीखते। (जॉन होल्ट 1990)। घर और आस-पड़ोस में सीखने की इस प्रक्रिया को बेहतर कैसे बनाया जा सकता है? बच्चों के लिए सीखने की प्रक्रिया को ज़्यादा बेहतर बनाया जा सके, इसके लिए क्या करना होगा? इन बच्चों को और किस तरह के सहयोग की ज़रूरत है?

बच्चों के दिमाग का अनुभव जितना बेहतर होगा, उसके सीखने की क्षमता और उसका विकास उतना ही ज्यादा होगा।

बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी चिकित्सक सेलजा सेन का दिमाग को लेकर कहना था: ''बच्चों को उनके दिमाग का जितना इस्तेमाल करने दिया जाएगा, वह उतना ही मजबूत होगा। खास तौर पर, दिमाग का वह हिस्सा, जहां से स्पष्ट सोचने की क्षमता, आत्म नियंत्रण, समय प्रबंधन, लक्ष्य को लेकर तैयारी आदि कौशल विकसित होते हैं। संक्षेप में कहा जाए, तो ये बेहतर जीवन के अहम तत्व हैं (सेन एन. डी.)।''

मां द्वारा बच्चे को लोरी सुनाना या पिता का बच्चे के साथ खेलना ऐसे शुरुआती अनुभव हैं। इन वर्षों में बच्चे का दिमाग लचीला होता है, तेजी से बढ़ता है और अनुभवों को ग्रहण करता है। लिहाजा, बच्चों के दिमाग का अनुभव जितना बेहतर होगा, उसके सीखने की क्षमता और उसका विकास उतना ही ज्यादा होगा।

इसलिए, अगर बच्चों को ऐसे अवसर उपलब्ध नहीं कराए जाते हैं, तो वे सीखने से वंचित रह सकते हैं और उनके भविष्य पर प्रतिकूल असर हो सकता है। नोबल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री जेम्स हैकमैन का मानना है कि बच्चों की शुरुआती शिक्षा में निवेश,

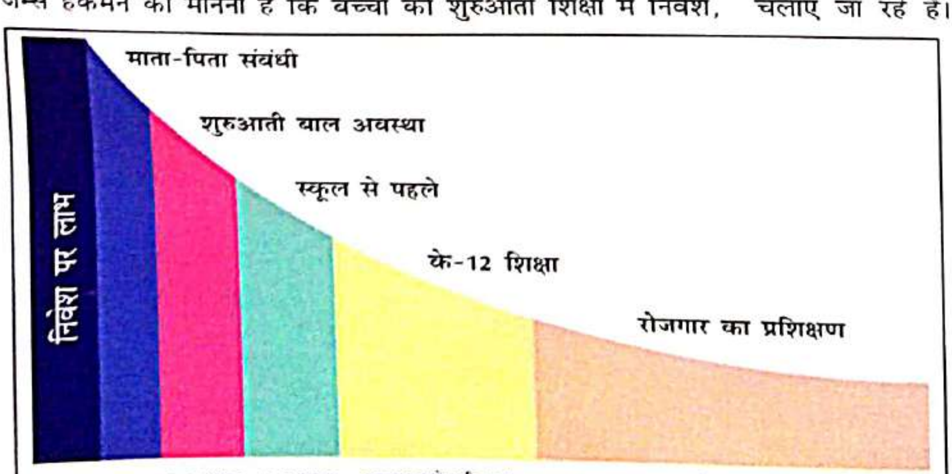

हैकमैन से जुड़ा ग्राफ: छोटे बच्चे की बेहतर देखभाल और बच्चों की शुरुआती शिक्षा का आर्थिक असर (हैकमैन 2021)

भारत में छोटे बच्चों की देखभाल और शिक्षा

छोटे बच्चों की देखभाल और पढ़ाई की दिशा में सरकार पिछले कई दशकों से काम कर रही है। भारत में इस सिलसिले में कई तरह के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इसके तहत आंगनवाड़ी केंद्र भी अहम भूमिका निभा रहे हैं। इसकी पहल महिला और बाल विकास मंत्रालय के तहत एकीकृत बाल विकास सेवाओं (1975) के जरिये की गई है, जिसके तहत प्री-स्कूल और अनौपचारिक शिक्षा के स्तर पर स्वास्थ्य से लेकर पोषण तक कई तरह की सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। आंगनवाड़ी और स्कूलों में क्षमता निर्माण, जागरूकता फैलाने, कार्यक्रमों को लागू करने आदि गतिविधियों में गैर-सरकारी संगठनों की भी अहम भूमिका रही है। इन संगठनों ने इस दिशा में सरकार के साथ मिलकर काम किया है।

इसके अलावा, बढ़ती मांग के बीच (खास तौर पर 2008 से 2020 के दौरान) निजी प्ले स्कूल की भी उपलब्धता बढ़ी है (घोष एंड डे 2020)। कई तरह की एजेंसियों के शामिल होने

और अनेक पहल के बावजूद छोटे बच्चों की देखभाल और शिक्षा अब भी चुनौती बनी हुई है।

बिना तैयारी के स्कूल भेजना

भारत में हर साल तकरीबन 2.5 करोड़ बच्चे जन्म लेते हैं, जिनमें 99 प्रतिशत 5 या 6 साल की उम्र में स्कूल में दाखिला लेते हैं। हालांकि, शिक्षा से जुड़ी सालाना रिपोर्ट, 2019 में कहा गया है (एएसईआर 2019): 'शुरुआती साल' का मतलब है कि कई बच्चे का स्कूलों में दाखिला बिना तैयारी के होता है। दरअसल, 5 साल के सिर्फ 10.7 प्रतिशत बच्चे एक ही तरह की तस्वीरों का मिलान कर सकते थे और इस उम्र के सिर्फ 17.5 प्रतिशत बच्चे चित्रों के पैटर्न को पूरा सकते थे।

निपुण भारत हमें इस तरह की बाधाओं से निपटने में मदद करता है कि अगर माता-पिता/देखभाल करने वाले पढ़े-लिखे नहीं है और शिक्षा में उनकी कोई भूमिका नहीं है या उनकी भूमिका सिर्फ बच्चों को स्कूल भेजने तक सीमित है। इसमें प्रस्ताव किया गया है कि छोटे बच्चों की देखभाल और शिक्षा को जनआंदोलन बनाने के लिए पोलियो उन्मूलन या स्वच्छ भारत जैसे सफल अभियान चलाने होंगे।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति में इसकी असली वजह कुछ इस तरह से बताई गई है: ''फिलहाल करोड़ों छोटे बच्चों के लिए देखभाल और शिक्षा की गुणवत्तापूर्ण सुविधा उपलब्ध नहीं है। खास तौर पर सामाजिक-आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों के मामले में यह समस्या ज़्यादा गंभीर है।'' छोटे बच्चों की देखभाल और शिक्षा में बड़े पैमाने पर निवेश से बच्चों को बेहतर ढंग से स्कूल के लिए तैयार किया जा सकेगा और इन अहम लक्ष्यों को पूरा किया जा सकेगा- बच्चों का बेहतर स्वास्थ्य सुनिश्चित करना, बच्चों को बेहतर संवाद के लिए तैयार करना और बच्चों को सीखने के लिए प्रोत्साहित करना और उन्हें आस-पड़ोस के माहौल से जोड़ना।

छोटे बच्चों की देखभाल और शिक्षा: एक आवश्यक नीति

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने एक निर्णायक कदम के तहत, छोटे बच्चों की शिक्षा और देखभाल को आवश्यक नीति में शामिल किया है:

''सभी छोटे बच्चों के लिए देखभाल और शिक्षा की बेहतर सुविधा का लक्ष्य जल्द से जल्द हासिल किया जाना चाहिए। यह काम 2030 तक पूरा कर लिया जाना चाहिए, ताकि ग्रेड 1 में पहुंचने वाले सभी बच्चे स्कूल के लिए पूरी तरह से तैयार रहें।''

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बाद 'निपुण भारत' कार्यक्रम के ज़रिये बच्चों की देखभाल और शिक्षा व मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता (एफएलएन) के लिए विस्तार से दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। इसके ज़रिये छोटे बच्चों की देखभाल और शिक्षा के लिए बेहतर व्यवस्था सुनिश्चित की जा सकती है और भारत में हर बच्चे के भविष्य के लिए अवसर मुहैया कराए जा सकते हैं। बहरहाल, इन दिशा-निर्देशों का पालन बेहद ज़रूरी है।

- छोटे बच्चों की देखभाल और शिक्षा का स्तर बढ़ाना
- बच्चों की देखभाल करने वालों का सशक्तीकरण, ताकि सीखने के अवसर उपलब्ध हो सकें।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और 'निपुण भारत' के तहत सीखने की प्रक्रिया में माता-पिता/परिवार को शामिल करने पर ज़ोर है। मौजूदा दौर में माता-पिता को लगता है कि अभी तो खेलने के दिन हैं। निपुण भारत हमें इस तरह की बाधाओं से निपटने में मदद करता है कि अगर माता-पिता/देखभाल करने वाले पढ़े-लिखे नहीं है और शिक्षा में उनकी कोई भूमिका नहीं है या उनकी भूमिका सिर्फ बच्चों को स्कूल भेजने तक सीमित है। इसमें प्रस्ताव किया गया है कि छोटे बच्चों की देखभाल और शिक्षा को जनआंदोलन बनाने के लिए पोलियो उन्मूलन या स्वच्छ भारत जैसे सफल अभियान चलाने होंगे।

शिक्षा मंत्रालय (एमओई) ने घरेलू स्तर पर सीखने की प्रक्रिया में माता-पिता की भागीदारी के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत बच्चों की दिन भर की हर गतिविधि को सीखने और दिमागी विकास को ध्यान में रखते हुए मजेदार खेल की तरह पेश करना है। बच्चा हमेशा सीखता रहता है, इसलिए खेल भी सीखने की प्रक्रिया है। 'दिशा-निर्देशों' में उन गतिविधियों के बारे में बताया गया है जिनके जरिये बच्चे की सीखने की प्रक्रिया बेहतर हो सकती है, जैसे कि अलग-अलग तरह के बर्तनों से ड्रम बनाना, प्रकृति से जुड़ाव, स्थानीय माहौल में फूल, पेड़, पत्ते, तितलियों, कीट, पतंगों

भाषा कौशल	ज्ञान संबंधी कौशल	प्री-मैथ (शुरुआती गणित) का कौशल
सिर्फ 10.7 प्रतिशत बच्चे एक तरह की आवाज और तस्वीरों को पहचान सके	सिर्फ 17.5 प्रतिशत बच्चे पैटर्न को पूरा कर सके	सिर्फ 29.5 प्रतिशत बच्चे संख्या की तुलना कर सकते थे
बच्चों को एक ही ध्वनि से शुरू होने वाले शब्दों की पहचान करने को कहा गया। साथ ही, एक ध्वनि से शुरू होने वाले शब्दों का मिलान करने को भी कहा गया	बच्चों को किसी तस्वीर का पैटर्न दोहराने और इसे पूरा करने को कहा गया	बच्चों को ऐसी संख्या (9,3, 7,8) के बारे में बताने को कहा गया जो 5 से कम है

स्कूल जाने के लिए कितने तैयार हैं भारत के बच्चे (एएसईआर 2020)

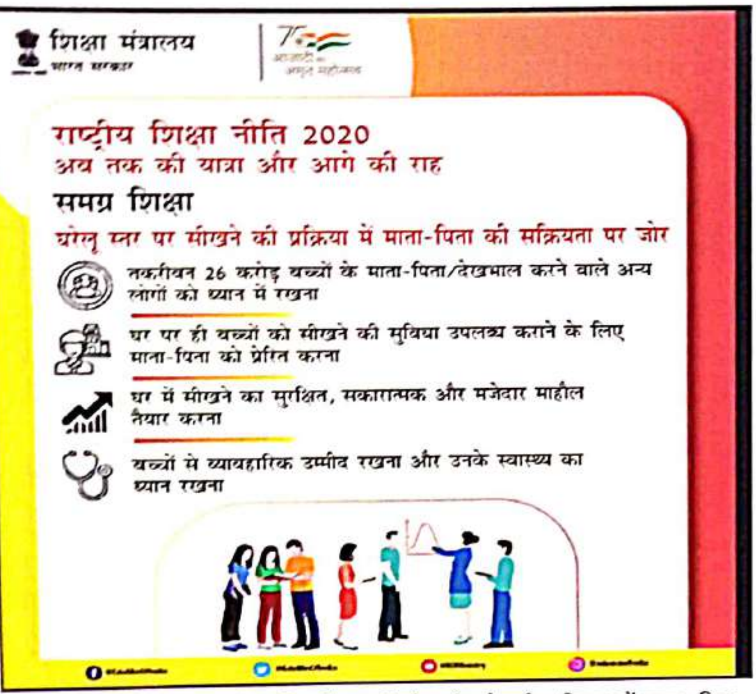

शिक्षा मंत्रालय का ट्वीट, जिसमें बच्चों के सीखने की प्रक्रिया में माता-पिता की सक्रियता पर जोर दिया गया है (2021 सी)

को देखने-समझने के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करना। इन तमाम गतिविधियों के जरिये माता-पिता या देखभाल करने वाले शख्स से बातचीत करते हुए बच्चों का जुड़ाव प्रकृति से हो सकता है।

रॉबर्ट हैविगहर्ट ने 1950 के दशक में मानव विकास और शिक्षा को लेकर 'टीचेबल मोमेंट्स' नामक किताब लिखी थी, जिसमें कहा गया था: 'अगर समय का चुनाव सही है, तो कोई काम सीखना संभव होगा। इसे 'टीचेबल मोमेंट (सीखने योग्य समय)' के तौर पर बताया गया।' इसका मतलब यह है कि जब बच्चा किसी गतिविधि में सक्रिय रहता है, तो उसके सीखने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है। इस तरह के समय के लिए अवसर तैयार करने में मां और पिता अहम भूमिका निभा सकते हैं। हालांकि, बच्चे की सीखने की प्रक्रिया में मुख्य भूमिका मां की होती है, जबकि बच्चे के ज्ञान संबंधी कौशल के विकास में पिता की भूमिका अहम होती है (रोल्ले 2019)। यह पाया गया है कि अगर बच्चे की देखभाल करने वाला पुरुष है, तो वह महिलाओं की तुलना में बच्चे को ज़्यादा संतुष्टि प्रदान करता है (सेठ एंड लुईस)। साथ ही, बच्चे की देखभाल करने वालों का सशक्तीकरण भी ज़रूरी है, ताकि वे सीखने के अवसर की पहचान कर उसका इस्तेमाल कर सकें। उदाहरण के लिए,

- क्या बच्चों की देखभाल करने वालों, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, शिक्षकों को स्थानीय भाषा में संसाधन (गेम, कहानियां, अन्य गतिविधियां) उपलब्ध कराए जा सकते हैं?
- क्या विकास संबंधी तीन लक्ष्यों के लिए सीखने की प्रक्रिया को आसान और इस्तेमाल करने लायक बनाया जा सकता है? शिक्षा मंत्रालय के 'दिशा-निर्देश' इसमें मददगार साबित हो सकते हैं, जिसके तहत सीखने की प्रक्रिया के आकलन में माता-पिता/देखभाल करने वाले अन्य लोगों की अहमियत पर ज़ोर दिया गया है। छोटे बच्चों की प्रगति के मूल्यांकन को ज़रूरी गतिविधियों का हिस्सा बनाया जाना चाहिए। मूल्यांकन के प्रावधान से देखभाल करने वालों को बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रोत्साहन मिल सकता है।
- क्या कोई ऐसा सहायता प्लेटफॉर्म (हेल्पलाइन) हो सकता है, जहां देखभाल करने वाले लोगों को उनकी स्थानीय भाषा में बच्चे के विकास के बारे में दिशा-निर्देश जारी किया जा सके, मसलन पोषण, दिमागी विकास और सीखने संबंधी समस्याओं को लेकर सलाह आदि?
- क्या कोई ऐसा प्लेटफॉर्म हो सकता है जो 'सीखने की शुरुआती प्रक्रिया' से जुड़ी तमाम चीज़ों मसलन पाठ्यक्रम, किताब, खिलौने व शिक्षकों, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए दिशा-निर्देश वगैरह की सुविधा मुहैया करा सकता है?
- क्या शब्द आधारित खेलों और गतिविधियों के ज़रिये 'शब्द' बच्चों के लिए भाषा की दुनिया से रूबरू होने का माध्यम बन सकते हैं?

रॉबर्ट हैविगहर्ट ने 1950 के दशक में मानव विकास और शिक्षा को लेकर 'टीचेबल मोमेंट्स' नामक किताब लिखी थी, जिसमें कहा गया था: 'अगर समय का चुनाव सही है, तो कोई काम सीखना संभव होगा। इसे 'टीचेबल मोमेंट (सीखने योग्य समय)' के तौर पर बताया गया।' इसका मतलब यह है कि जब बच्चा किसी गतिविधि में सक्रिय रहता है, तो उसके सीखने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है।

तकनीक का फायदा

तकनीक सामाजिक मकसद को पूरा करने का माध्यम है। इसके लिए तकनीक को उन लोगों की ज़रूरतों के हिसाब से तैयार करना होगा, जो बच्चों की देखभाल करते हैं। छोटे बच्चों की देखभाल और शिक्षा के क्षेत्र में बच्चों के हिसाब से तकनीक तैयार की गई हैं। हालांकि, बच्चों से संवाद की गुणवत्ता बढ़ाने में ये तकनीक कारगर साबित हो सकती हैं। इन तकनीक का इस्तेमाल माता-पिता, शिक्षकों, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं आदि के सशक्तीकरण में भी किया जा सकता है, ताकि वे बेहतर तरीके से बच्चे के मानसिक विकास में योगदान कर सकें। तकनीक की मदद से उपयोगी सूचना मुहैया कराकर और बच्चों से जुड़े संसाधन को ढूंढना आसान बनाकर सीखने की प्रक्रिया बेहतर हो सकती है। एएसईआर रिपोर्ट 2021 के मुताबिक, 2018-21 के दौरान स्मार्ट फोन की उपलब्धता दोगुनी हो गई और लॉकडाउन के बाद से अब तक हर 28 में से एक 1 घर में पढ़ाई के लिए स्मार्टफोन खरीदा गया है (एएसईआर 2021)। इससे पढ़ाई के लिए स्मार्टफोन के इस्तेमाल को लेकर माता-पिता के रवैये में हुए बदलाव का पता चलता है। घरों में, छोटे बच्चों की देखभाल और शिक्षा में इसका लाभ कैसे उठाया जा सकता है?

भाषा संसाधन है, बाधा नहीं

पढ़ाने-सीखने के संदर्भ में बहुभाषावाद को पारंपरिक तौर पर चुनौती माना गया है। क्या एक से ज़्यादा भाषाओं में चलने वाली कक्षा को बाधा के बजाय संसाधन में बदला जा सकता है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में 'बहुभाषावाद और भाषा की ताकत' पर ज़ोर

दिया गया है। साथ ही, इसमें घरेलू, स्थानीय और क्षेत्रीय भाषाओं को बढ़ावा देने की बात कही गई है, क्योंकि बच्चे अपनी घरेलू भाषा/मातृभाषा में ज़्यादा बेहतर तरीके से विषय वस्तु को समझ सकेंगे। बच्चों के सीखने संबंधी कार्यक्रम को लागू करने से जुड़ी यूनिसेफ-एलएलएफ के दिशा-निर्देशों में कहा गया है कि ''बच्चों की भाषा को ही सीखने का माध्यम बनाने से ज़्यादा अनुकूल माहौल बनाने में मदद मिलती है और सोचने, बोलने और विचार करने की क्षमता बेहतर होती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में कहा गया है कि बच्चों को शुरू से ही कई भाषाओं से भी परिचिति कराया जाना चाहिए, क्योंकि 2 से 8 साल के दौरान बच्चे काफी तेज़ी से भाषाएं सीखते हैं और युवा छात्रों के लिए बहुभाषावाद का फॉर्मूला फायदेमंद है।'' शिक्षा नीति में पाठ्यपुस्तकों और प्रेरक किताबों को स्थानीय भाषाओं में पेश करने की भी बात कही गई है, ताकि बहुभाषावाद के फॉर्मूले को बढ़ावा दिया जा सके।

समावेशन

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में सभी तीन स्तरों-उपलब्धता, भागीदारी और सीखने संबंधी नतीजों के आधार पर, सामाजिक-आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को इस प्रक्रिया में शामिल करने की वकालत की गई है। शिक्षा नीति में खास तौर पर कहा गया है कि आर्थिक रूप से कमज़ोर परिवारों को छोटे बच्चों की शिक्षा का सबसे ज़्यादा लाभ मिलता है।

- इससे जाति, नस्ल और धर्म के आधार पर सामाजिक-सांस्कृतिक समूहों के बीच मौजूद असमानताओं की तरफ ध्यान आकर्षित करने में मदद मिलती है।
- कई इलाकों में अनुसूचित जनजाति समुदाय के बच्चे सांस्कृतिक और अकादमिक तौर पर खुद को अलग-थलग महसूस करते हैं,
- लिहाज़ा इन इलाकों को विशेष शिक्षा क्षेत्र घोषित करना चाहिए, जहां सभी योजनाओं और नीतियों को इस तरह से लागू करना चाहिए, ताकि सभी लड़कियों और अन्य वंचितों को इसका लाभ मिल सके।
- छोटे बच्चे की देखभाल और शिक्षा के मामले में दिव्यांग बच्चों को समान भागीदारी सुनिश्चित करना भी जरूरी है, खास तौर पर अनुकूल डिवाइसों, तकनीक आधारित उपकरणों और भाषा के हिसाब से उचित पाठ्य सामग्री की मदद से ऐसा किया जा सकता है। माता-पिता/बच्चों की देखभाल करने वाले दूसरे लोगों के लिए तकनीक आधारित समाधानों से बच्चों के सीखने की प्रक्रिया को बेहतर बनाया जा सकेगा।
- बच्चों में सीखने की क्षमता कमजोर है, इसका जल्दी पता लगाने और उपाय ढूंढने में शिक्षकों को भी मदद उपलब्ध कराई जानी चाहिए। स्कूलों की संस्कृति को बदला जाना चाहिए, ताकि विविधता के लिए सम्मान की भावना विकसित हो सके।

निष्कर्ष

अब समय आ गया है कि देश में छोटे बच्चों की शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर बनाया जाए। ऐसे बच्चों की संख्या अपेक्षाकृत कम हो रही है, इसलिए इस समस्या को हल करना मुमकिन जान पड़ता है। कोरोना महामारी के बावजूद स्कूलों में बच्चों की वापसी का सिलसिला शुरू हो गया है। ऐसे में देश के छोटे बच्चों के लिए अवसरों का विस्तार करने की ज़रूरत है। देश का भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि तेज़ी से बदल रही इस दुनिया में हमारे बच्चों को कितना बेहतर सीखने का मौका मिलता है। नीतिगत मोर्चे पर इरादे नेक दिखते हैं, लेकिन छोटे बच्चों की देखभाल और शिक्षा से जुड़े बेहतर समाधान और संसाधन तैयार करने के लिए पारिस्थितिकी तंत्र बनाने की ज़रूरत है। ■

संदर्भ

- डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी (डीओएसईएल) 2021, यूडीआईएसई प्रोजेक्टेड पॉपुलेशन ऑफ इंडिया (इन '000) बाय जेंडर, एज ग्रुप एंड सोशल कैटगरी (2011-2021))। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। https://dashboard.udiseplus.gov.in/#/reportDashboard/sReport
- मैकेन एंड मस्टर्ड 1999. अर्ली ईयर्स स्टडी: रिवर्सिंग द रिल ब्रेन ड्रेन। टोरंटो, अप्रैल।
- एसेस्ड एड रिक्टे एच 2020 ''इंडियाज़ पॉपुलेशन ग्रोथ विल कम टू एन एंड'' आउटवर्ल्ड इन डाटा-ओआरजी।
- यूनिसेफ की डाटा: इंडिया एन. डी. https://www.unicef.org/india/key-data
- महिला बाल विकास मंत्रालय 2013 "नेशनल ईसीसीई करिकुलम फ्रेमवर्क", https://wcd.nic.in/sites/default/files/national_ecce_curr_framework_final_03022014%20%282%2 9.pdf
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020। https://www.education.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/NEP_Final_English_0.pdf
- सेन, एस. एन. डी. "इट टेक्स अ चाइल्ड टू रेज़ अ विलेज", यूनेस्को-एमजीआईईपी, https://mgiep.unesco.org/article/it-takes-a-child-to-raise-a-village#
- हेकमैन जे. जोन्स 2021. "द हेकमैन कर्व", https://heckmanequation.org/resource/the-heckman-curve/
- होल्ट जे. 1990। लर्निंग ऑल द टाइम, डॉ कैपो लाइफलॉन्ग बुक्स (फर्स्ट पब्लिस्ड 1989)
- घोष एस. एंड डे एस. 2020. "पब्लिक ऑर प्राइवेट? डेटरमिनांट्स ऑफ पेरेंट्स प्रीस्कूल चॉइस इन इंडिया"।
- एन्युअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट (एएसईआर) रूरल 2020, 'अर्ली ईयर्स' 2019। एन्युअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट (एएसईआर) रूरल 2021।
- शिक्षा मंत्रालय (एमओई) 2021बी। नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशियंसी इन रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी और निपुण भारत। https://www.education.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/nipun_bharat_eng1.pdf
- शिक्षा मंत्रालय (एमओई) 2021ए "गाइडलाइंस फॉर पेरेंट पार्टिसिपेशन इन होम लर्निंग ड्यूरिंग स्कूल क्लोज़र एंड बिओन्ड" https://www.education.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/MoE_Home_Learning_Guidelines.pdf
- रोले, एल. एट अल 2019, ''फादर इन्वॉल्वमेंट एंड कोगनिटिव डेवलपमेंट इन अर्ली एंड मिडिल चाइल्डहुड: ए सिस्टमेटिक रिव्यू'' 10, 2405
- सेठ, एस एंड लुईस, एम 2021. "लिस्निंग टू फैमिलीज़", https://www.dosteducation.com/blog/listening-to-families, 11 अगस्त।
- यूनिसेफ-एलएफएफ 2019। "गाइडलाइंस फॉर डिजाइन एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ अर्ली लर्निंग प्रोग्राम्स"। https://www.unicef.org/india/media/2586/file/Guidelines-for-Design-and-Implementation-of-Early-Learning-Programmes.pdf
- ब्रोनफनब्रेनर, यू 1979, द इकोलॉजी ऑफ ह्यूमन डिवेलपमेंट: एक्सपेरिमेंट्स बाय नेचर एंड डिजाइन। कैंब्रिज, मैसेचुस्ट्स: हॉवर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस।
- सेंटर ऑन द डिवेलपिंग चाइल्ड (सीडीएस) 2019। "द ब्रेन आर्किटेक्ट्स पॉडकास्ट'', ''ब्रेन आर्किटेक्चर: लेइंग द फाउंडेशन", हॉर्वर्ड।
- https://devhcdc.wpengine.com/resources/the-brain-architects-podcast-brain-architecture-layin g-the-foundation/#transcript
- आईसीईपी 14, 3।
- हैवीगहर्ट, रॉबर्ट 1952। ह्यूमन डिवेलपमेंट एंड एजुकेशन। कोटेड इन ''टीचेबल मूमेंट्स एंड युअर चाइल्ड''। https://www.verywellfamily.com/what-are-teachable-moments-2086537
- शिक्षा मंत्रालय (एमओई) 2021सी। पेरेंट्स इंवॉल्वमेंट इन चिल्ड्रंस लर्निंग, 4 दिसंबर https://twitter.com/EduMinOfIndia/status/1467041724488830978?t=mlJ2K6B_Xy9Enatggw_Kvg &s=09

संगीत और उसका महत्व

डॉ कस्तूरी पायगुडे राणे

मानव जीवन के अस्तित्व के लिए रोटी, कपड़ा और मकान चिरकाल से मूलभूत आवश्यकताएं रही हैं। आधुनिक काल में मानव के लिए कला, शिक्षा, स्वास्थ्य देखरेख और सफाई भी उतनी ही आवश्यक हो गई हैं। हम जैसे-जैसे विकासशील देश से विकसित देश बनने की दिशा में प्रगति कर रहे हैं वैसे-वैसे ही हमारी बुनियादी जरूरतें भी बदलती जा रही हैं। हमारे दैनिक जीवन में संगीत की बहुत अहम भूमिका है। भारत की परंपरा बहुत समृद्ध रही है और देश के सभी भागों में संगीत और कला की विविध विधाएं विकसित और पल्लवित होती रही हैं। इनमें से कई विधाएं तो वैदिक काल से चली आ रही हैं और अनेक विधाएं समय के साथ विकसित हुई हैं जबकि कुछ विधाएं समय बीतने के साथ विस्मृत हो चुकी हैं।

भार्तृहरि शतक के एक श्लोक की पहली पंक्ति है- "साहित्यसंगीतकलाविहीनः साक्षात्पशुः पुच्छ विषाणहीनः।" इसका भाव यह है कि साहित्य, संगीत और कलाओं की जानकारी से रहित मनुष्य बिना पूंछ और सींगों वाले पशु के समान ही होता है। ऐसे पशु को अपूर्ण ही माना-समझा जाएगा; इसी प्रकार साहित्य, संगीत और कलाओं का ज्ञान न रखने वाले व्यक्ति को ज्ञानी या विद्वान नहीं कहा जा सकता। शिक्षा के हर स्तर पर संगीत की विशेष भूमिका है। स्कूली शिक्षा के दौरान तो इसका महत्व और भी अधिक होता है। परंतु फिर भी देश के अधिकांश विद्यालयों में संगीत को बहुत कम बढ़ावा दिया जा रहा है। अक्सर संगीत को पाठ्यक्रम में न रखकर पाठ्येतर गतिविधि माना जाता है। दुर्भाग्य ही है कि इस विचारधारा के कारण अनेक स्कूलों ने तो संगीत को पाठ्यक्रम में शामिल करना भी बंद कर दिया है या फिर वे अन्य विषयों के लिए अधिक समय की व्यवस्था करने हेतु संगीत के लिए पूरे सप्ताह में 45 मिनट का पीरियड निर्धारित करके अपने कर्त्तव्य की इतिश्री कर लेते हैं।

यदि संगीत को स्कूली शिक्षा से हटाकर बाहर कर दिया जाएगा या इसे कम महत्व दिया जाएगा तो युवा पीढ़ी संगीत के असीम लाभ पाने से वंचित रह जाएगी। वास्तव में होना तो यह चाहिए कि स्कूलों में विद्यार्थियों के लिए संगीत के व्यापक कार्यक्रम पूरी लगन और उत्साह से आयोजित किए जाएं।

स्कूलों में संगीत का महत्व

संगीत से विभिन्न विषयों के बीच समन्वय रखने में मदद मिलती है। संगीत एक साथ अनेक विषयों के बीच समन्वय स्थापित करता है। संगीत शिक्षा से बच्चों में संगीत के प्रति रुचि तो विकसित होती ही है, साथ ही, गणित से जुड़ी प्रतिभा का भी विकास होता है और विषयों की बारीकियां समझने तथा इतिहास का ज्ञान अर्जित करने की बौद्धिक क्षमता भी उनमें विकसित होने लगती है और फिर ग्रेड सुधारने (बेहतर प्रदर्शन करने), बौद्धिक कौशल बढ़ाने और संज्ञान लेने की क्षमता बढ़ाने में भी उन्हें निश्चित सफलता प्राप्त होती है। इससे उनकी बुद्धि कुशाग्र होती है और वे अधिक क्षमता से विषयवस्तु ग्रहण करने में समर्थ बनते हैं, उनमें आनंद की अनुभूति जागृत होने लगती है, भावनात्मक विकास होने के साथ ही बच्चों में तनाव का स्तर घटता चला जाता है।

संगीत से बच्चों में अनुशासन आता है और लगन पैदा होती है

संगीत सीखने और संगीत का अभ्यास करने से बच्चों में समय का महत्व जानने और समय का प्रबंधन करने की क्षमता पनपती है जिससे उन्हें आवश्यक मुद्दों पर अधिक ध्यान देने की समझ आती है। जीवन के प्रारंभिक काल में ही इन मूल्यों का विकास होने से बच्चों को जीवन में आगे चलकर अनेकानेक लाभ प्राप्त होते हैं। यदि बच्चों में प्री-प्राइमरी या प्राइमरी-प्राथमिक-पूर्व अथवा प्राथमिक-स्तर पर इन गुणों का विकास हो जाए तो वे हाई-स्कूल में पढ़ाई-लिखाई का बोझ सहज ही सरलता से सह लेंगे और उस स्तर पर उनका प्रदर्शन निश्चय ही कहीं बेहतर होगा। हाई-स्कूल में बढ़िया परिणाम प्राप्त करने वाले विद्यार्थी को अपनी पंसद के उच्च
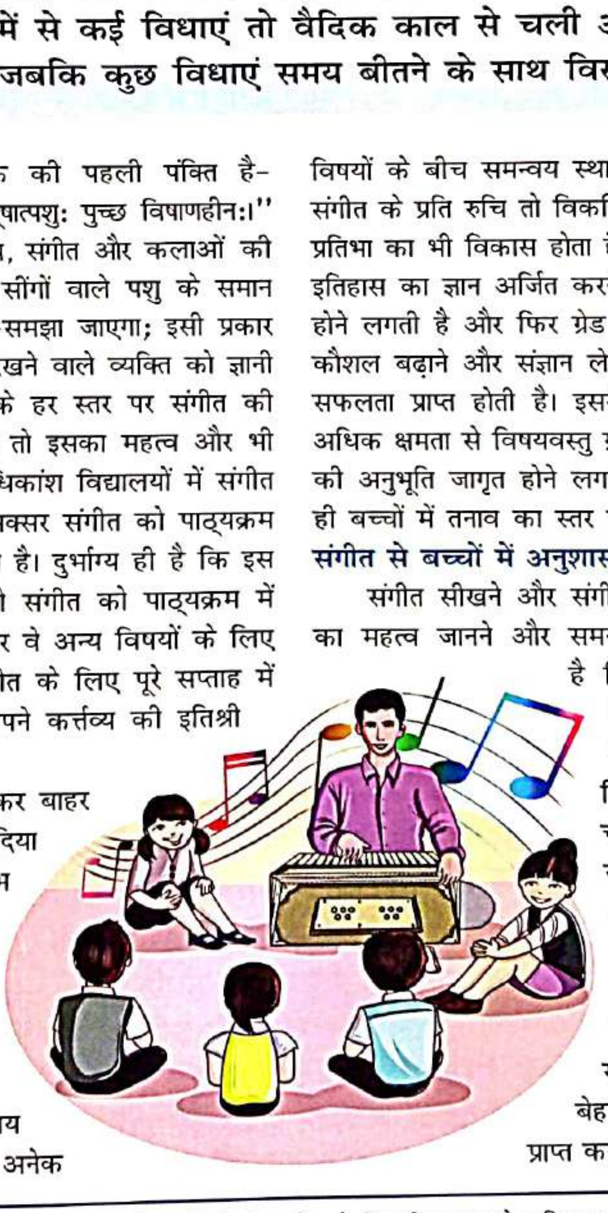
लेखिका हिंदुस्तानी संगीत की जानी मानी गायिका, शिक्षाशास्त्री और सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय के ललित कला केंद्र में विजिटिंग फैकल्टी हैं।
ईमेल: paigude.kasturi@gmail.com

संस्थान चुनने में कठिनाई नहीं आएगी और फिर शिक्षा पूरी करने पर प्रतिष्ठित पद प्राप्त करने में भी सफलता मिलना निश्चित हो जाएगा।

संगीत से बच्चों की बुद्धि कुशाग्र होती है और मस्तिष्क का विकास होता है

विभिन्न अध्ययनों से पता चला है कि पढ़ाई-लिखाई के साथ-साथ संगीत का अभ्यास करते रहने से बच्चों का बौद्धिक विकास तेजी से होता है। नॉर्थवेस्टर्न यूनिवर्सिटी के अध्ययन के अनुसार जो बच्चे गा सकते हैं और किसी साज़ को बजा सकते हैं उनकी बुद्धि के विकास की प्रक्रिया उन विद्यार्थियों की अपेक्षा अधिक तीव्रता से होती है जो संगीत को केवल सुनते ही हैं। इस प्रकार अन्य विषयों की पढ़ाई में लगे बच्चों के मनोरंजन के उद्देश्य से उनके लिए पृष्ठभूमि में संगीत सुनाने की व्यवस्था कर देने मात्र की तुलना में उन्हें संगीत शिक्षा देना कहीं अधिक उपयोगी और प्रभावी हो सकता है।

भारतीय शास्त्रीय संगीत और कलाओं का अनुभव कराना

भारत की सांस्कृतिक परंपरा अत्यंत समृद्ध है और देश के सभी भागों में कला की विविध विधाएं प्रचलित हैं। कई नई परंपराएं समय के साथ पनपीं और जनमानस में रच-बस गईं हैं, कई परंपराओं के विलुप्त होने की आशंका है और कुछेक परंपराएं तो समय के साथ विस्मृत हो चुकी हैं। पाश्चात्य देशों के अनेक शोधार्थी और संगीत साधक तो हमारे संगीत के सम्मोहन को स्वीकारते हैं परंतु इधर हमारे यहां संगीत को स्कूलों और जूनियर कॉलेजों में पाठ्यक्रम का विषय बनाने के वास्ते भी संघर्ष और तनातनी का सामना करना पड़ रहा है। हमारे देश के प्रत्येक बच्चे को संगीत और कला की विभिन्न विधाओं का ज्ञान अर्जित करने का अधिकार है। बच्चों को यह ज्ञान विधिवत उपलब्ध कराने का दायित्व मुख्य रूप से अभिभावकों और स्कूलों का ही है। स्कूल शिक्षा के प्रारंभिक वर्षों में कम आयु में ही बच्चों को यह ज्ञान देने से उनमें अन्य सभी विषयों का ज्ञान आत्मसात और ग्रहण करने में सरलता हो जाएगी और उनमें अनुभूति और भावनात्मकता भी विकसित होगी।

संगीत एक साथ अनेक विषयों के बीच समन्वय स्थापित करता है। संगीत शिक्षा से बच्चों में संगीत के प्रति रुचि तो विकसित होती ही है, साथ ही, गणित से जुड़ी प्रतिभा का भी विकास होता है, और विषयों की बारीकियां समझने तथा इतिहास का ज्ञान अर्जित करने की बौद्धिक क्षमता भी उनमें विकसित होने लगती है।

सेकेंडरी (माध्यमिक) स्कूलों में संगीत

संगीत से बच्चों पर पाठ्यसामग्री का बोझ तो कम होता ही है, इससे उनके मन में उठ रहे द्वंद्व और विवाद भी शांत होने लगते हैं। फिर, उन्हें संगीत के माध्यम से अपनी भावनाएं व्यक्त करने का अवसर मिल जाता है। संगीत के माध्यम से बच्चों में भावात्मक संतुलन आता है और सौंदर्य बोध की अभिव्यक्ति की क्षमता के विकास से उनमें सद्भाव जागृत हो जाता है। यदि ऐसे महत्वपूर्ण मोड़ पर संगीत को पाठ्यक्रम का विषय बना लिया जाए और बच्चे को उच्च शिक्षा के लिए संगीत को ही विषय चुनने का विकल्प मिल सके तो उनके लिए बहुत ही लाभप्रद सिद्ध होगा क्योंकि बाल्यकाल से ही संगीत सीखना शुरू कर देने से इसे कॉलेज की पढ़ाई से जोड़ना भी सहज हो जाएगा।

संगीत का अभ्यास करने और उसके सिद्धांतों का ज्ञान प्राप्त करने से दोनों क्षेत्रों को समान महत्व मिलेगा जो बहुत उपयोगी सिद्ध होगा। वाद्य यंत्रों की कार्यप्रणाली के बारे में चर्चा से स्वर की संरचना को बारीकी से समझने में मदद मिलेगी और विद्यार्थियों में उसके प्रति रुचि एवं जिज्ञासा जागृत होगी। इससे संगीत की हमारी प्राचीन परंपराओं के बारे में ऐतिहासिक दृष्टिकोण विकसित होगा और साथ ही विद्यार्थी को विषय की भाषा और शब्दावली सीखने तथा संगीत की विभिन्न परिभाषाओं और उक्तियों को भली प्रकार जानने-समझने में भी सरलता होगी। इसी अवस्था में बच्चों में संगीत के सौंदर्य को परखने और उसे ग्रहण करने की उत्सुक्ता जगेगी जिससे उन्हें 'रागों' की विशेषताएं जानने और विभिन्न 'स्वरों' को गाकर या बजाकर उन्हें पहचानने की क्षमता विकसित करने में बड़ी सफलता मिल सकेगी। संगीत के सौंदर्य को समझकर उसे सराहने की क्षमता हासिल करने के लिए किसी उच्च कलाकार को सुनते रहना अत्यंत महत्वपूर्ण होता है और इसके लिए सिद्धहस्त गुरु के चरणों में बैठकर संगीत सुनने की कठिन साधना करनी पड़ती है। शास्त्रीय संगीत के प्रति मूल भाव विकसित करने के लिए 'सुर', 'स्वर' और 'संगीत रचनाओं' का अध्ययन सबसे ज़्यादा आवश्यक और महत्वपूर्ण होता है।

संगीत एक स्थापित विषय के रूप में

संगीत को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए और स्कूलों कॉलेजों में इसे मुख्य विषय के रूप में शामिल किया जाना चाहिए। 'संगीत' और 'संस्कृति' शब्दों को हमारे समाज में अक्सर थोड़े हल्के रूप में प्रयोग किया जाता है और इसी कारण इन विधाओं के साथ कई अनुचित और अनुपयुक्त धारणाएं भी जुड़ गई हैं। संगीत में एक नैसर्गिक आकर्षण होता है परंतु समस्या तब उठती है जब अभिभावक और स्कूल संगीत में केवल मनोरंजन ही खोजने लग जाते हैं जबकि हमारे शास्त्रीय संगीत और कला की हमारी युगों पुरानी परंपराओं से बच्चों को पहुंचने वाले फ़ायदे की अनदेखी कर दी जाती है। वास्तव में संगीत मनोरंजन करने के साथ ही बच्चों के

व्यक्तित्व निर्माण और बौद्धिक विकास का बहुत सशक्त माध्यम है। जो बच्चे संगीत सीखते है और संगीत साधना में अधिक समय लगाते हैं वे लंबे समय तक टेलीविज़न देखने जैसे निरे अनुत्पादक कार्यों में व्यर्थ समय और शक्ति नहीं गंवाते। संगीत के लाभ तो बहुत ही व्यापक और दूरगामी हैं और यह बच्चों को नस्लभेद, जातिभेद या सामाजिक-भेदभाव जैसी तुच्छ प्रवृत्तियों से बचाए रखता है।

गायन या वादन में निपुणता प्राप्त करने वाले व्यक्ति को यह तथ्य भली प्रकार पता होता है कि संगीत में निपुण होना कितना श्रम-साध्य और लगन से लगे रहने वाला अभ्यास है। इसके लिए वर्षों तक पूरी लगन से अभ्यास और साधना करनी पड़ती है। संगीत में निखार लाने और निरंतर सुधार लाने के लिए दृढ़ इच्छाशक्ति और कठोर अभ्यास करना अनिवार्य है। स्कूल जाने वाला बच्चा जो समझ लेगा कि वास्तव में किसी उच्च लक्ष्य तक पहुंचने के लिए संगीत साधना में लगातार अभ्यास जरूरी है। इसके पश्चात् ही वे ऐसे मुकाम तक पहुंच सकेंगे जहां वे शेष जीवन टिके रह सकेंगे। जीवन में दृढ़ निश्चय की भावना विकसित करने के लिए संगीत से अच्छे विकल्प बहुत ही कम उपलब्ध हैं।

वाद्य यंत्रों की कार्यप्रणाली के बारे में चर्चा से स्वर की संरचना को बारीकी से समझने में मदद मिलेगी और विद्यार्थियों में उसके प्रति रुचि एवं जिज्ञासा जागृत होगी। इससे संगीत की हमारी प्राचीन परंपराओं के बारे में ऐतिहासिक दृष्टिकोण विकसित होगा और साथ ही विद्यार्थी को विषय की भाषा और शब्दावली सीखने तथा संगीत की विभिन्न परिभाषाओं और उक्तियों को भली प्रकार जानने समझने में भी सरलता होगी।

संगीतकार अपना समग्र जीवन संगीत साधना और संयम अपनाने में ही समर्पित कर देते हैं। संगीत में सुधार की असीम संभावनाएं हैं और इनसे विद्यार्थियों को अपना स्तर निरंतर सुधारने और ऊंची से ऊंची सीमाएं छू लेने की दिशा में सतत् प्रयासशील रहने की प्रेरणा मिलती है। ऐसा करने में मस्तिष्क के विकास, संवेदनाओं की अनुभूति और मानव संबंधों तथा सामंजस्य के विकास में सहायता मिलती है। नवाचार या कुछ अभिनव प्रयोग करने की पहली सीढ़ी होती है अपने स्तर में निरंतर सुधार लाने में जुटे रहना।

छोटी आयु से ही संगीत शिक्षा प्राप्त करना उच्च शिक्षा के लिए और फिर सफल व्यवसाय पाने का ऐसा संकेत है जिसे समय की कसौटी पर परखने के बाद सदैव खरा पाया गया है। रिकॉर्डो के अनुसार अमरीका की सिलिकन वैली (कंप्यूटर के गढ़) में सफलतम इंजीनियर और टेक्नीकल डिज़ाइनर तथा भारत में आईआईटी, आईआईएम, आईआईएसईआर, आईआईएससी और अनेक अन्य चोटी के कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के विद्यार्थी संगीत सीखते हैं और संगीत साधना करते हैं।

हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि 19वीं शताब्दी के अंतिम दौर तथा 20वीं शताब्दी के महानतम भौतिक विज्ञानी अल्बर्ट आइंस्टीन अत्यंत निपुण संगीत शास्त्री थे। अपनी सफलतम खोजों और आविष्कारों के लिए आइंस्टीन ने संगीत को ही मुख्य साधन बनाया था।

भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉ एपीजे अब्दुल कलाम ने 1985-95 के दौरान वीणा बजाना सीखा था; उस समय वे रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन-डीआरडीओ में कार्यरत थे। उन्हें जब भी अपने व्यस्त कार्यक्रम से कुछ अवकाश मिल पाता था और विश्राम की आवश्यकता महसूस होती थी तो वे वीणा वादन करके आनंद प्राप्त करते थे।

महान वायोलिन शिक्षक शिनिची सुजुकी ने एक बार कहा था ''संगीत शिक्षा का उद्देश्य बच्चों को प्रशिक्षित करना तो है पर इसका एकमात्र लक्ष्य उन्हें पेशेवर संगीतकार बना देना नहीं है बल्कि उम्दा संगीतज्ञ बनाना है ताकि वे जिस क्षेत्र में भी जाएं अपनी उच्च योग्यता का प्रदर्शन करें।''

अभिभावकों के साथ ही स्कूल-कॉलेजों को भी विद्यार्थियों में कलाओं की जानकारी, समझ और कौशल विकसित करने का दायित्व संभालना चाहिए ताकि वे आगे चलकर संयमित, संवेदनशील, सृजनशील, प्रगतिशील और उत्साही बनकर समाज में अपनी भूमिका का बखूबी निर्वहन करें। यह कहने की तो जरूरत भी नहीं है कि संगीत जैसे विषय भी उतने ही जरूरी और महत्वपूर्ण हैं जितने अन्य विषय हैं। कई लोगों का मानना है कि संगीतशिक्षा के इतने ज्यादा फायदों को देखते हुए इसे बढ़ावा देना और प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा स्तर से ही इसे मुख्य विषय बनाना हर प्रकार से उपयुक्त होगा।

आज स्पिक मैके (सोसाइटी फॉर द प्रमोशन ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक एंड कल्चर अमंगस्ट यूथ) - अर्थात् युवाओं में भारतीय शास्त्रीय संगीत और संस्कृति को प्रोत्साहन देने संबंधी सोसाइटी जैसे आंदोलन देश के प्रत्येक बच्चे तक भारतीय शास्त्रीय संगीत को पहुंचाने के उद्देश्य से भारत में और विदेशों में भी स्वेच्छा से कार्य कर रहे हैं। यद्यपि स्पिक मैके इस उद्देश्य का प्रमुख वाहक है तथा स्कूल और कलाकार के बीच संपर्क सूत्र की भूमिका निभाता है तो भी यह जरूरी है कि संस्थान भी इस मिशन को आगे बढ़ाने में उतनी ही लगन से सहयोग करें। इससे संगीत को हमारी शिक्षा प्रणाली में शामिल करने में बड़ी मदद मिलेगी। शिक्षा विभाग की ओर से शास्त्रीय संगीत के लिए, ऐसे आंदोलनों के लिए तथा केंद्रीय और राज्य के विश्वविद्यालयों के लिए अलग बजट प्रावधान करके संगीत शिक्षा को सही अर्थों में बढ़ावा दिया जा सकता है।

निष्कर्ष

अंत में यह कि संगीत सीखने के साथ बच्चों के समक्ष गुरु का संगीत कार्यक्रम सीधे आयोजित करने की नियमित व्यवस्था की जाए तो बहुत उपयोगी सिद्ध होगी। संगीत के महान साधक 'गुरु' की संगत में बिताया समय विद्यार्थी के जीवन में परिवर्तन लाने का बड़ा कार्य कर सकता है क्योंकि विद्यार्थी संभवतः इन क्षणों की स्मृति जीवन भर संजोए रखेगा। इसलिए ऐसे अवसर जुटाना हमारा दायित्व बनता है।

संगीत शिक्षा से मिलने वाले फायदे शैक्षिक योग्यता प्राप्त कर लेने से कहीं ज़्यादा हैं और इसमें भाषा की कोई बाधा भी नहीं होती। आज के तेज़ी से बढ़ रहे विश्व में संगीत शिक्षा के व्यावहारिक लाभ वास्तव में प्रेरणादायक और मुक्त बनाने वाले हैं। इसलिए संगीत शिक्षा न केवल स्कूल कॉलेजों में फिर से लाई जाए बल्कि इसे वैकल्पिक विषय ही न रखकर अनिवार्य विषय बनाया जाना चाहिए। ■

नई शिक्षा नीति और भारतीय भाषाएं

प्रेमपाल शर्मा

दुनिया भर के अनुभव इस बात के गवाह हैं कि किसी भी देश के लिए देश में बदलाव के लिए शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण औज़ार है और हर शिक्षा का वाहन भाषा होती है। वह भाषा जो सदियों के बाद उस समाज से निकलती है, गढ़ी जाती है, अपने को, उस संस्कृति को सभ्यता के साथ आत्मसात करती है। एक-एक शब्द को गढ़ने में शताब्दियां लगती हैं जो मां की सांसों से अगली पीढ़ी तक पहुंचती है, दादी की कहानियों में होती है, कहावत में होती है। इसीलिए दुनिया भर में प्राथमिक शिक्षा विशेष रूप से अपनी भाषाओं में करने की वकालत की गई है।

जुलाई 2020 में घोषित नई शिक्षा नीति कई सरकारी पड़ावों से गुजरती हुई अब रफ्तार ले रही है। विश्वविद्यालयों, कॉलेजों, स्कूल के स्तर पर समानांतर कई कदम इसके कार्यान्वयन के लिए उठाए जा रहे हैं लेकिन नई शिक्षा नीति का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष 'शिक्षा की भाषा' कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। देखा जाए तो भारतीय भाषाओं को प्रोत्साहन देना मौजूदा केन्द्र सरकार की प्राथमिकता रही है। आज़ादी के बाद से 2014 तक, सिर्फ अंग्रेजी ही देश की शिक्षा को आगे बढ़ा सकती है, ऐसे भ्रम या मिथक को बढ़ावा दिया जाता रहा। उसके प्रमाण हैं देश भर में कई गुना रफ्तार से बढ़ते अंग्रेजी माध्यम स्कूल। हकीकत यह है कि अंग्रेजी के प्रसार के कारण ही निजी स्कूल उर्फ पब्लिक स्कूल सामने आए और इसी पब्लिक शब्द को हटाने की सिफारिश पूर्व कैबिनेट सचिव टीएसआर सुब्रमण्यम ने की थी। यहां यह भी बता दें कि 2014 में श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार आने के तुरंत बाद ही शिक्षा में बदलाव का मंथन शुरू हो गया था और पूर्व कैबिनेट सचिव टीएसआर सुब्रमण्यम की अध्यक्षता में कमेटी गठित की गई जिसने अपनी रिपोर्ट 2016 में सरकार को सौंप दी थी। उस रिपोर्ट को देश भर में मसौदे के रूप में भेजा गया और उन सुझावों पर अंतिम निर्णय लेने के लिए वैज्ञानिक कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में नई कमेटी बनाई गई। यह महत्वपूर्ण तथ्य है कि भाषा संबंधी शिक्षा या पढ़ने पढ़ाने के प्रश्न पर हिंदी समेत भारतीय भाषाओं के प्रति एक स्पष्ट दृष्टि इस सरकार के पास है।

अब पहले कुछ बातें नई शिक्षा नीति में भारतीय भाषाओं की स्थिति की। बाहरी आंकड़ों जैसे 5+3+3+4 और पुरानी टेन प्लस टू जैसी तुलना को परे रखते हुए गौर करें तो इसमें पांचवीं कक्षा तक की शिक्षा यथासंभव मातृभाषा, स्थानीय भाषा या राष्ट्रीय भाषा में अनिवार्य रूप से करने की बात की गई है। यदि संभव हो और कोशिश की जानी चाहिए कि आठवीं तक की पढ़ाई भी भारतीय भाषाओं और मातृ भाषाओं में हो। अंग्रेजी एक विषय के रूप में ही पढ़ाई जाए। माध्यम भाषा के रूप में हरगिज़ नहीं। उच्चतर कक्षाओं में अंग्रेजी को जरूर छूट दी गई है और वह इसलिए कि आने वाले दिनों में धीरे-धीरे भारतीय भाषाओं में पाठ्य पुस्तकें और सामग्री उपलब्ध हो जाएंगी तो वहां भी भारतीय भाषाएं अंग्रेजी की जगह ले लेंगी।

लेकिन भारत जैसे देश में जितना आसान इसे नीति में शामिल करना है कार्यान्वयन उतना ही मुश्किल और उसमें सबसे बड़े बाधक अंग्रेजी के नाम पर तथाकथित व्यापार करने वाले लोग हैं जो पहले से ही कुतर्कों के तीर लिए तैयार बैठे हैं। हिंदी भाषी क्षेत्रों में ठीक इसी वक्त भोजपुरी, मगधी, कुमाऊंनी, राजस्थानी की आवाज उठाई जा रही है। नई शिक्षा नीति में सभी भाषा, बोलियों का सम्मान है

21वीं सदी के लिए छात्रों को तैयार करने की पहल

- नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की शुरुआत
- भारत की नई शिक्षा प्रणाली के दृष्टिकोण को रेखांकित किया
- प्राथमिक से उच्च शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए व्यापक फ्रेमवर्क
- 2040 तक भारत की शिक्षा प्रणाली में व्यापक बदलाव का लक्ष्य

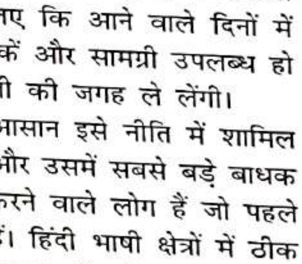

लेखक रेल मंत्रालय में संयुक्त सचिव रह चुके हैं। ईमेल: ppsharmarly@gmail.com

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020

शिक्षा प्रणाली में परिवर्तनकारी सुधार

स्कूली शिक्षा

- **प्री-प्राइमरी स्कूल से ग्रेड 12 तक यूनिवर्सल एक्सेस**
  2030 तक स्कूली शिक्षा में 100% सकल नामांकन अनुपात प्राप्त करने का लक्ष्य
- **प्रारंभिक शिशु विकास, देखभाल और शिक्षा**
  2025 तक 3 से 6 साल के बीच सभी बच्चों को शिक्षा
- **स्कूली शिक्षा में मौजूदा 10 + 2 संरचना में संशोधन**
  3-18 की आयु वर्ग के बच्चों के लिए 5 + 3 + 3 + 4 की एक नई शैक्षणिक और पाठ्यक्रम संरचना तैयार की जाएगी
- **नेशनल मिशन ऑन फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरसी**
  2025 तक ग्रेड 1-3 तक प्रारंभिक भाषा और गणितीय कौशल पर दिया जाएगा ध्यान
- **बहुभाषिकता और भाषा की शक्ति**
  कक्षा 5 तक शिक्षा का माध्यम, अधिमानतः कक्षा 8 तक, घरेलू भाषा/मातृभाषा/स्थानीय भाषा/क्षेत्रीय भाषा हो
- **बोर्ड परीक्षा में सुधार**
  बोर्ड परीक्षाओं को बनाया जाएगा आसान, इनमें महीने भर की पढ़ाई की परीक्षा लेने के बजाए मूल क्षमताओं की ली जाएगी परीक्षा
- **नया राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र (PARAKH)**
  सभी मान्यता प्राप्त स्कूल बोर्डों के लिए छात्र क्षमता निर्धारण और मूल्यांकन के लिए मानक मानदंड निकाय के रूप में PARAKH की स्थापना होगी
- **समान और समावेशी शिक्षा**
  शिक्षा के लिए सामाजिक-आर्थिक रुप से वंचित समूहों, बालिकाओं, सामाजिक-सांस्कृतिक पहचान वाले बच्चों पर जोर दिया जाएगा
- **शिक्षकों के लिए व्यावसायिक मानक**
  एनसीटीई द्वारा शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय व्यावसायिक मानकों (एनपीएसटी) का एक सामान्य मार्गदर्शक सेट 2022 तक विकसित कराया जाएगा।
- **स्कूल शिक्षा के लिए मानक व्यवस्था और मान्यता**
  राज्य स्कूल मानक प्राधिकरण सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में स्थापित किया जाएगा
- **व्यावसायिक शिक्षा**
  2025 तक, स्कूल और उच्च शिक्षा प्रणाली के माध्यम से कम-से-कम 50% शिक्षार्थियों को व्यावसायिक शिक्षा से परिचय एवं ज्ञान होगा

और देखा जाए तो इसीलिए इस नीति में मातृभाषाएं और स्थानीय भाषाएं दोनों को जगह दी गई हैं। इसलिए इस नीति की आत्मा को समझ कर आगे बढ़ेंगे तो राष्ट्रहित सधेगा। शिक्षक पढ़ाते वक्त वहां की स्थानीय भाषा, शब्दों, परंपरा, लोक कथा आदि को साथ रखते हुए बच्चों के बीच संवाद करेगा तो वे रटने की प्रवृत्ति से तो दूर होंगे उन्हें पढ़ने का आनंद भी आएगा और यही नई शिक्षा नीति का मूल मंत्र है। अंग्रेजी के वर्चस्व ने बच्चों को सही शिक्षा से और दूर कर रखा है। नौकरी कैसे मिलेगी? एक राज्य से दूसरे राज्य में जाएंगे तो कैसे बात करेंगे? न जाने कितने कुतर्क लेकर विरोधी आगे आ जाते हैं। वे यह भूल जाते हैं कि पूरे यूरोप में अंग्रेजी की वजह से नौकरी मिलती तो वे अपनी मातृभाषा में क्यों पढ़ते? चीन और जापान क्यों अपनी भाषाओं में पढ़ाते, यह भी समझने की जरूरत है। और यही शिक्षा नीति का उद्देश्य है कि अपनी भाषाओं में पढ़ेंगे तो आगे चलकर कोई भी विदेशी भाषा जरूरी नहीं कि वह अंग्रेजी ही हो, उसे भी जल्दी आत्मसात करेंगे और जल्दी रचनात्मकता दे पाएंगे।

दुनिया भर के अनुभव इस बात के गवाह हैं कि किसी भी देश के लिए देश में बदलाव के लिए शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण औज़ार है और हर शिक्षा का वाहन भाषा होती है। वह भाषा जो सदियों के बाद उस समाज से निकलती है, गढ़ी जाती है, अपने को, उस संस्कृति को सभ्यता के साथ आत्मसात करती है। एक-एक शब्द को गढ़ने में शताब्दियां लगती हैं जो मां की सांसों से अगली पीढ़ी तक पहुंचती है, दादी की कहानियों में होती है, कहावत में होती है। इसीलिए दुनिया भर में प्राथमिक शिक्षा विशेष रूप से अपनी भाषाओं में करने की वकालत की गई है और संयुक्त राष्ट्र के स्तर पर भी इसी बात को यूनेस्को आदि के माध्यम से दुनियाभर को बताया जाता है। वर्ष 1996 में इसीलिए दुनिया भर में मातृभाषा दिवस भी 21 फरवरी को मनाया जाता है। इसका ऐतिहासिक संबंध भी हमारे पड़ोसी मित्र देश बांग्लादेश का अपनी मातृभाषा को बचाने के संघर्ष से जुड़ा हुआ है जो विभाजन के तुरंत बाद पश्चिम बंगाल में बांग्ला को मातृभाषा बनाने की लड़ाई से शुरू हुआ और अंत में पूर्वी पाकिस्तान की जगह एक नया देश बांग्लादेश बना। भाषा के प्रश्न पर ही आज़ादी के बाद कई राज्य बने और उन सब के पीछे एक वैज्ञानिक सोच रही थी स्थान, प्रदेश विशेष के लोग उस भाषा में अपनी शिक्षा न्याय और पूरी व्यवस्था को दे सके।

लेकिन आज़ादी के बाद जैसे-जैसे स्वतंत्रता के संघर्ष में शामिल महापुरुष कम होते गए, भारतीय भाषाएं भी अंग्रेजी के मुकाबले जानबूझकर पीछे रख दी गई। भारतीय लोकतंत्र पर ऐसे लोगों का कब्जा बढ़ता गया जो विदेशों में अंग्रेजी में पढ़ कर आई थी। इन्होंने ऐसा हौवा खड़ा किया कि यदि अंग्रेजी नहीं रहेगी तो देश टूट जाएगा, देश पिछड़ जाएगा, विज्ञान और तकनीक का विकास कैसे होगा। कोठारी आयोग (1964 से 1966) की सिफारिशों में शामिल एक संस्तुति कि- "उच्च शिक्षा भी भारतीय भाषा में दी जानी चाहिए" के बावजूद जमीन पर कार्यान्वयन नहीं हुआ। कुछ तथाकथित स्वार्थी तत्व इसे लागू करने में अड़ंगा लगाते रहे। जाने-माने समाज शास्त्री धीरुभाई सेठ के शब्दों में इसे भारतीय लोकतंत्र में लोक की भाषा का विलुप्त होना भी कहा जा सकता है। 1986 की शिक्षा नीति हो या 1992 में प्रोफेसर यशपाल कमेटी की बस्ते का बोझ कम करने पर रिपोर्ट या आगे चलकर 2005 में घोषित नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, सभी में अपनी भाषा में पढ़ाने की बात बहुत

शिक्षा नीति का उद्देश्य है कि अपनी भाषाओं में पढ़ेंगे तो आगे चलकर कोई भी विदेशी भाषा जरूरी नहीं कि वह अंग्रेजी ही हो उसे भी जल्दी आत्मसात करेंगे और जल्दी रचनात्मकता दे पाएंगे।

कमजोर होती चली गई। यही वह दौर है जब उदारीकरण के बाद जैसे ही निजीकरण का दरवाजा खुला तो अंग्रेजी के मुक़ाबले पूरे देश में भारतीय भाषाओं की स्थिति कमजोर हुई।

भारतीय भाषाओं को प्रमुखता

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में भारतीय भाषाओं को प्रमुख स्थान दिया गया है। ग्लोबलाइजेशन के दौर में सिर्फ अंग्रेजी से ही देश का उत्थान हो सकता है, यह मिथक दुनिया भर के शिक्षा व शिक्षा शास्त्री और स्वयं आज़ादी के दौर में महात्मा गांधी और देश के दिग्गज राजनेताओं के सपनों के एकदम खिलाफ था। लेकिन ज्ञान आयोग और शिक्षा की तत्कालीन नीतियों की वजह से अंग्रेजी को बढ़ावा दिया गया। यहां तक कि 2011 में सिविल सेवा परीक्षा की प्रारंभिक परीक्षा में भी अंग्रेजी शामिल कर दी गई जिसके खिलाफ देश भर में भारतीय भाषाओं के पक्षकारों ने आंदोलन किए और अंततः कोर्ट के हस्तक्षेप से और 2014 में मोदी सरकार के निर्णय से सिविल सेवा परीक्षा की प्रारंभिक स्तर से अंग्रेजी हटाई गई। कह सकते हैं कि उस दौर में भारतीय भाषाओं के समर्थन में जो आंदोलन हुआ उसी की अभिव्यक्ति नई शिक्षा नीति में भी झलकती है। हालांकि संघ लोक सेवा आयोग की दूसरी परीक्षाओं में भारतीय भाषाएं अभी भी शामिल नहीं की गई और न कर्मचारी चयन आयोग की परीक्षाओं में भारतीय भाषाओं की कोई जगह है। यह इस सरकार के लिए भी एक चुनौती है।

लेकिन नीति बनाना एक बात है और उस पर कार्यान्वयन बिल्कुल दूसरी। कुछ पक्षों में इस सरकार के दृढ़ निश्चय से उम्मीद बनती है। मेडिकल की पढ़ाई के लिए जो नीट परीक्षा पहले सिर्फ अंग्रेजी में होती थी पिछले कुछ वर्षों पहले आठ भारतीय भाषाओं में शुरू करने के बाद इस वर्ष उसमें तेरह भारतीय भाषाएं शामिल हो गई हैं। गुजराती, मराठी, उर्दू, बांग्ला, कन्नड़, हिंदी आदि। आठवीं अनुसूची में कुल 22 भारतीय भाषाएं हैं और सरकार का प्रयास है कि सभी भाषाओं में से समान रूप से लागू किया जाए। इसके लिए पाठ्य पुस्तकें किताबों की तैयारी पूरे जोर-शोर से चल रही है। इस वर्ष इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने वालों के लिए और भी अच्छी खबर है कि आने वाले सत्र में आठ भारतीय भाषाओं हिंदी, बांग्ला, तमिल, तेलुगु, मराठी, मलयालम, गुजराती और कन्नड़ में पढ़ने की सुविधा मिलेगी। 14 से ज्यादा इंजीनियरिंग कॉलेज पढ़ाने के लिए सामने आए हैं और प्रथम वर्ष की पाठ्य सामग्री भी युद्ध स्तर पर तैयार हो चुकी है। सरकार ने हर उपलब्ध माध्यम पर इन पुस्तकों को लाने की कोशिश की है।

मेडिकल की पढ़ाई के लिए जो नीट परीक्षा पहले सिर्फ अंग्रेजी में होती थी पिछले कुछ वर्षों पहले आठ भारतीय भाषाओं में शुरू करने के बाद इस वर्ष उसमें तेरह भारतीय भाषाएं शामिल हो गई हैं। गुजराती, मराठी, उर्दू, बांग्ला, कन्नड़, हिंदी आदि। आठवीं अनुसूची में कुल 22 भारतीय भाषाएं हैं और सरकार का प्रयास है कि सभी भाषाओं में से समान रूप से लागू किया जाए।

भारतीय न्याय व्यवस्था में भारतीय भाषाओं को लाने की बड़ी चुनौती है लेकिन सरकार पूरी तरह से प्रयत्नशील है। निचले स्तर पर तो अपनी भाषाओं में कई राज्यों में निर्णय लिए जाते हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के स्तर पर अभी लंबा रास्ता तय करना है। बावजूद इस सब के हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने गवाहों को उनकी अपनी भाषा में बयान देने की सुविधा दी है और उसके लिए अंग्रेजी में अनुवाद के लिए अनुवादक रखे जाएंगे। यह बहुत लोकतांत्रिक मसला है क्योंकि दूर देहात में फैले गांव के लोग अपनी भाषा में ही गवाही देते हैं और उसकी सत्यता भी किसी भी निर्णय के लिए उतनी ही महत्वपूर्ण है। इसके दूरगामी परिणाम होंगे। सामाजिक न्याय, समाज कल्याण, मूल अधिकार, मौलिक अधिकार जैसे मुद्दों पर जो निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने अंग्रेजी में दिए हैं उन सभी को भी भारतीय भाषाओं में उपलब्ध कराने का काम शुरू हो गया है। राष्ट्रपति ने 2 वर्ष पहले इसका विधिवत उद्घाटन भी किया था।

राष्ट्रीय भर्ती परीक्षा

राष्ट्रीय भर्ती परीक्षा जो कर्मचारी चयन आयोग, रेलवे भर्ती बोर्ड और बैंकिंग भर्ती बोर्ड को मिलाकर शुरू करने का इरादा है उसे भी भारतीय भाषाओं में किया जा रहा है क्योंकि जब तक नौकरी में भारतीय भाषाएं शामिल नहीं होंगी तब तक शिक्षा में वैसा परिवर्तन आना संभव नहीं है जैसा कि उपेक्षित है। लेकिन इतना बड़ा बदलाव बिना सामाजिक चेतना को बदले संभव नहीं हो सकता। लगभग 200 साल में अंग्रेजी के आतंक, लालच और झूठी प्रतिष्ठा में समाज के अंदर जो जगह बनाई है उसी का परिणाम है कि न केवल भारतीय शिक्षा व्यवस्था बर्बाद हुई है, देश की तरक्की उस स्तर पर नहीं हो पाई जिस स्तर पर जापान, यूरोपीय देश, दक्षिण कोरिया या दूसरे देश आगे बढ़े हैं और यह सब संभव हुआ है शिक्षा में बदलाव यानी अपनी भाषा, मातृभाषा में शिक्षा देने से। आज़ादी के समय साक्षरता दर कम जरूर थी लेकिन अपनी भाषाओं में शिक्षा ज्यादा बेहतर ढंग से दी जा रही थी। हमारी वैज्ञानिक संस्थाओं को जन्म देने वाले ज्यादातर वैज्ञानिक उसी दौर के हैं और लगभग 99 प्रतिशत ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा अपनी भाषाओं में पाई है। जगदीश चंद्र बोस, एसएन बोस, दौलत सिंह कोठारी से लेकर अमर्त्य सेन और हाल ही में नोबेल पुरस्कार विजेता अभिजीत बनर्जी तक बार-बार इस बात को कहते रहे हैं कि यदि देश को बदलना है तो मातृभाषा में शिक्षा ही रास्ता है। अंग्रेजी रटने से पूरी पीढ़ी की रचनात्मकता खत्म हो गई है। अंग्रेजी का जाल इतना फैल चुका है कि हिंदी और भारतीय भाषाओं को कड़ा संघर्ष करना पड़ेगा लेकिन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का दस्तावेज यह उम्मीद जताता है कि यह देश के बदलाव के लिए मील का पत्थर साबित होगा। सबसे सुखद पक्ष नई डिजिटल तकनीक पूरी मदद कर रही है। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और न जाने कितने ऐसे ऐप आ गए हैं जो दुनिया भर की भाषाओं, बोलियों को लिखने-पढ़ने में सुविधाएं दे रहे हैं। यही कारण है अपनी भाषा में विशेषकर हिंदी में इमेल करने वाले, पढ़ने वाले, प्रयोग करने वाले दुनिया भर में सबसे तेज़ी से बढ़ रहे हैं। कमी है तो इंटरनेट पर हिंदी माध्यम में बौद्धिक सामग्री की और उसका कारण भी है।

नई शिक्षा नीति से उम्मीद है इस सबको बदल देगी। अब जरूरत है तो सरकार को एक योजनाबद्ध ढंग से इसे कार्यान्वयन में लाने की, बिना किसी क्षेत्रीय या दूसरे पक्षपात के। ■

आज़ादी का अमृत महोत्सव

सन् सत्तावन के भूले-बिसरे शहीद

लेखिका: उषा चन्द्रा

प्रकाशक: प्रकाशन विभाग

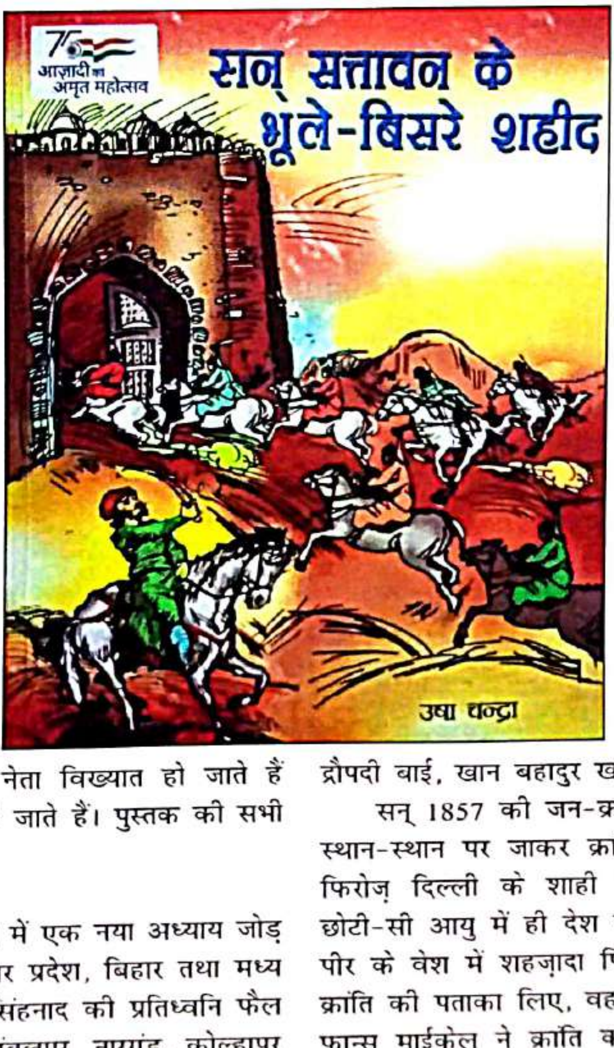

सन् सत्तावन के भूले-बिसरे शहीद प्रकाशन विभाग से प्रकाशित आज़ादी का अमृत महोत्सव श्रृंखला की पुस्तक है। इसकी लेखिका श्रीमती उषा चन्द्रा हैं।

पुस्तक में 1857 के कुछ अल्पज्ञात शहीदों को लुप्तप्राय पुस्तकों और अभिलेखागारों से शोध कर पाठकों के सम्मुख प्रस्तुत किया गया है। लेखिका के अथक प्रयास से दो दर्जन से अधिक स्वतंत्रता सेनानियों के जोश एवं अपूर्व बलिदान की कहानी सामने आई। लेखिका का मानना है कि क्रांति के कुछ अग्रणी नेता विख्यात हो जाते हैं किन्तु कुछ गुमनामी के अंधकार में खो जाते हैं। पुस्तक की सभी कहानियां प्रेरणादायक हैं।

पुस्तक से लिए गए अंश–

1857 की क्रांति ने देश के इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ दिया। क्रांति का मुख्य केन्द्र दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार तथा मध्य भारत था, परन्तु दूर-दूर तक क्रांति के सिंहनाद की प्रतिध्वनि फैल गयी। औरंगाबाद, जलपाईगुड़ी, पोरहट, संबलपुर, नारगुंड, कोल्हापुर और ढाका जैसे दूरवर्ती स्थानों पर भी भारतवासियों ने अंग्रेजों से डटकर लोहा लिया। इतिहासकार मालेसन ने लिखा है कि अवध, रुहेलखंड व बुंदेलखंड के अधिकांश लोग अंग्रेजों के विरुद्ध उठ खड़े हुए थे। ग्रामवासियों को क्रांतिकारियों के छुपने के गुप्त स्थान पता रहते थे, वे उनके साथ कभी विश्वासघात नहीं करते थे। बिहार में अमरसिंह कैमूर की पहाड़ियों में छुपे हुए थे। छापामार युद्ध के द्वारा उन्होंने अंग्रेजों को नाकों चने चबवा दिये थे। पहाड़ियों के निकटवर्ती ग्रामों के निवासी अमरसिंह के रहने के स्थान से परिचित थे, परंतु उन्होंने कभी विश्वासघात नहीं किया।

सन् 1857 की क्रांति में हिन्दू तथा मुसलमानों ने कंधे-से-कंधा मिलाकर युद्ध में भाग लिया। समस्त राष्ट्र ने दिल्ली के बादशाह बहादुरशाह जफर के नेतृत्व में युद्ध लड़ने का निर्णय लिया। बादशाह ने युद्ध में सभी का आह्वान किया। हिन्दू और मुसलमान दोनों का एक ही लक्ष्य था– अंग्रेजों का समूल नाश। इस युद्ध में मौलवी अहमदशाह, अजीमुल्लाह खां, जैतपुर की रानी राधा गोविन्द, रानी द्रौपदी बाई, खान बहादुर खां इत्यादि ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया।

सन् 1857 की जन-क्रांति में योगी, फकीर, दूत, संवेशवाहक स्थान-स्थान पर जाकर क्रांति की अलख जगा रहे थे। शहज़ादा फिरोज़ दिल्ली के शाही परिवार से संबंधित थे परन्तु उन्होंने छोटी-सी आयु में ही देश के लिए फकीरों के वस्त्र धारण किए। पीर के वेश में शहज़ादा फिरोज़ सफेद घोड़े पर बैठकर, हाथ में क्रांति की पताका लिए, वह सिपाहियों का नेतृत्व करते थे। सार्जेंट फान्स माईकेल ने क्रांति का विवरण देते हुए लिखा है कि वह अपनी सेना के साथ कूच कर रहे थे। रास्ते में उन्होंने एक नंगे फकीर को देखा, जिसका शरीर बहुत सुडौल था। उसका सारा सिर मुंडा हुआ था और मध्य में बालों की एक चोटी थी। उसके सारे मुख पर लाल और सफेद रंग पुता था। वह चीते के खाल पर बैठा था तथा माला जप रहा था। एक सेनाधिकारी ने कहा- "यह व्यक्ति जोगी है और किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता।" अभी शब्द मुंह से पूरी तरह निकले भी नहीं थे कि जोगी ने चीते की खाल के नीचे से पिस्तौल निकालकर दाग दी। ■

आज़ादी का अमृत महोत्सव से जुड़ी अन्य किताबों के लिए
www.publicationsdivision.nic.in पर जाएं।